रजिस्ट्री सं० डी०—(डी एन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 5, 1986 (आषाढ़ 14, 1908)
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 5, 1986 (ASADHA 14, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1
PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली–110011, दिनांक 15 मई 1986

सं०ए०32013/3/83 (iii)-(प्रशा०–1)–संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में विशेष सहायक के प्रतिनियुक्ति पदों से प्रत्यावर्तित होने के परिणामस्वरूप, सर्वश्री पी० पी० सिक्का तथा टी० आर० शर्मा ने 11 अगस्त, 1985 के पूर्वाह्न से संघ लोक सेवा आयोग के के०स० आ० से० संवर्ग में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० आ० से० का ग्रेड "ख") के अपने पद का कार्यभार संभाल लिया है।

दिनांक 30 मई 1986

सं० ए० 12023/1/86–प्रशा० 2—संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में डा० आई० पाण्डुरंग राव, निदेशक (रा० भा०) (केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा) को 26-5-1986 से 25-11-1986 तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, छः महीने की अवधि के लिये आयोग के कार्यालय में रु० 2250–125/2–2500 के वेतनमान में निदेशक (भाषा माध्यम) के संवर्ग बाह्य पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. निदेशक (भा० मा०) के पद पर डा० आई० पाण्डुरंग राव की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति आधार पर होगी और वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, के० का० ज्ञा० सं० एफ० 1(11)–ई० III (बी०)/75 दिनांक 7–11–1975 की शर्तों के अनुसार विनियमित होगी।

एम० पी० जैन
अवर सचिव (प्रशा०)
संघ लोक सेवा आयोग

कार्मिक एवं प्रशिक्षण प्रशासन सुधार,
लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली–110003, दिनांक 16 जून 1986

सं० ए० 19035/1/78–प्रशा०–5—निवर्तन होने पर, श्री जगत सिंह, कार्यालय अधीक्षक, के० अ० ब्यूरो, केन्द्रीय न्याय वैद्यक विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली ने दिनांक 30 अप्रैल, 1986 (अपराह्न) को अपने पद का कार्यभार त्याग दिया।

सं० ए० 19020/2/83-प्रशा०-5—प्रत्यावर्तन होने पर, श्री एस० के० अवस्थी, भा० पु० सेवा (उत्तर प्रदेश : 1974) पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना, एस० आई० सी० शाखा की सेवाएं दिनांक 30 अप्रैल, 1986 (अपराह्न) से उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी जाती है।

सं० 13/2/86-प्रशा०-5—निदेशक, के० अ० ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना ने श्री राम सरन सेठी को, पदोन्नति पर, एक मई, 1986 से अगले आदेश होने तक, के० अ० ब्यूरो में, नियमित आधार पर, कार्यालय अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

सं० 3/23/86-प्रशासन-5—श्री हंस राज बुलधुल, अपराध सहायक, के० अ० ब्यूरो को दिनांक 27-5-1986 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक, क्रमशः छुट्टी पर गए जा रहे सर्वश्री एस० के० शर्मा, का० अ०/केन्द्रीय जोन एवं डी० मुखर्जी, का० अ० जोन-1 की छुट्टी रिक्तियों में, पूर्णतया तदर्थ आधार पर स्थानापन्न कार्यालय अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

धर्मपाल भल्ला
प्रशासन अधिकारी (स्था०)
के० अ० ब्यूरो

गृह मंत्रालय

अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान

नई दिल्ली-110058, दिनांक 11 जून 1986

सं० 1/11/76-आई० सी० एफ० एम०—सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर श्री एस० के० शर्मा, सहायक निदेशक (प्रलेख), अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान (गृह मंत्रालय) को 31 मई, 1986 (अपराह्न) से अपने पद से सेवानिवृत्त किया गया है और पेंशन में भेज दिया गया है।

सं० 1-3/74-आई० सी० एफ० एम०—सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर डा० पी० सी० मैती, अतिरिक्त निदेशक, अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान (गृह मंत्रालय) को 31 मई, 1986 (अपराह्न) से अपने पद से सेवानिवृत्त किया गया है और पेंशन में भेज दिया गया है।

आर० एम० कुलकर्णी
निदेशक

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 13 जून 1986

सं० एफ० 10/7/86-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति की सिफारिश पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी और इस समय गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत श्री विजय पाल पाण्डे को, 2500-2750 रु० के वेतनमान में दिनांक 13 जून, 1986 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक उनके वर्तमान पद में संयुक्त सचिव के पद पर व्यक्तिगत आधार पर सहर्ष नियुक्त करते है।

वी० एस० वर्मा
भारत के महारजिस्ट्रार

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1, बिहार

पटना, दिनांक 4 जून 1986

सं० प्रशा०-1(ले० प०)-20-5/292—महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1, बिहार; पटना, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को दिनांक 30-5-1986 (पूर्वाह्न) या पद-भार ग्रहण करने की तिथि से बाद में जो हो, से अगले आदेश तक रुपये 650-30-740-35-880-द० रो०-40-1040 के वेतनमान में स्थानापन्न सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रुप 'ख' राजपत्रित पद पर सहर्ष पदोन्नत करते है :—

क्रम संख्या	नाम
	सर्वश्री
1.	सिया रघुवीर शरण
2.	सुरेन्द्र प्र० सिंह, नं०-1
3.	रनछोर प्रसाद वर्मा
4.	कुंज बिहारी प्रसाद
5.	मो० मंजर मसुद
6.	कृष्ण मोहन प्रसाद
7.	लाल मोहन प्रसाद वर्मा
8.	रविन्द नाथ मोयत्रा
9.	एम० जी० मोहीउद्दिन
10.	चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह नं० II

जयन्त चटर्जी
उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, केरल

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 28 मई 1986

सं० स्थापना/प्र/5/9-86-खण्ड 3/59—निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को उनके नाम के सामने लिखित तारीख से लेखाधिकारी के पद में स्थानापन्न होने के लिए नियुक्त करने को महालेखाकार (ले व ह) सन्तुष्ट हुए है :—

1. श्री एम० आर० चन्द्रशेखरन नायर 16-5-86
2. श्री पी० बालकुमार स्वामी पिल्लै 19-5-86

3. श्री माल्य वर्गीस	19-5-86
4. श्रीमती सी०वी० पदमिनिकुट्टि अम्मा	19-5-86
5. श्री टी० एन० शंकरन नायर	19-5-86

यह नियुक्ति ओ० पी० सं० 750/84 के—पर केरल के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश जारी किया जाए उस के अध्यधीन अगले आदेश तक अस्थायी है ।

एस० बी० पिल्लै
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक), पश्चिम बंगाल

कलकत्ता—700001, दिनांक 10 जून 1986

सं० प्रशा० I/1038/XXI/319—महालेखाकार (ले० एवं हक) ने श्री आशीष कुमार चौधरी II स्थायी अनुभाग अधिकारी जो कि पश्चिम बंगाल सरकार के गृह (पी० ए० आर०) विभाग में प्रतिनियुक्ति पर हैं को अगले आदेश तक तदर्थ तथा अस्थायी तौर पर वेतनमान 840-1200/- पर अस्थायी और स्थानापन्न रूप से दिनांक 7-3-86 (अपराह्न) से अर्थात जिस दिनांक से उनके ठीक कनिष्ठ देवव्रत बोस, लेखा अधिकारी के हैसियत से कार्यभार संभालते हैं, प्रोफार्मा प्रोन्नति की स्वीकृति दी है। इस मामले में "अगला निचला नियम" के अनुसार प्रोन्नति प्रदान करने के सभी पूर्व शर्त पूर्ण हुए हैं और महालेखाकार (ले० एवं हक), पश्चिम बंगाल ने एफ० आर० 30(1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर सर्वश्री चौधरी द्वारा धृत पद को सेवा के साधारण क्रम के बाहर होने की घोषणा की है।

इसे स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि लेखा अधिकारी के संवर्ग में पूर्वोक्त प्रोन्नति जब तक कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मुकदमे में निर्णय निलम्बित रहें तब तक पूर्णतया अस्थायी रूप से है और भारतीय गणराज्य और दूसरों के खिलाफ दायर किये गये 1979 के सी० आर० केस संख्या 14818 (डब्ल्यू०) के अन्तिम फैसले के अधीन है।

नया प्रोन्नति अधिकारी को एक माह के अन्दर विकल्प देना होगा। उनकी प्रोन्नति पर उनका वेतन पहले एफ० आर० 22-सी के अधीन निर्धारित करना चाहिए और यदि वे एक माह की निर्धारित अवधि के अन्दर दिनांक 26-9-81 के ओ० एम० के पैरा 2 (ख) के अनुसार विकल्प देते हैं तो उनका प्रोन्नति के दिनांक से पहले एफ० आर० 22(क)(i) के अधीन तथा उसके बाद प्रदायक (फीडर) पद पर परवर्ती वेतन वृद्धि के दिनांक से एफ० आर० 22-सी के अधीन निर्धारित करना चाहिये।

इस कार्यालय पत्र संख्या प्रशा० 1/1038/XXI/3363 दिनांक 10-3-83 के आंशिक परिवर्तन करते हुए यह आदेश जारी किया गया है।

डी० मिश्र
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशा०)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम

कलकत्ता-1, दिनांक 12 जून 1986

सं०-प्रशा० - तृतीय/आर०सी०/282/11/58 — अनुलग्न सूची के अनुसार महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम-पश्चिम बंगाल ने अनुभाग अधिकारियों (लेखा परीक्षा) को स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी के पद पर दिनांक 1-11-1983 से लेकर या पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, जो बाद में हो, वेतनमान 650-30-740-35-880-ई० बी-40-1040 अगला आदेश मिलने तक नियुक्त करने की कृपा की है।

ये पदोन्नतियां माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता में लम्बित रिट याचिका के अन्तिम निर्णय होने के अधीन है।

स० कु० मिश्र
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशा०)

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के बाद नियुक्त अनुभाग अधिकारियों की सूची

क्रमांक	नाम	नियुक्ति आदेश संख्या और तारीख	प्रभार ग्रहण दिनांक
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	वैद्यनाथ ढाली	प्रशासन 1/आर० सी०/281/1	1-11-1985 1-11-1985
2.	अमरेन्द्रनाथ चौधुरी	" /2	" "
3.	कानुलाल घटक	" /3	" "
4.	राथेन्द्र लाल राय	" /4	" "
5.	सोमेश सेन	" /5	" "
6.	कंगाली चरण घोष	" /6	" "
7.	भवानी प्रसाद बनर्जी	" /7	" "
8.	रन्जीत कुमार भौमिक	" /8	" "
9.	चित्तरंजन दास—II	" /9	" "

1	2	3	4
	सर्वश्री		
10.	नेपाल चन्द्र कंजीलाल	प्रशासन-I/आर० सी०/281/10	1-11-85 1-11-85
11.	सत्येन्द्र नाथ बनर्जी-II	" /11	" "
12.	रंजीत कुमार दत्त	" /12	" "
13.	समिरेन्द्र नाथ मित्र	" /13	" "
14.	सुभाष चन्द्र मुखर्जी	" /14	" "
15.	अशोक कुमार बसु	" /15	" "
16.	सधन प्रिय घोष	" /16	" "
17.	विकाश चन्द्र सेन	" /17	" "
18.	ऋषिकेश चौधुरी	" /18	" "
19.	अशीस कुमार चौधुरी (I)	" /19	" "
20.	सच्चिदानन्द हरीमित्र	" /20	" "
21.	सुखेन्दु बिकाश दे	" /21	" "
22.	बिमलेन्दु भट्टाचार्या-II	" /22	" "
23.	परिमल कुमार दास गुप्त	" /23	" "
24.	पंकज कुमार चौधुरी	" /24	" "
25.	सरल कान्ति सेन	" /25	" "
26.	अमित कुमार बोस	" /26	" "
27.	स्वराज कुमार बनर्जी	" /27	" "
28.	कल्यानकर गुप्त	" /28	" "
29.	अरुप कुमार राय	" /29	" "
30.	बैद्यनाथ चटर्जी	" /30	" "
31.	सभित कुमार बोस	" /31	" "
32.	सितांशु कुमार घोष	" /32	" "
33.	दिलीप कुमार दास गुप्त	" /33	" "
34.	तपन कुमार दास	" /34	" "
35.	अमित रंजन सरकार	" /35	" "
36.	मानिकलाल कुन्डू	" /36	" "
37.	कमलेश नन्दी	" /37	" "
38.	विभूति भूषण सेन	" /38	" "
39.	विश्वनाथ सेनगुप्त	" /39	" "
40.	बिश्वजीत मुखर्जी	" /40	" "
41.	अमरनाथ चक्रवर्ती	" /41	" "
42.	प्रसुन कुमार मैत्र	" /42	" "
43.	मधुसूदन भट्टाचार्य	" /43	" "
44.	अबनी मोहन गांगुली	" /44	" "
45.	बैद्यनाथ मुखर्जी	" /45	" "
46.	दीपक चन्द्र मजुमदार	" /46	" "
47.	सिब कुमार नियोगी	" /47	" "
48.	समीर कुमार राय-I	" /48	" "
49.	अशोक कुमार मित्र	" /49	" "
50.	सचिन्द्र नाथ शर्मा	" /50	" "
51.	कनाई लाल चटर्जी	" /51	" "
52.	मलय कुमार बनर्जी	" /52	" "
53.	अमूल्य रतन सिंह	" /53	" "
54.	धीरेन्द्र नाथ बनर्जी-II	" /54	" "

1	2	3		4
	सर्वश्री			
55.	विमल चन्द्र चक्रवर्ती	प्रशासन-I/आर०सी०/281/55	1-11-85	1-11-85
56.	दिपेन्द्र कुमार बोस	″ /56	″	″
57.	तपन कुमार भौमिक	″ /57	″	″
58.	रतन कुमार दास	″ /58	″	″
59.	प्रशान्त कुमार भौमिक	″ /59	″	″
60.	इन्दुभूषण चक्रवर्ती	″ /60	″	″
61.	अमरनाथ पाल	″ /61	″	″
62.	मनीभूषण चक्रवर्ती	″ /62	″	″
63.	मिहिर सेनगुप्त	″ /63	″	″
64.	देवव्रत कुमार दे	″ /64	″	″
65.	सुशील रंजन पाल	″ /65	″	″
66.	पूरन चन्द्र धर	″ /66	″	″
67.	चन्द्रनारायण मिश्र	″ /67	″	″
68.	रमेन्द्रनाथ बोस	″ /68	″	″
69.	चित्तरंजन चौधुरी	″ /689	″	″
70.	जहर लालदत्त	″ /70	″	″
71.	रमेन्द्र नाथ दत्त	″ /71	″	″
72.	सुबोध चन्द्र भट्टाचार्य	″ /72	″	″
73.	कालीदास गांगुली	″ /73	″	″
74.	शांती प्रिय कर	″ 74/	″	″
75.	सुनील कुमार गांगुली	″ /75	″	″
76.	मंजु गोपाल चट्टोपाध्याय	″ /76	″	″
77.	प्रसेनजीत चौधुरी	″ /77	″	″
78.	विजय कृष्ण सेन	″ /78	″	″
79.	रजत कुमार दत्त	″ /79	″	″
80.	अशीस कुमार मित्र-II	″ /80	″	″
81.	नारायण चन्द्र कुन्डू	″ /81	″	″
82.	नन्द गोपाल गोस्वामी	″ /82	″	″
83.	सनत राय चौधुरी	″ /83	″	″
84.	सन्तोष कुमर मित्र	″ /84	″	″
85.	तरुन कुमार भट्टाचार्य	″ /85	″	″
86.	शान्ति भूषण सिन्हा	″ /86	″	″
87.	हीरालाल साहा-II	″ /87	″	″
88.	सतीशचन्द्र भक्त	″ /88	″	″
89.	सिद्धेश्वर चटर्जी	″ /89	″	″
90.	सुनील कुमार राय-II	″ /90	″	″
91.	दिलीप कुमार बनर्जी	″ /91	″	″
92.	निलय कुमार भट्टाचार्य	″ /92	″	″
93.	सुशान्त कुमार मुखर्जी	″ /93	″	″
94.	तरित चन्द्र मित्र	″ /94	″	″
95.	अजीत कुमार दत्त	″ /95	″	″
96.	शिशुतोष बनर्जी	″ /96	″	″
97.	नारायणचन्द्र सेनगुप्त	″ /97	″	″
98.	अमलेन्द दास	″ /98	″	″
99.	अजय कुमार मण्डल	″ /99	″	″

1	2	3	4
	सर्वश्री		
100.	सत्य चरण मण्डल	प्रशासन-I/आर०सी०/281/100	1-11-85 1-11-85
101.	बिमान चन्द्र सेन	" /101	" "
102.	विष्णुपद घोष	" /102	" "
103.	भगवान चन्द्र बिस्वास	" /103	" "
104.	सुव्रत सरकार	" /104	" "
105.	कल्याण कुमार दत्त राय	" /105	" "
106.	तमल कान्ति कोल	" /106	" "
107.	सुधांशु भूषणदास	" /107	" "
108.	आशुतोष चौधुरी	" /108	" "
109.	श्रीमती सुमिता चटर्जी	" /109	" "
110.	निन्यानन्द बसाक	" /110	" "
111.	कमलकान्ति राय	" /111	" "
112.	सुप्रिति कुमार चटर्जी	" /112	" "
113.	नारायणचन्द्र साहा-II	" /114	" "
114.	परितोष सरखेल	" /115	" "
115.	मोहरलाल बनर्जी	" /116	" "
116.	बेनुगोपाल चौधुरी	" /117	" "
117.	मधुसूदन जाना	" /118	" "
118.	नारायण चक्रवर्ती	" /119	" "
119.	मृणाल कान्ति बिस्वास (I)	" /120	" "
120.	निमचन्द्र साहा	" /121	" "
121.	अमल कृष्ण घोष	" /122	" "
121ए.	रामधारी मलिक	" /1	" "
122.	सीमनाथ घोष	" /123	" "
123.	बिलाश बिहारी नाथ	" /124	" "
124.	श्याम सुन्दर नन्दी	" /125	" "
125.	मृणाल कान्ति बिस्वास-III	" /126	" "
126.	देवशंकर समद्दार	" /127	" "
127.	समीर कुमार मुखोपाध्याय	" /128	" "
128.	गौरंग चन्द्र सरकार	" /129	" "
129.	निरंजन चक्रवर्ती (1)	" /130	" "
130.	कमला कान्त बिस्वास	" /131	" "
131.	नन्दलाल राउथ	" /132	" "
132.	लक्ष्मण चन्द्र नस्कर	" /133	" "
133.	रंजीत चन्द्र राय	" /134	" "
134.	तुषारकान्ति दास गुप्त	" /135	" "
135.	अमर कुमार चक्रवर्ती	" /136	" "
136.	देवी कुमार भट्टाचार्य	" /137	" "
137.	चित्त प्रिय बनर्जी	" /138	" "
138.	विश्वनाथ खाँन	" /139	" "
139.	परिमल गांगुली	" /140	" "
140.	पल्लव कुमार पाल	" /141	" "
141.	समरेन्द्र नाथ कर	" /142	" "
142.	समत कुमार सेन	" /143	" "
143.	निशिकान्त हल्दार	" /144	" "

1	2	3		4
	सर्वश्री			
144.	समीर कुमार पाल–III	प्रशासन–I/आर० सी०/281/147/145	1–11–85	1–11–85
145.	रतनमनी चक्रवर्ती	" /146	"	"
146.	मिहिर रंजन मजुमदार	" "	"	"
147.	तरुनाभ सिन्हा	" /148	"	"
148.	अलोक रंजन सेन गुप्त	" /149	"	"
149.	अजीत मोहन राय	" /150	"	"
150.	अश्विनी कुमार सील	" /151	"	"
151.	मतिमय बनर्जी	" /152	"	"
152.	अरूप कुमार भट्टाचार्य	" /153	"	"
153.	रंजीत कुमर भट्टाचार्य	" /154	"	"
154.	मिहिर कान्ति भट्टाचार्य	" /155	"	"
155.	मृणान्त कुमार चौधुरी	" /156	"	"
156.	समीरन दास–I	" /157	"	"
157.	रथिन्द्र नाथ मिश्र	" /158	"	"
158.	असीम कुमार नन्दी	" /159	"	"
159.	नारायण चन्द्र घोष–II	" /160	"	"
160.	अशोक कुमार मुखर्जी–III	" /161	"	"
161.	स्वपन कुमार सन्त्रा	" 162	"	"
162.	अबुल कलाम समशुद्दीन	" /163	"	"
163.	पंकज कुमार दत्त	" /164	"	"
164.	कालीसदन कुन्डू	" /165	"	"
165.	नारायण चन्द्र घोष–I	" /166	"	"
166.	समीर कुमार बनर्जी–II	" /167	"	"
167.	परितोष आचार्य	" /168	"	"
168.	मनोरंजन गोस्वामी	" /169	"	"
169.	सुजीत कुमार सेनगुप्त	" /170	"	"
170.	देवेन्द्र चन्द्र पाल	" /171	"	"
171.	राधा कान्त दत्त	" /172	"	"
172.	प्रजीत कुमार दे	" /173	"	"
173.	मनीन्द्रनाथ दास	" /174	"	"
174.	चित्तरंजन मण्डल	" /175	"	"
175.	नकुल चन्द्र मिद्दा	" /176	"	"
176.	शान्तिमय दास	" /177	"	"
177.	मनमथ दत्त	" /178	"	"
178.	रमेन्द्र नाथ बसु	" /179	"	"
179.	मतिरंजन दास	" /180	"	"
180.	चण्डीदास मुखर्जी	" /181	"	"
181.	विश्वनाथ दत्त	" /182	"	"
182.	सन्तोष कुमार सरकार–II	" 183	"	"
183.	जातिन्द्रनाथ मजुमदार–I	" /184	"	"
184.	मानिक लाल भट्टाचार्य	" /185	"	"
185.	गौरीशंकर दत्त	" /186	"	"
186.	माखन लाल चक्रवर्ती	" /187	"	"
187.	नकुल चन्द्र परुई	" /188	"	"

1	2	3	4
	सर्वश्री—		
188.	सखानाथ किर्तानिया	प्रशासन-I/आर०सी०/281/189	1-11-85 1-11-85
189.	कमलाक्षी मुखर्जी	" /190	" "
190.	जयदेव सनपुई	" /191	" "
191.	मजुश्री दासगुप्त	" /192	" "
192.	मृणाल कुमार मतीलाल	" /193	" "
193.	सुबिमल कान्ति लोध	" /194	" "
194.	बुबाल कुमार मुखर्जी	" /195	" "
195.	इन्द्रजीत कुमार घोष	" /196	" "
196.	तुषार कान्ति भट्टाचार्य	" /197	" [redacted]
197.	दिलीप कुमार राय-I	" /198	"
198.	हिमांसु दे	" /199	" "
199.	अधीर कुमार दास	/200	" "
200.	सुबिमल राय	" /201	" "
201.	बसन्ता कुमार करन	" /202	" "
202.	सरोज कुमार भट्टाचार्य	" /203	" "
203.	परिमल चक्रवर्ती-I	" /204	" "
204.	देवप्रसाद दास-III	" /205	" "
205.	अखिल कुमार मुखर्जी	" /206	" "
206.	पतित पावन पाल	" /207	" "
207.	निरंजन चक्रवर्ती -III	" /208	" "
208.	सुबीर कुमार दत्त	" /209	" "
209.	अजय प्रसाद घोष	" /210	" "
210.	नीलमनी नन्दी	" /211	" "
211.	उत्पल दासगुप्त	" /212	" "
212.	इन्द्रजीत चन्द्र पाल	" /213	" "
213.	समरेश भट्टाचार्य	" /214	" "
214.	समीर कुमार नन्दी	" /215	" "
215.	प्रणब कुमार सेनगुप्त	" /216	" "
216.	प्रणव कुमार चक्रवर्ती	" /113	" "
217.	मणिकलाल सन्त्रा	" /217	" "
218.	हरधन श्रीमणी	" /218	" "
219.	सत्येन्द्रनाथ खान	" /219	" "
220.	पार्थचरण पटनी	" /220	" "
221.	सुदर्शन मलाकार	" /221	" "
222.	प्रतिमा बन्दोपाध्याय	" /222	" "
223.	ज्योतिरमय भट्टाचार्य	" /223	" "
224.	नरेश राय	" /224	" "
225.	हारू चन्द्र नाग	" /225	" "

राखाल रंजन सेन
लेखा अधिकारी (प्रशासन)
महा लेखाकार (लेखा परीक्षा) प० बंगाल

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

नई दिल्ली-110 066—दिनांक 6 जून 1986

सं० प्रशा०/1/1172/1/जिल्द-vi—राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (स्तर-ii) (मान रुपये 2250-125/2-2500) में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए उनके नामों के सामने दर्शाई गए दिनांक से आगामी आदेश पर्यन्त सहर्ष नियुक्त करते हैं।

क्रम सं०	नाम	दिनांक
1.	श्री रमेश डी० राव	15-1-86 (अपराह्न)
2.	श्री चरनजीत लाल	8-5-86 (अपराह्न)

सं० प्रशा०/1/1172/1/—राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के एक अधिकारी श्री डी० के० चेतसिंह, जो रक्षा मंत्रालय (वित्त) नई दिल्ली में निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (स्तर-ii) (वेतनमान रु० 2250-125/2/2500) में दिनांक 18 जुलाई 1985 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रोफार्मा पदोन्नति सहर्ष प्रदान करते हैं।

आर० बी० कपूर
रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक (प्रशासन)

श्रम मंत्रालय

खान सुरक्षा महानिदेशालय

धनबाद, दिनांक 11 जून 1986

सं०-2(6)81-प्रशा०-/4526—श्री सतीश कुमार छाबरा को खान सुरक्षा महानिदेशालय में सहायक निदेशक के पद पर अस्थाई रूप में 5 सितम्बर 1985 पूर्वाह्न से अगला आदेश दिये जाने तक नियुक्त किया गया।

वि० च० वर्मा
खान सुरक्षा महानिदेशक

पूर्ति तथा वाणिज्य मंत्रालय

पूर्ति विभाग

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 1986

सं० ए-1/1 (908)—निवर्तन की आयु प्राप्त कर लेने पर इस महानिदेशालय के स्थायी कनिष्ठ प्रगति अधिकारी तथा स्थानापन्न सहायक निदेशक (ग्रेड-II) श्री एस० पी० सबुजा 31 मई 1986 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

वी० साखरे
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महा निदेशक, पूर्ति तथा निपटान

(प्रशासन अनुभाग-1)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून 1986

सं० अ-I/2 (353)ix—राष्ट्रपति ने, सर्वश्री पी० एस० ग्लैड तथा आर० पी० सिंह को दिनांक 1-8-1977 से आगामी आदेशों के किए जाने तक स्थानापन्न आधार पर उप-निदेशक, पूर्ति के पद पर नियुक्त किया है। उपनिदेशक पूर्ति के पद के लिए बनाई गईसंशोधित सूची के अनुसार, सर्वश्री पी० एस० ग्लैड तथा आर० पी० सिंह की वरिष्ठता श्री जे०सहाय से नीचे और श्री सुरजीत लाल से ऊपर रहेगी।

वी० साखरे
उप निदेशक (प्रशासन)

उद्योग मंत्रालय

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 1986

सं० ए०-19018 (27)/73-प्रशा० (राज०)—तकनीकी विकास महानिदेशालय में विकास अधिकारी (रसायन) के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप श्री एल० टी० पी० सिन्हा ने लघु उद्योग सेवा संस्थान नई दिल्ली में 29 अप्रैल 1986 (अपराह्न) से उप निदेशक (कांच एवं मृत्तिका) के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० 12 (376)/62-प्रशा० (राज०)—राष्ट्रपति, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) कार्यालय नई दिल्ली के उपद निदेशक (यांत्रिकी) श्री एल० एम० माथुर को एसी कार्यालय में 16-4-1986 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक निदेशक ग्रेड-II (यांत्रिकी) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सी० सी० राय
उप निदेशक (प्रशासन)

वस्त्र मंत्रालय

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

बम्बई-20, दिनांक 5 जून 1986

सं० सी० ई० आर०/6/86-सी० एल० बी 501—वस्त्र नियंत्रण) आदेश 1986 के खण्ड 4 के उपखण्ड (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा इस अधिसूचना के साथ "फार्म-ए" के रूप में संलग्न फार्म को कथित आदेश के खण्ड

के उपखण्ड (1) के प्रतिपादन में बनाए जानेवाले आवेदन पत्र के रूप में निर्दिष्ट करता हूं।

(मिसिल सं० 2 (9)/86-सी० एल० बी०)

टी० रामचंद्र राव

औद्योगिक सलाहकार

फार्म—ए

वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना सं० सी० ई० /6/86-सी० एल० बी० दिनांक 5 जून 1986 का परिशिष्ट)

वस्त्र (नियंत्रण) आदेश 1986 के खण्ड 4 के अन्तर्गत कताई मशीनों की स्थापना हेतु प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र।

1. आवेदक का नाम
2. आवेदक का पूरा पता
3. कारखाने का नाम
4. कारखाने का पता
5. मालिक, भागीदार का नाम या यदि कंपनी हो तो निदेशक का नाम
6. ईकाई लाने हेतु वस्त्र आयुक्त/राज्य प्राधिकारी द्वारा दी गई पंजीकरण सं०
7. कताई मशीन की वर्तमान स्थापित क्षमता का विवरण
8. स्थापना के लिए प्रस्तावित कताई मशीन (पंजीकरण की फोटोस्टेट कॉपी लगाए)

विवरण	मशीन की संख्या	प्रति मशीन तकुए/रोटर की संख्या	कुल
(एक) रिंग फ्रेम			
(दो) ओ० ई० मशीन			
(तीन) अन्य यदि कोई हो।			

9. कताई के लिए प्रस्तावित सूत का प्रकार
10. स्थापना के लिए शुल्क हेतु डिमांड ड्राफ्ट का ब्यौरा
11. अन्य कोई संबधित जानकारी

हस्ताक्षर ————————

स्थान :

दिनांक :

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-700016, दिनांक 6 जून 1986

सं० 3339-बी/ए-32013(प्रशा० अधि०)/78-19-सी— भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधीक्षक श्री डी० वेंकेश्वरन को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उसी विभाग में नियमानुसार 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000 द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान के वेतन पर, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, परिचालन यूनिट तमिलनाडु, केरल एवं पांडिचेरी, मद्रास के प्रशासनिक अधिकारी श्री एम० आर० रामचन्द्र की अवकाश रिक्ति में 6-1-86 से 7-3-86 तक की अवधि के लिए 6-1-86 के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर नियुक्त कर रहे हैं।

अमित कुमारी

निदेशक (कार्मिक)

कृते महानिदेशक

नई दिल्ली दिनांक 10 जून 1986

सं० 3371-बी/ए-19012(पी० के०)/86-19-ए— भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक (डी० ओ०) श्री पी० कन्दास्वामी को कलाकार के रूप में उसी विभाग में नियमानुसार 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपए के वेतनमान के वेतन पर स्थानापन्न क्षमता में आगामी आदेश होने तक 31 जनवरी 1986 के पूर्वाह्न से पदोन्नति पर नियुक्त कर रहे हैं।

दिनांक 4 जून 1986

सं० 3257-बी/ए-19012(2-एल० एन० एस०)/85-19-बी—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भूभौतिकी) श्री लोकनाथ सिंह को सहायक भूभौतिकीविद के रूप में उसी विभाग में नियमानुसार 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1200 रु० के वेतनमान के वेतन पर अस्थायी क्षमता में आगामी आदेश होने तक 6-1-86 के पूर्वाह्न से नियुक्त कर रहे हैं।

सं० 3269-बी/ए-19012(3-पी० टी०)/85-19-बी— भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन) श्रीमती प्रतिमा तिवारी को सहायक रसायनज्ञ के पद पर उसी विभाग में नियमानुसार 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान के वेतन पर अस्थायी क्षमता में आगामी आदेश होने तक 17-2-1986 के पूर्वाह्न से नियुक्त कर रहे हैं।

दिनांक 6 जून 1986

सं० 3316-बी/ए-19012(2-बी० एस०)/85-19-बी— भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भूभौतिकी) श्री विधान सरकार को सहायक भूभौतिकीविद के रूप में उसी विभाग में नियमानुसार 650-30-740-

35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपए के वेतनमान के वेतन पर अस्थायी क्षमता में आगामी आदेश होने तक 18-10-85 के अपराह्न से नियुक्त कर रहे हैं।

सं० 3328-बी/ए-19012(2-एस० के० डी०) 85-19-बी—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक श्री एस० के० ओमेंवार को सहायक भूभौतिकीविद के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के न्यूनतम वेतनमान में अस्थायी क्षमता में आगामी आदेश होने तक 27-2-86 के पूर्वाह्न से नियुक्त कर रहे हैं।

सं० 3349-बी/ए-19012(4-ए० के० पी०)/86-19-बी—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ड्रिलिंग) श्री ए० के० प्रमाणिक को ड्रिलर के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में नियमानुसार 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान के वेतन पर स्थानापन्न क्षमता में आगामी आदेश होने तक 31 जनवरी 1986 के पूर्वाह्न पर नियुक्त कर रहे हैं।

अमित कुशारी
निदेशक (कार्मिक)
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

फिल्म प्रभाग

बम्बई-26 दिनांक 29 मई 1986

सं० ए-12025/3/85-आर० सी०—मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग ने श्री एम० एन० मिश्रा स्थानापन्न कैमरा मैन, पूर्व क्षेत्र निर्माणकेन्द्र, फिल्म प्रभाग, कलकत्ता को 15-4-1986 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक रुपए 840-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में फिल्म प्रभाग, गोहाटी में तदर्थ आधार पर समाचार चित्र अधिकारी नियुक्त किया है।

एन० एन० शर्मा
प्रशासनिक अधिकारी
कृते मुख्य निर्माता

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय

नई दिल्ली-66, दिनांक 10 जून 1986

सं० ए-19011/6/85 प्रशासन—इस कार्यालय की दिनांक 29-7-85 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) केरल त्रिवेन्द्रम के कार्यालय के लेखा अधिकारी श्री पी० डोरईस्वामी की भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय, मदास में परिचालन अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि 1-7-86 से 30-6-87 तक एक वर्ष के लिए विद्यमान शर्तों के अन्तर्गत बढ़ाई जाती है।

सं० ए-19011/1/86-प्रशासन—उद्योग मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय के लेखा अधिकारी श्री आर० सी० भारद्वाज को भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय, नई दिल्ली में दिनांक 30-5-86 (अपराह्न) से परिचालन अधिकारी (वरिष्ठ) के रूप में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. श्री आर० सी० भारद्वाज की प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रथमतया एक वर्ष होगी और कथित अवधि के दौरान उन पर समय-समय पर यथा संशोधित/स्पष्टीकृत वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 10(24)/3/60 दिनांक 4-5-1961 में निहित शर्तें लागू होंगी।

कृपा सागर
भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून 1986

सं० 6(59)/63-एस-एक—श्री एम० रामास्वामी, कार्यक्रम निष्पादक, आकाशवाणी, त्रिवेन्द्रम निवर्तन पर 31 मई, 1986 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत हो गए हैं।

आई० एस० पांधी
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 1986

सं० ए-35017/1/84-प्रशासन-I—राष्ट्रपति ने श्री एम० बापी राजू, लेखा-परीक्षा अधिकारी, महालेखापाल (लेखा-परीक्षा), उड़ीसा, भुवनेश्वर, को 19 मई, 1986 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप निदेशक लेखा (भण्डार) के पद पर नियुक्त किया है।

दिनांक 11 जून 1986

सं० ए० 30012/8/85-प्रशासन-I—सेवा निवृत्ति की आयु हो जाने के फलस्वरूप डा० एस० पी० गुप्ता, सहायक महानिदेशक (टी० बी०) 31 मई 1986 अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत हो गए हैं।

पी० एन० घई
उप निदेशक प्रशासन (सी० एण्ड बी०)

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म

मदास-52, दिनांक 14 मई 1986

सं० पी० एफ० 70/प्रशा०-85—केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम 1965 के नियम 5 के उपनियम (1)

के अनुसार मैं, डा० एम० पी० नागपाल, निदेशक, केन्द्रीय पशु-प्रजनन फार्म, अलामादी (आवडी) मद्रास-52 एतद्द्वारा श्री के० एम० राजी दोहक केन्द्रीय प्रजनन फार्म को यह सूचना देता हूं कि जिस तिथि को यह सूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होती है उससे लेकर एक महीने की अवधि पूरी होने की तिथि से उनकी सेवाएं समाप्त मानी जाएंगी ।

डा० एम० पी० नागपाल
निदेशक

कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय
उर्वरक विभाग
उर्वरक उद्योग समन्वय समिति

नई दिल्ली दिनांक 21 मई 1986

सं० 1(4)/उ० उ० रा० स०/86 प्रशासन—राष्ट्रपति नगरीय विकास मंत्रालय के लेखा अधिकारी श्री राम सिंह को उर्वरक उद्योग समन्वय समिति, उर्वरक विभाग, में रुपए 840-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में सामान्य प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर 23-4-1986 के (पूर्वाह्न) से एक वर्ष के लिए लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम० आर० नटराजन
कार्यकारी निदेशक

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 20 मई 1986

सं० ए0 32013/7/83-ई० सी०—राष्ट्रपति नागर विमानन विभाग के निम्नलिखित सहायक तकनीकी अधिकारियों की तकनीकी अधिकारी के पद पर की गई तदर्थ नियुक्ति को सामने दी गई तारीख बढ़ाते हैं :—

क्र० सं०	नाम	से	तक
	सर्वश्री :—		
1.	ए० एन० परांजपे	28-1-85	31-3-86
2.	एस० एस० कांग	8-9-85	31-3-86
3.	के० सी० सचदेवा	20-11-85	31-3-86

2. उपरोक्त अधिकारी तदर्थ नियुक्ति की अवधि बढ़ा दिए जाने से तकनीकी अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे और तदर्थ आधार पर की गई सेवा न तो उस ग्रेड में वरीयता और न ही उच्चतम ग्रेड में पदोन्नति की पात्रता के लिए गिनी जाएगी ।

वी० जयचन्द्रन
उपनिदेशक प्रशासन
कृते महानिदेशक नागर विमानन

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 1986

सं० ए0-31015/2/85-ई० सी०—राष्ट्रपति ने नागर विमानन विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (वेतन-मान 1100-50-1600 रुपए) के ग्रेड में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किया है :—

क्रम सं०	नाम	स्थानापन्न आधार पर नियुक्ति की तारीख
	सर्वश्री :	
1.	एस० के० कक्कड़	1-8-79
2.	रिसाल सिंह	28-2-80
3.	डी० सी० मेहता	28-2-80
4.	पी० सेठ	28-2-80
5.	आर० एस० गहलोत	28-2-80
6.	बी० के० खन्डेलवाल	28-2-80
7.	एस० के० सरस्वती	2-2-80
8.	एस० पी० हरदास	4-7-780
9.	बी० एन० एम० राव	4-7-80
10.	वी० के० चौधरी	4-7-80
11.	सुशील कुमार	8-7-80
12.	पी० एस० मलिक	4-7-80
13.	आर० के० सूद	4-7-80
14.	जे० वी० शर्मा	4-7-80
15.	एम० एम० पोलस	4-7-80
16.	के० सुरेन्द	4-7-80
17.	एस० के० गोखिलकर	4-7-80
18.	राकेश कुमार	4-7-80
19.	के० एस० नरसिम्हन	13-7-80
20.	रूप चन्द	13-7-80
21.	विजय पवार	3-9-81
22.	ए०के० बंसल	3-9-81
23.	डी० अग्रालागन	26-9-81
24.	बी० डी० गारेकर	26-9-81
25.	एस० पी० कोनार	21-12-81
26.	लखन कुमार	1-8-83
27.	एम० इरूलप्पन	1-8-83
28.	विश्वनाथ	1-8-83
29.	आर० संगतकुमारन	1-8-83
30.	यू० एन० सिंह	1-8-83
31.	पी; के० बी० नायर	1-8-83

दिनांक 30 मई 1986

सं० ए० 32013/12/84-ई० सी०—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित सहायक संचार अधिकारियों को उनके द्वारा उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 31 मार्च, 1986

तक नागर विमानन विभाग में तदर्थ आधार पर संचार अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं। उन्हें उनके नाम के सामने दिखाए गए स्टेशन पर तैनात किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती का स्टेशन	स्टेशन जिसमें तैनाती हुई है	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3	4	5
1	श्री एस० एस० एन० मूर्ति . . .	वैमानिक संचार स्टेशन, मद्रास।	वैमानिक संचार, स्टेशन, मदास।	15-1-86 (पूर्वाह्न)
2	श्री टी० एस० रेखी . . .	वैमानिक संचार स्टेशन, लखनऊ।	वैमानिक संचार स्टेशन, लखनऊ।	17-1-86 (अपराह्न)
3	श्री आर० टी० सिंह . . .	नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद।	नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद।	27-1-86 (अपहाह्न)
4	श्री बी० जी० सुन्दररामन . . .	वैमानिक संचार स्टेशन, मद्रास।	वैमानिक संचार स्टेशन, मद्रास।	15-1-86 (पूर्वाह्न)

सं० ए-32013/14/84-ई० सी०—राष्ट्रपति, नागर विमानन विभाग में निम्नलिखित अधिकारियों को 28 फरवरी 1986 से सहायक निदेशक संचार के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं। और अगले आदेश होने तक उनको महानिदेशक नागर विमानन का मुख्यालय नई दिल्ली में तैनात करते हैं।

1 श्री आर० सी० छिनकारा — वरिष्ठ संचार अधिकारी

2 श्री विजय पंवार — वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी

सं० ए-38013/3/85-ई० सी०—नागर विमानन विभाग के वैमानिक संचार संगठन के निम्नलिखित अधिकारियों ने सेवा निवृत्त करने की आयु प्राप्त कर लेने पर सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर नीचे दी गई तारीख को अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया।

क्रम सं०	नाम व पदनाम	तैनाती स्टेशन	सेवानिवृत्ति की तारीख
1	श्री एस० कृष्णामूर्ति वरिष्ठ संचार अधिकारी	वैमानिक संचार स्टेशन मद्रास	31-10-85 (अपरान्ह)

सं० ए-12025/1/85-ई० सी०—राष्ट्रपति श्री एन० वैकटापथीराज को दिनांक 1-8-1985 से नागर विमानन विभाग के वैमानिक संचार संगठन में तकनीकी अधिकारी (वेतनमान : रुपये 700-1300) के पद पर नियुक्त करते हैं। उन्हें वैमानिक संचार स्टेशन मदास में तैनात किया जाता है।

वी० जयचन्द्रन
उपनिदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 1986

सं० ए0-39013/1/82-ई० एस०—राष्ट्रपति, नागर विमानन विभाग के निम्नलिखि अधिकारियों की उपनिदेशक/नियंत्रक उड़नयोग्यता के ग्रेड में की गई तदर्थ नियुक्ति की प्रत्येक के सामने दी गई अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्रम सं०	नाम	से	तक
	सर्व श्री		
1	एम० एस० इब्राहिम	16-10-85	15-1-86
2.	के० प्रभाकर	11-11-85	10-2-86
3.	कलाश नारायण	7-11-85	6-2-86

दिनांक जून, 1986

सं० ए० 32012/2/82-ई० एस0—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की वरिष्ठ उड़नयोग्यता अधिकारी के ग्रेड में की गई तदर्थ नियुक्ति को उनके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सर्वश्री	से	तक
1. एस० एस० नट	1-9-85	20-2-86
2. एस० एस० कुनेर	वही	वही
3. अनुपम बागची	वही	वही
4. एच० एम० फुल	वही	वही
5. मोहम्मद मुस्तफा	वही	वही
6. देव प्रसन्ना घोष	वही	वही
7. एल० एम० माथुर	वही	वही
8. डी० पी० घोष	वही	वही

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 1986

सं०—12025/1/84-ई० एस०—संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रपति (श्री बिपनब दत्ता को दिनांक 6-5-1986 (पूर्वाह्न) से अन्य आदेश होने तक 700-1300 रुपये के वेतनमान में स्थानापन्न रूप में उड्डयन योग्यता अधिकारी के पद पर नियुक्त करते है।

श्री बिपनब दत्ता को निदेशक उड्डयनयोग्यता कलकत्ता एयरपोर्ट कलकत्ता के कार्यालय में तैनात किया गया है।

सं० ए०-38013/1/86-ईए—निदेशक विमानक्षेत्र, मद्रास के कार्यालय के विमानक्षेत्र अधिकारी श्री आर० सम्पत् सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 30-4-1986 से सरकारी सेवा से निवृत हो गए हैं।

एम० भट्टाचार्जी
उपनिदेशक, प्रशासन

वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय

देहरादून, दिनांक 11 जून 1986

सं० 16/436/85-स्थापना-1—अध्यक्ष, वन अनुसन्धान संस्थान एवं महाविद्यालय देहरादून के जी० टी० वी० चटर्जी सहायक शिक्षक, पूर्वी वन राजिक महाविद्यालय कुर्सीयांग की सेवाएं दिनांक 30-4-86 के अपराह्न से अण्डमान निकोबार वन विभाग के सुपुर्द कर दी है।

दिनांक 13 जून 1986

सं० 16/445/85-स्थापना-1—अध्यक्ष, वन अनुसन्धान संस्थान एवं महाविद्यालय देहरादून श्री कृष्ण कान्त श्रीवास्तव के वन अनुसन्धान संस्थान एवं महाविद्यालय देहरादून के अन्तर्गत रोग कीट संवेधरण के केन्द्र के अन्तर्गत अनुसन्धान अधिकारी के पद पर दिनांक 25-4-1986 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जे० एन० सक्सेना, कुल सचिव
वन अनुसन्धान संस्थान एवं महाविद्यालय

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड

फरीदाबाद दिनांक 7 जून 1986

सं० 3-746/मु० जल भू० (स्था०)—श्री मुकेश कुमार शर्मा को दिनांक 26-5-1986 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में सहायक जल भूवैज्ञानिक के पद पर जी० सी० एस० समूह-ख (राजपत्रित) वेतनमान रू० 650-30-740-35-810-द०-रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 में अस्थाई तौर पर नियुक्त किया जाता है।

बी० पी० सी० सिन्हा, मुख्य जल भूवज्ञानिक एवं सदस्य

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 1986

सं० 7/1/86-प्रशा-1 (बी०) विभागीय पदोन्नति समिति (समूह-ख) की संस्तुतियों के आधार पर अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से केन्द्रीय विद्युत इंजिनियरिंग (समूह-ख) सेवा मे अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियन्ता की श्रेणी में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मूल स्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	अतिरिक्त सहायक निदेशक के पद पर मूल स्थायी रूप मे नियुक्ति की तारीख
1.	श्री एस० सी० रावल	सहायक निदेशक	28-9-82
2.	श्री रामाकृष्णन के०	उप निदेशक	28-9-82
3.	श्री बी० सी० मंडल	उप निदेशक	28-9-82
4.	श्री एम० के० दास	सहायक निदेशक	28-9-82
5.	श्री के० वी० एस० विजय कुमार	सहायक निदेशक	28-9-82
6.	श्री एम० एस० राव	उप निदेशक	28-9-82
7.	श्री जगेन्द कुमार	सहायक निदेशक	28-9-82
8.	श्री वी० एस० कैन	सहायक निदेशक	28-9-82
9.	श्री ई० राजगोपालाचार्यालू	सहायक निदेशक	28-9-82
10.	श्री बी० एम० सेठी	सहायक निदेशक	28-9-82
11.	श्री एस० के० जागसवाल	सहायक निदेशक	28-9-82
12.	श्री ओ० पी० गुप्ता-1	सहायक निदेशक	28-9-82
13.	श्री एम० पी० एस० विद्यार्थी	सहायक निदेशक	28-9-82
14.	श्री वाई० पी० एस० बोहल	सहायक निदेशक	28-9-82
15.	श्री रामशर्या राय	सहायक निदेशक	28-9-82
16.	श्री जी० एस० जागराजन	सहायक निदेशक	28-9-82
17.	श्री वी० के० खन्ना	सहायक निदेशक	28-9-82
18.	श्री एस० के० शारदा	सहायक निदेशक	28-9 82
19.	श्री एस० बी० अत्री	सहायक निदेशक	1-5-84
20.	श्री जी० के० नन्दा	सहायक निदेशक	31-8-84

आर० शेषाद्रि, अवर सचिव
कृते अध्यक्ष

परिवहन मंत्रालय

दक्षिण पूर्व रेलवे

कार्यालय महाप्रबन्धक

कलकत्ता: 700043, दिनांक 2 जून 1986

सं० पी०—जी०/14/300ई/भाग—II—इस रेलवे के कार्मिक विभाग के निम्नलिखित स्थानापन्न "ग्रुप वी०" के अधिकारियों का पुष्टीकरण उसी विभाग में ग्रुप—"बी" सेवा में प्रत्येक के नाम के सामने उल्लिखित तिथि से किया गया है।

क्रम सं०	नाम व पदनाम	पुष्टीकरण की तिथि
1.	श्री डी० एल० एन० मूर्ति, मण्डल कार्मिक अधिकारी, नागपुर (सेवा निवृत)	12-09-79
2.	वी० एस० भिवगडे मण्डल कार्मिक अधिकारी, बिलासपुर	01-03-82

अनूप सिंह,
महाप्रबन्धक

उद्योग एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं जुहू इन्वेस्टमेंट प्रा० लिमिटेड के विषय में

बम्बई, दिनांक 11 मई 1986

सं० 708/8958/560 (3)—कम्पनी अधिनियम 1956—की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख में तीन मास के अवसान पर जुहू इन्वेस्टमेंट प्रा० लि० का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

वी० राधाकृष्णन
कम्पनियों का अतिरिक्त रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र बम्बई

कम्पनी अधिनियम 1956 कनिक बिल्डर्स प्रा० लि० के विषय में

पटना-800001, दिनांक 6 जून 1986

सं० 1917/560/1428—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 3 के अनुसार एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर, कनिक बिल्डर्स प्रा० लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 और सी० इन्टरप्राइसेस इंजीनियर्स प्रा० लि० के विषय में

पटना-800001, दिनांक 6 जून 1986

सं० 1551/560/1431—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर सी० इन्टरप्राइसेस इंजीनियर्स प्रा० लि० का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से नाम काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

कम्पनी अधिसूचना 1956 और श्री शक्ति कोलड स्टोरेज एंड इंडस्ट्रिज प्रा० लि० के विषय में

पटना-800001, दिनांक 6 जून 1986

सं० 1467/560/1434—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर श्री शक्ति कोलड स्टोरेज एंड इंडस्ट्रीज प्रा० लि० का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 और डालमिया बिस्कुट प्रा० लि० के विषय में।

पटना-800001, दिनांक 6 जून 1986

सं० 1643/560/14374 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर डालमिया बिस्कुट प्रा० लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

ह० अपठनीय
कम्पनी रजिस्ट्रार
बिहार पटना

कम्पनी अधिनियम 1956 और मिदनापुर लोन एंड ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कलकत्ता, दिनांक 6 जून 1986

सं० 12014/560 (3)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मिदनापुर लोन एंड ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० लि० का नाम इसके प्रतिकूल कारण न दर्शित

न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

कम्पनी, अधिनियम 1956 और कल्याणी के० के० इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कलकत्ता, दिनांक 6 जून 1986

सं० 24252/560 (3)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर कल्याणी के० के० इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 और एस० गांगुली एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कलकत्ता, दिनांक 6 जून 1986

सं० 16864/560(3)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर एस० गांगुली एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और वेस्ट बंगाल साल्ट एण्ड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कलकत्ता, दिनांक 6 जून 1986

सं० 23156/560 (3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर वेस्ट बंगाल साल्ट एण्ड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और आर० एच० एस० चौधरी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कलकत्ता, दिनांक 6 जून 1986

सं० 17511/560 (3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर आर० एच० एस० चौधुरी कम्पनी एण्ड प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और आर० ए० एस० पी० इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कलकत्ता, दिनांक 6 जून 1986

सं० 27021/560 (3)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर आर० ए० एस० पी० इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और रेनबो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कलकत्ता, दिनांक 6 जून 1986

सं० 21649/560 (3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर रेनबो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और यांत्रिक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कलकत्ता, दिनांक 8 जून 1986

सं० 22149/560 (3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर यांत्रिक प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त विघटित कर दी जायेगी।

डी० के० पाल, कम्पनियों का रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल, कलकत्ता

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 28 मई 1986

निदेश सं० राज०/सहा०/ अर्जन/2690--- अतः मुझे, सुधीर चन्द्र,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० नीलकमल सिनेमा तथा जो भरतपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भरतपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 16-10-1985,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) श्री ... पुत्र श्री रेवतीसिंह व श्री हरीमोहन पोद्दार पुत्र श्री मदनमोहन पोद्दार, भरतपुर।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स आर० एस० शर्मा एण्ड कम्पनी (दिल्ली) प्रा० लि०, सी-3/60 जनकपुरी, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सिनेमा भवनों जिसे "नीलकमल तथा ..." कहा जाता है, स्थित भरतपुर जो उप पंजीयक, भरतपुर द्वारा क्र० सं० 1934 दिनांक 16-10-1985 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 28-5-1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, शिलांग

शिलांग, दिनांक 14 अप्रैल 1986

निदेश सं० ए/274/85-86/डी० बी०आर०/ए० क्यू०/एन०/14-16—अत: मुझे, श्री ई० जे० मावलौंग, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० दाग नं० 507, पी० पी० नं० 146 खोटिया-बारी वार्ड है तथा जो डिब्रूगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, डिब्रूगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 4-10-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) गणेश चन्द्र बरा, डिब्रूगढ़ पी० डब्ल्यू० डी० कालोनी, (अन्तरक)

(2) (1) प्रतुल चन्द्र गगोई (2) श्रीमती पूर्णिमा गगोई प्रतुल चन्द्र गगोई की पत्नि, जीवन फुकन नगर, पी० सी० आर० बिल्डिंग, डिब्रूगढ़। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि के बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का एरिया ओ० बी० 1 (एक) कट्टा जीरो लेसा पक्का मकान के साथ जिसका दाग नं० 507 पी०पी० नं० 146 खोटियाबारी वार्ड, डिब्रूगढ़ में स्थित है।

ई० जे० मावलौंग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, शिलांग

तारीख : 14-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 27 दिसम्बर, 1985

निदेश सं० ए०सी०-2/ एक्यू० रेंज-4 /ईई/ कलकत्ता 85-86—अत: मुझे, शेख नईमुद्दीन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 150 है तथा जो जी० टी० रोड, आसनसोल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 4-10-1985,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एन० डी० भायाणी।

(अन्तरक)

(2) श्री मुकुल पामिसिया।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन—10 काटा जमीन का साथ मकान का 1/4 भाग, पता—150, जी०टी० रोड, (ईस्ट) आसनसोल। दलील सं० 1985 का 37ईई नं० 10/ एक्यू० रेंज/कलकत्ता 85-86

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता

तारीख : 27-12-1985
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 27 दिसम्बर, 1985

निदेश सं० ए०सी०-3/ एक्यू० रेंज-4/ईई/ कलकत्ता/ 85-86—अतः मुझे, शेख नईमुद्दीन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 150 है तथा जो जी० टी० रोड, (ईस्ट) आसनसोल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 1-10-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एस० डी० मायावस।

(अन्तरक)

(2) श्री ज्योति प्रकाश पारिसिया।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन—10 काठा जमीन का साथ मकान का 1/4 भाग पता—150, जी० टी० रोड, (ईस्ट आसनसोल जिला—वर्धमान।

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता

तारीख : 27-12-1985
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता दिनांक 27 फरवरी 1986

निर्देश सं० ए० सी०-35 / एक्यू० रेंज-IV / कलकत्ता/85

86-अतः मुझे शेख नईमुद्दीन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 150 है तथा जो महेश, श्रीरामपुर, हुगली में स्थित है और जिसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, श्रीरामपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-10-1985,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

(1) श्री प्रभास चन्द्र राय, श्री विभूति भूषण राय, श्रीमति इन्दु बाला राय।

(अन्तरक)

(2) वपेग इनवेस्टमेन्ट लि०।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन—1 बीघा 5 काठा।

पता—मौजा—महेश थाना—श्रीरामपुर जिला—हुगली।

दलील सं० —1985 का 5068

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता

तारीख : 27-2-1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 3 जून 1986

निदेश सं० 3/अक्तूबर, 1986—अत: मुझे, श्रीमति आर० जानकीरामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० उडुमलै है, तथा जो तिरूप्पूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उडुमलपेठ/लेख सं० 2517/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिन अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एस० देवराज।

(अन्तरक)

(2) श्री रामचन्द्र नायडू।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि खेतीपूलंकिनार गांव—उडुमल, तिरूप्पूर उडुमलपेठ लेख सं० 2517/85

आर० जानकीरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख : 3-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई., टी., एन., एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 3 जून 1986

निदेश सं० 4/अक्तूबर, 1985--- अतः मुझे, आर० जानकीरामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)., की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि खेती कुरूडम्पालयम है, तथा जो कोयम्बत्तूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पेरियानायकनपालयम लेख सं० 2477/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 85 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :---

(1) श्री ए० रंगसामि और अन्य।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स टेक्समाको इन्जीनियरिंग तथा पार्टनर श्री ए० रंगसामि।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि खेती— कुरूडम्पालयम गांव—कोयम्बत्तूर पेरियनायकनपालयम लेख सं० 2477/85

आर० जानकीरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख : 3-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 3 जून 1985

निदेश सं० 5/अक्तूबर/85—अत: मुझे, आर० जानकीरामन, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जहांगीर हाउस डोर सं० 213 राजा स्ट्रीट, है तथा जो कोयम्बत्तूर-2 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयम्बत्तूर में लेख सं० 4519/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1985

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री ओडिन शाह और अन्य तथा पावर आफ अटारनी एजेण्ट श्री ए० राघवेन्द्रराव।

(अन्तरक)

(2) श्री रामलाल और अन्य।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान "जहांगीर हाउस" 213, राजा स्ट्रीट कोयम्बत्तूर। लेख सं० 4519/85

आर० जानकीरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख : 3-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज मद्रास

मद्रास, दिनांक 3 जून 1986

निदेश सं० 9/अक्तूबर 1985-- अतः मुझे श्री आर० जानकीरामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० पुंजा भूमि चेट्टिपालयम है तथा जो कोयम्बत्तूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय किणक्कुडवु लेख सं० 786/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्तूबर 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एम० एम० पेरिल गौंडर और उनके पुत्र एम०बी० बोजन और 9 अन्य।

(अन्तरक)

(2) श्री एम० के० अब्दुल्ला और उनके पुत्र।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि खेती—चेट्टिपालयम गांव—कोयम्बत्तूर तालूक किन्नतुक्कडवु—लेख सं० 786/85

आर० जानकीरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख : 3-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 3 जून 1986

निदेश सं० 17/अक्तूबर 1985—अतः मुझे आर० जानकीरामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसकेपश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 100,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० III वार्ड टी० एस० सं० 1335 है तथा जो तंजावूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तंजावूर जिला—लेख सं० 2054/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित, व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सम्पत और अन्य।

(अन्तरक)

(2) श्री के० एस० राममूर्ति और अन्य।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में से किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान—III वार्ड—दक्षिण रामपार्ट टी०एस० सं० 1335 तंजावूर जिला—तंजावूर लेख सं० 2054/85

आर० जानकीरमन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख : 3-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-2/एस० आर०-1/10-85/279—अतः मुझे, अशोक कक्कड़,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो एम०पी०एल० 11/5057 प्लाट नं० 6 नेताजी सुभाष मार्ग दरियागंज दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री हरचन्द जैन चेरिटेबल ट्रस्ट रूम नं० 8, छटवा खण्ड, 10, क्लाइव रोड कलकत्ता-70001 द्वारा ट्रस्टी जितेन्द्र कुमार।

(अन्तरक)

(2) श्री रेनू कुमार जैन, संजय कुमार जैन, अमृत जैन, नीरज कुमार जैन, सुपुत्र रतन लाल द्वारा अभिभावक देवीचन्द निवासी 4/9 ए० एन० स्ट्रट मद्रास-1

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रापर्टी बीयरिंग नं० 11/5057, प्लाट नं० 6; ब्लाक ए, तादादी 295.2 वर्ग गज नेताजी सुभाष मार्ग दरियागंज नई दिल्ली। लीज होल्ड।

अशोक कक्कड़
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

तारीख : 11-6-1986

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/2/एस०आर०-1/10-85/281—अतः मुझे अशोक कक्कड़

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो प्रापर्टी नं० एफ-3/28, बनी तादादी 272.22 वर्ग गज माडल टाउन दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) गुलशन कुमार बक्शी सुपुत्र स्वर्गीय गोबिन्दा राम बक्शी निवासी—एफ-3/28 माडल टाउन दिल्ली-9

(अन्तरक)

(2) 1. श्री लखीराम सुपुत्र नन्द किशोर 2. सुदेश लता पत्नि सत्य नारायण 3. अशोक कुमार गुप्ता सुपुत्र लखी राम और 4. शशि गुप्ता पत्नि श्री किशन कुमार बी-118 अशोक विहार-1, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रापर्टी नं० एफ-3/28 बनी तादादी 272.22 वर्ग गज माडल टाउन, दिल्ली।

अशोक कक्कड़
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

तारीख : 11-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/2/एस आर-1/10-85/299—यतः मुझे, अशोक कक्कड़,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा **269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी सं० फ्लेट 103 पी० एन० नं० 4834/24 अंसारी रोड दरियागंज दिल्ली है तथा जो नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया **था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में** सुविधा **के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री एस० डी० मदन सुपुत्र सी० आर० मदन सोल प्रो० साउथ दिल्ली बिल्डिर्स एंड प्रोमोटर्स निवासी 482 डा० मुखर्जी नगर, दिल्ली। जनरल एटोर्नी बृजेश्वर दयाल सुरेश्वर दयाल एण्ड महेश्वर दयाल माथुर सुपुत्र स्वर्गीय प्रेम बिहारी माथुर

(अन्तरक)

2. ट्रांस एशिया आटो एण्ड जनरल फाइनेन्स लिमिटेड 11/4397 दरियागंज नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों **पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

(ख) इस सूचना के राजपत्र **में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास** लिखित **में किए जा सकेंगे।**

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 103 प्रथम खण्ड तादादी 935 वर्ग फीट। पी० नं० 4834/24 अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली।

अशोक कक्कड़
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

तारीख : 11-6-86
मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/2/एस-आर-1-10-85/502—यतः मुझे, अशोक कक्कड़

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सिंगल स्टोरी एम० पी० एल० नं० 4866/1 ओल्ड नं० में हरबंस सिंह स्ट्रीट दरियागंज दिल्ली 283 वर्ग गज है तथा नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्तूबर, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता सुपुत्र स्वर्गीय डा० हर लाल गुप्ता 1170 कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली-110008 (अन्तरक)
2. अकांक्षा विनियोग लिमि० कार्यालय 1/1-ए बीपलाबी मुकुल स्ट्रीट कलकत्ता द्वारा डायरेक्टर सतीश वर्मा सुपुत्र रामजी दास ए-1 नारायण बिहार नई दिल्ली-1 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सिंगल स्टोरी बिल्डिंग एम० पी० एल० नं० 4866/1 (ओल्ड नं० 7) हरबंस सिंह स्ट्रीट 24 दरियागंज नई दिल्ली-110002 तादादी 283 वर्ग गज खसरा नं० 5।

अशोक कक्कड़
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

तारीख : 11-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 1986

निर्देश सं॰ आई॰ ए॰ सी॰/एक्यू॰/2/एस-आर-1/11-85/331—यत: मुझे, अशोक कक्कड़,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं॰ ई-26/3 राजौरी गार्डन नई दिल्ली है तथा जो नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख नवम्बर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री संत कुमार सरीन स्वयं एटार्नी सरेश कुमार सरीन पुत्र श्री जी॰ एल॰ सरीन ई-26-3 राजौरी गार्डन नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्री वेद प्रकाश प्रेम प्रकाश सुपुत्र नथा राम और कैलाश वती पत्नी स्वर्गीय कृष्णालाल निवासी-7/130 सुभाष नगर नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रापर्टी नं॰ ई-26/3 राजौरी गार्डन नई दिल्ली तादादी 555.55 वर्ग गज । फ्री-होल्ड।

अशोक कक्कड़
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

तारीख : 11-6-1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/2/एस-आर-1/11-85/346—यतः, मुझे, अशोक कक्कड़,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एफ-21, माडल टाउन, दिल्ली है, तथा जो दिल्ली में स्थित है) और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है

कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1 श्री दुरलेश सिंह एण्ड महिन्द्र सिंह सुपुत्र एस० गुरुमुख सिंह एफ-21, माडल टाउन, दिल्ली

(अन्तरक)

2 श्री राजेन्द्र कुमार मेहरा सुपुत्र एन० डी० मेहरा सेल्फ रमेश नारायण मरमर चन्दर कुमार मेहरा और सिद्धा कुमार मेहरा निवासी कलकत्ता और जी० ए० एफ-29, माडल टाउन, दिल्ली-91।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

हाउस नं० एफ-21, माडल टाउन, दिल्ली तादादी 450 वर्ग गज एक मंजिल बिल्डिंग,।

अशोक कक्कड़
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

तारीख : 11-6-1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1, बंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 7 फरवरी 1986

निर्देश सं० मा –1842/37 ईई/85-86—अतः मुझे, आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या आफिस स्पेस नं० 4708 है, तथा जो 45, प्यालेस रोड, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-10-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती पूजा डी पतीवा
एफ० 34 फेरलाड
सेलम-636004।

(अन्तरक)

2. श्रीमती वीना मोतीलाल बजाज,
प्रेस कोर्ट 1 फ्लोर, 27 प्यालाट
म्याल्को रोड काम बेंगलूर-560052।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1598/85-86 तारीख 28-10-85)
आफिस स्पेस नं० 4708 जो VII फ्लोर है प्वाइन्ट-IV नं० 45, प्यालेस रोड बेंगलूर–1 में स्थित है।

आर० भारद्वाज,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 7-2-1986
मोहर :

—136 GI/86

प्रारूप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 20 मई 1986

निर्देश सं० 48779/85-86—अतः मुझे, आर० भारद्वाज आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी संख्या 82 है तथा जो डिफेंस कालोनी II मैन 1 क्रास इन्दिरा नगर, बेंगलूर-38 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, शिवाजी नगर में तारीख 16-10-1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. लैफ्टिनेंट कर्नल अप्पु रमानन्द शर्मा
   नं० 318 VII मैन,
   IV क्रास एच० ए० एल० III स्टेज,
   बेंगलूर-560075

(अन्तरक)

2. श्रीमती जगजीत कौर,
   श्रीमती दर्शन कौर
   श्रीमती सुरिन्दर कौर
   II मैन, ए० एफ० ब्लाक,
   3362 ए० वी० अन्नानगर,
   मद्रास-6000040।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2121/85-86 तारीख 16-10-1985)
सब सम्पति है जिसका नं० 82 जो डिफेन्स कालोनी II मैन, 1 क्रास इन्दिरा नगर, एच० ए० एल० II स्टेज, बेंगलूर में स्थित है।

आर० भारद्वाज,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 20-5-86
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 20 मई, 1986

निर्देश सं० 48775/85-86---यतः मुझे, आर० भारद्वाज, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी संख्या 21/18 है, तथा जो एम० जी० रोड, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, शिवाजी नगर में तारीख 16-10-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

1. श्रीमती जी० मुमुन्तलक्ष्मी
नं० 28, V क्रास, 1 मैन
लोअर प्यालेस आर्चर्डस,
बेंगलूर।

(अन्तरक)

2. मैसर्स मधुरा कोटस लिमिटेड
नं० 10/4, कस्तूरबा रोड,
बेंगलूर-1

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इससूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित **है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2129/85-86 तारीख 16-10-1985 सब सम्पत्ति है जिसका सं० 21/18 जो एम० जी० रोड, बेंगलूर में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

दिनांक : 20-5-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 20 मई 1986

निर्देश सं० 48840/85-86—यतः मुझे, आर० भारद्वाज, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या 44-45 है तथा जो रेसिडेन्सी रोड बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, शिवाजी नगर में तारीख 1-10-1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री गोपाल कृष्ण चेटियार,
और कोई अन्य लोग
550/4, गुरुतमन पार्क,
बंगलूर-4।

(अन्तरक)

2. डाक्टर अविनाश नुरेन्द्र नवगिरी
नं० 8, देविस रोड,
बेंगलूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1970/85-86 तारीख 1-10-1985)
सम्पत्ति है जिसका सं० 44-45 जो रेसिडेन्सी रोड, बेंगलूर में स्थित है।

आर० भारद्वाज,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 20-5-1986
मोहर :

प्रकप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 20 मई 1986

निदेश सं० आर० 1831/37 ईई/:—यतः मुझे आर० भारद्वाज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का स्थावर संपत्ति जिसका बाजार मूल्य 1,00,000/- से अधिक 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लाट नं० 322 और 323 है तथा जो 4 5 और 6 लाल बाग रोड बेंगलूर–27 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 28–10–1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 ममता एन्टरप्राइसेस
नं० 3 क्वीन्स रोड
बंगलूर–560001।

(अन्तरक)

2 श्री मोहन लाल चन्दानी
श्रीमती नीटा एम० लालचन्दानी
3 ए सुजाता बिल्डिंग
मद्रास–600008।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1558/85–86 तारीख 28–10–85)
बिल्डिंग नं० 3, 4, 5 और 6 में प्लाट नं० 322 और 323 11 फ्लोर जो लालबाग रोड बेंगलूर–560027 में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 20–5–86
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, 20 मई 1986

नोटिस सं० आर० 1881/837ईई--अतः मुझे आर० भारद्वाज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लाट नं 103 है तथा जो 47/6 एम० जी० रोड बेंगलूर में स्थित है (और इस से उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 28-10-1985।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिअधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्री मिट्ठल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन
47/6 एम० जी० रोड
बेंगलूर।

(अन्तरक)

2 श्रीमती पद्मिनी कृष्णमूर्ति
श्री ए० के० शिवकुमार
नं० 717 चिन्मया मिशन हासपिटल रोड
इन्दिरानगर, बेंगलूर-38।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1637/85-86 तारीख 28-10-85)
प्लाट नं० 103 जो I फ्लोर ई विंग मिट्ठल टावर्स जो 47/6 एम० जी० रोड बेंगलूर-1 में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 20-5-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 20 मई 1986

सं० डी० आर० 928-37 ईई/—यतः मुझे आर० भारद्वाज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या चलता नं० 4 और 5 है तथा जो तलगांव पनजी गोवा में स्थित है (और इस से उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 1-10-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्री विक्टर मिगेल सोकोरो
डॉ० मारी डा कास्टा और
श्रीमती जेनेवर मारगरिडा डा कास्टा
तलगांव गोवा

(अन्तरक)

2 मैसर्स कामत रियल एस्टेट्स
एफ० 2 इन्दिरा अपार्टमेंट्स
केटियानो आलबुकर्क रोड
पणजी गोवा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं. 611/85-86 और तारीख 1-10-85 सम्पत्ति है जिसका सं० चालता नं० 4 और 5 (और जिसका माप 9606 स्क्वेयर मीटर्स) जो "टोलले या मर्टें ग्रान्टी चलती नाम से परिचित है और मोरद के साथ है जो तलगांव पनजी गोवा में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज बंगलूर

तारीख : 20-5-86
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक दिनांक 30 मई 1986

सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/37ईई/9/8-86--अत: मुझे जी० एल० खत्री

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या 458/1/17 गुड़गांव सोस्ना रोड गुड़गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रोहतक भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनांक 10-7-1985

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्री रमेश चन्द भसीन
श्रीमती सविता भसीन
एस-317 पंचशील पार्क
नई दिल्ली ।

(अंतरक)

2 मै० जालन्धर मोटर एजेंसी (दिल्ली) लि०
6 सहगल कालोनी कोर्ट लेन
दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति म० नं० 458/1/16, 1733 वर्ग गज जो गुड़गांव सोहना रोड में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त अर्जन रोहतक रजिस्ट्री संख्या 37ईई/144/85-85 दिनांक 10-10-85 पर दिया है।

बी० एल० खत्री
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज रोहतक

दिनांक : 30-5-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज रोहतक

रोहतक, दिनांक 30 मई 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु/दिल्ली/8/85-86:—अतः मुझे, बी० एल० खत्री

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या भूमि 39 कनाल 11 मरले जो पीराकली बीड हिसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनांक 10 अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सत्य देव नि० ए० एन०
3 सी शालीमार बाग दिल्ली।

(अन्तरक)

2. दि हिसार गोल्डन को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि० मोती बाजार हिसार।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति भूमि 39 कनाल 11 मरले जो पीरावाली बीड हिसार में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्री संख्या 1404 दिनांक 10-10-1985 पर दिया है।

बी० एल० खत्री
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज रोहतक

दिनांक : 30-5-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 30 मई 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/दिल्ली/10/85-86--अत: मुझे, बी० एल० खत्री

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या भूमि 67 कनाल 7 मरला हिसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनांक 25-10-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री दलबीर सिंह
8. त्रिमूर्ति मार्ग दिल्ली।

(अन्तरक)

2. दी बहबलपुर विजेता कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड बहबलपुर तह0 व जिला हिसार।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति भूमि 67 कनाल 7 मरला जो हिसार में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्त्ता के कार्यालय दिल्ली रजिस्ट्री संख्या 1452 दिनांक 25-10-1985 पर दिया है।

बी० एल० खत्री
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज रोहतक

दिनांक : 30-5-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज रोहतक

रोहतक, दिनांक 30 मई 1986

सं० आई० ए० सी०/एक्यू/हिसार/64/85-86---अत: मुझे, बी० एल० खत्री

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या भूमि 34 कनाल 15 मरला गांव गंगवा तहसील हिसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय हिसार में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनांक 8 अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. सर्वश्री प्रभु दयाल पुत्र रूप चन्द
अशोक कुमार एण्ड बलदेव कुमार
पुत्रान श्री प्रभु दयाल
234 माडल टाउन हिसार।

(अन्तरक)

2. दी हिसार आफिसर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि०
हिसार द्वारा श्री सतपाल सिंह
प्रधान नि० राजगढ़ रोड हिसार।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पति भूमि 34 कनाल 15 मरला जो गांव गंगवा तह० व जि० हिसार में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्त्ता के कार्यालय हिसार में रजिस्ट्री संख्या 4064 दिनांक 8-10-1985 पर दिया है।

बी० एल० खत्री
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज रोहतक

दिनांक : 30-5-1986

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज रोहतक

रोहतक, दिनांक 16 अप्रैल 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/हिसार/67/85-86--अतः मुझे, बी० एल० खत्री

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि 42 कनाल 7 मरले जो सात रोड खास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय हिसार में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनांक 15-10 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री निहाल पुत्र आर्य जाट नि० सात रोड खास तह० हिसार।

(अन्तरक)

2. मै० एसोसियेटिड फूडस बाई पास दिल्ली रोड हिसार।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति भूमि 42 कनाल 5 मरले जो सात रोड खास में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्त्ता के कार्यालय हिसार में रजिस्ट्री संख्या 4229 दिनांक 15-10-1985 पर दिया है।

बी० एल० खत्री
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज रोहतक

दिनांक : 16-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज रोहतक

रोहतक दिनांक 30 मई 1986

निर्देश सं०आई०ए० सी०/एक्यूहिसार/72/85-86: --अत: मुझे बी० एल० खत्री

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या भूमि 33 कनाल 11 मरले जो हिसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय हिसार भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनांक 29-10-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्री राम चन्दर पुत्र बेगा राम,
निवासी डी० सी० कालोनी
हिसार।

(अन्तरक)

2 विश्व आध्यात्मिक संघ को आपरेटिव ग्रुप हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड हिसार
बजरिये श्री गुलाब राज मेहता,
मेहता नगर ठण्डी सड़क
हिसार।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पति भूमि 43 कनाल 14 मरले जो हिसार में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्त्ता के कार्यालय हिसार में रजिस्ट्री संख्या 4431 दिनांक 29-10-85 पर दिया है।

बी० एल० खत्री
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)
अर्जन रेंज रोहतक

दिनांक : 30-5-1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज रोहतक

रोहतक, दिनांक 8 मई 1986

निर्देश सं० आई० ए०सी०/एक्यू/हिसार/85/85-86:—अ मुझे, बी० एल० खत्री

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या भूमि 194 कनाल 1 मरला जो तलवन्डी राना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हिसार भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनांक 20-10-1985।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्री राम नारायण पुत्र पूरन चन्द
गांव डाबड़ा तहसील डकलाना
जिला हिसार।

(अन्तरक)

2 मन्दिर बाबा मस्तनाथ गद्दी अस्थल बोहरा
महन्त चांद नाथ योगी चेला
महन्त श्रेयोनाथ योगी
निवासी अस्थल बोहर तह० व जिला
रोहतक।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति भूमि 194 कनाल 1 मरला जो तलवन्डी राना तहसील हिसार में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्री कर्ता के कार्यालय हिसार में रजिस्ट्री संख्या 4385, दिनांक 20-10-1985 पर दिया है।

बी० एल० खत्री
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)
अर्जन रेंज रोहतक

दिनांक : 8-5-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 15 मई 1986

निर्देश सं० पी० आर नं० 4624(II/86-87:—अत: मुझे, ए० के० सिन्हा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी संख्या ब्लाक नं० सी छटा मंजला पुरोहित अपार्टमेंट है तथा जो सयाजीगंज बड़ौदा रजि० 312 टी० का नं० 342 में स्थित है) और इसके उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 37 ईई का 16) के अधीन 4 अक्तूबर 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1 मे० याय के० बिल्डर्स
कल्पतरू चेम्सफोर्ट
बम्बई–23।

(अन्तरक)

2 मे० बड़ौदा ऐसेटेरेम
शंकर भवन
स्वामी गंज बड़ौदा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

37 ईई का फोर्ट पर कार्यालय में दिनांक 4–10–85 को पेश किया गया है। जिसका कुल मूल्य 6,10,000 है

ए० के० सिन्हा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज अहमदाबाद

दिनांक : 15–5–1986
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंजII अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 15 मई 1986

निर्देश सं० पी० आर०नं० 4625/11/86-87:---अतः मुझे, ए० के० सिन्हा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या ब्लाक सी पुरोहित अपार्टमेंट सयामीगंज है। तथा जो टी० का नं० 3/1/2 बड़ौदा में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (37 ईई का 16) के अधीन दिनांक 4-10-1985

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) **के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

1. मे० वाय के० बिल्डर्स
सयामीगंज बड़ौदा।

(अन्तरक)

2. मे० फार्मसन अनलजस प्रा० लि०।
शंकर भवन
सयामीगंज बड़ौदा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर **सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी** अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त **व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त **शब्दों और पदों का, जो उक्त** अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित **हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

37 ईई का फार्म यह कार्यालय में दिनांक 4-10-85 को पेश किया गया है जिसका मूल्य 6,10,000 रुपये है।

ए० के० सिन्हा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक : 12-5-1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 मई, 1986

निर्देश सं० पी० आर० नं० 4626/11/86-87:—अत: मुझे, ए० के० सिन्हा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या ब्लाक नं० 31, पुरोहित, अपार्टमेंट, सयामीगंज, है। तथा जो बड़ौदा टी० का० नं० 3112, म० नं० 312 में स्थित है और इसके उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (37ईई का 16) के अधीन, तारीख 4-10-1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० वाय के० बिल्डर्स,
सयामीगंज,
बड़ौदा। (अन्तरक)

2. मै० के० के० दिठलानी फेमिली ट्रस्ट,
404, एम्बेसी सेन्टर,
नरीमान पाईन्ट, बम्बई (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

37 ईई का फार्म यह कार्यालय में दिनांक 4-10-85 को पेश किया गया है जिसका मूल्य 5,90,000/- रुपये है।

ए० के० सिन्हा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज अहमदाबाद

दिनांक : 12-5-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 मई, 1986

निर्देश सं० पी० आर० नं० 4627/II/86-87:—अत: मुझे, ए० के० सिन्हा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या ब्लाक नं० ए, पुरोहित अपार्टमेंट, टी० का नं० 3112 है तथा जो स० नं० 512 बड़ौदा में स्थित है और इसके उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (37 ईई का 16) के अधीन, 4-10-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० आय० के० बिल्डर्स,
सयाजीगंज,
बड़ौदा ।

(अन्तरक)

2. मै० फार्मसन फार्मास्यूटीकल्स गुजरात प्रा० लि०
शंकर भवन, सयाजीगंज,
बड़ौदा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

37 ईई का फोर्म पर कार्यालय में दिनांक 4-10-85 को पेश किया गया है जिसका मूल्य 5,90,000 है ।

ए० के० सिन्हा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II अहमदाबाद

दिनांक : 12-5-86
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 22 मई 1986

सं० पी० आर० नं० 4628/II/8-87—अतः मुझे, ए० के० सिन्हा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० 594/9/8/D है। तथा जो 594/9-1 डी, बलसाड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बलसाड में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16-10-1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. कुमारी नरगीसबानू फारमजोम, सिथलराडे बलसाड।

(अन्तरक)

2. श्री सुरेश चन्द्र नारायणदास और अन्य गुलमोहर गार्डन, अन्धेरी, बम्बई।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो बलसाड में स्थित है। सब रजिस्ट्रार, बलसाड में दिनांक 16-10-85 को रजिस्टर्ड की गई है। जिसका मूल्य 5,01,000 रुपये हैं।

ए० के० सिन्हा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अहमदाबाद

दिनांक : 22-5-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 19 मई, 1986

निर्देश सं० पी० आर० नं० 4629/II/86-87 --अतः मुझे, ए० के० सिन्हा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या नं० 6621, सं० नं० 69, आमली है तथा जो सिलवासा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिलवासा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17-10-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री जसवन्त लाल जी शाह, सी०ओ० मै० प्रमरोज टैक्सटाइल कार्पोरेशन सिलवासा।

(अन्तरक)

2. श्री सलाइट प्रोजैक्ट लि०।
96, गार्डन गार्डन रोड, कलकत्ता।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो सिलवासा में स्थित है। सब रजिस्ट्रार, सिलवासा में 17-10-85 को रजिस्टर्ड की गई है।

ए० के० सिन्हा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 19-5-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 27 मई 1986

निर्देश सं० पी० आर० नं० 4030/II/86-87—यतः, मुझे, एस० बी० भट्ट,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० वार्ड नं० 14 सी० एस० नं० 2018, टी० पी० एस० नं० 8 है, तथा जो एफ० पी० नं० 135, उमरवाड़ा सुरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10 अक्तूबर, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री चम्पक लाल छेलाभाई और अन्य सूरत,

(अन्तरक)

2. मै० जे० जे० कार्पोरेशन 305 सागर शोपिंग सेन्टर सटारा दरवाजा, रिंग रोड़, सूरत

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

37-ई ई का फार्म यह कार्यालय में दिनांक 10-10-85 को पेश किया गया है। जिसमें वास्तविक मूल्य 17,63,520 रुपए है।

एस० बी० भट्ट
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 27-5-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 27 मई 1986

निर्देश सं० पी० आर० नं० 4631/II/86-87—यतः, मुझे, एस० बी० भट्ट,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 2018 आर० एस० नं० 91, टी० पी० एस नं० 8 है, तथा जो एफ० पी० नं० 135, उमरवाड़ा, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 37-ईई के अधीन, तारीख 10 अक्तूबर, 1985

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री गोविन्दभाई खुशालदास और अन्य सूरत (अन्तरक)

2. मै० जे० जे० कार्पोरेशन 305, सागर शोपिंग सेन्टर, सलाबत दरवाजा, रिंग रोड, सूरत (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

37 ईई का फार्म इस कार्यालय में दिनांक 10-10-85 को पेश किया गया है। जिसका मूल्य 17,63,520 रुपए है।

एस० बी० भट्ट
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, अहमदाबाद

तारीख : 27-5-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, अहमदाबाद

अहमदाबाद दिनांक 27 मई 1986

निर्देश सं० पी० आर० नं० 4632/2/86-87—यत: मुझे, एस० वी० भट्ट,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000 रु. से अधिक है

और जिसकी सं० वार्ड नं० 14 टी० पी० एस० नं० 8, एफ० पी० नं० 135 है, तथा जो उमरवाड़ा, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 37-ई ई के अधीन तारीख 10 अक्तूबर, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री प्रदीप चन्द्र ठाकुर दास और अन्य सूरत

(अन्तरक)

2. मै० जे० जे० कार्पोरेशन 305, सागर शोपिंग सेन्टर भागा दरवाजा, रिंग रोड, सूरत

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

37-ईई का फार्म पर कार्यालय में दिनांक 10-10-85 को पेश किया गया है जिसका कुल मूल्य 17,63,520 रुपए है।

एस० पी० भट्ट
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, अहमदाबाद

तारीख : 27-5-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 27 मई 1986

निर्देश सं० पी० आर० नं० 4633/II/86-87--यत:, मुझे, एस० बी० भट्ट,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० वार्ड नं० 91, टी० पी० एस० नं० 8, एफ० पी० नं० 135 है, तथा जो 2018, भूमरवाड़ा, सूरत में स्थित है (और इसके उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूपसे वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 37-ईई का 16 के अधीन, 10 अक्तूबर, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री ईश्वरलाल भगवानदास और अन्य सूरत।

(अन्तरक)

2. मै० जे० जे० कार्पोरेशन 305, सागर शोपिंग सेन्टर, सगरामपुरा दरवाजा, रिंग रोड, सूरत।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

37-ईई का फार्म है कार्यालय में दिनांक 10-10-85 को पेश किया गया है। यह मिलकियत कुल मूल्य 17,63,520 रुपए है।

एस० बी० भट्ट
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज- , अहमदाबाद

तारीख : 27-5-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 27 मई 1986

निर्देश स० पी० आर० नं० 4634/II/86-87—यत:, मुझे, एस० बी० भट्ट,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० वार्ड नं० 14, सी० एस० नं० 2018, टी० पी० एस० नं० 8 है, तथा जो अमरवाड़ा, सूरत में स्थित है (और इससे उपबाद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 37-ईई का 16 के अधीन, तारीख 10 अक्तूबर, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्री हीरा लाल दाया भाई और अन्य सुरत।

(अन्तरक)

2. मै० जे० जे० कार्पोरेशन रिंग रोड़, सुरत।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

37-ईई का फार्म यह कार्यालय में पेश किया गया है। यह मिलकियत का कुल मूल्य 16,63,520 रुपए है।

एस० बी० भट्ट
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 27-5-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 27 मई 1986

निर्देश सं० पी० आर० नं० 4635/2/85-86—यत:, मुझे, एस० बी० भट्ट,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन और मकान—3 वी सोसायटी है, तथा जो जेतलपुर बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29 अक्तूबर, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1 श्रीमती ज्योत्सना बहन नवनीत लाल पारेख और अन्य 19, उर्फ सोसायटी, जेतलपुर बड़ौदा ।

(अन्तरक)

2 श्रीमती मृदुलाबहन महेन्द्र कुमार 30 जी० आई० डी० सी० मकरपुरा, सूरत ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मिलकियत जो मकरपुरा, बड़ौदा में स्थित है जिसका कुल मूल्य 9,00,000 रुपए है ।

एस० बी० भट्ट
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 27-5-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 31 मार्च 1986

निर्देश सं० 37-ई ई/4788/85-86—यतः, मुझे, अनिल कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० डी-3, बिल्डिग न० 'डी' 258 शुक्रवारपेठ पूना है, तथा जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. उत्कृष इन्टरप्राईजेस बहार शांतीनगर सोसायटी 321/डी महात्मा फुले पेठ पण्डित जवाहरलाल नेहरू रोड, पूना।

(अन्तरक)

2. श्री भवरलाल हिम्मतलाल ओसवाल और अन्य 78 भवानीपेठ पूना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि रजिस्ट्रीकृत क्र० 37-ई ई/4788/85-86 नवम्बर 85 को सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज पूना के दफ्तर में लिखा गया है।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 31-3-186
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 31 मार्च 1986

निर्देश सं० 37ईई/4793/85-86—यतः मुझे, अनिल कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 109, सर्वे नं० 199+204+205+206/1+200/1 लोहगांव विमान नगर कालोनी पूना है, तथा जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1985

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 मैसर्स अमित बिल्डर्स 31 मातृछाया सोसायटी, पेखाड़ा पूना-14

(अन्तरक)

2 श्री सुधाकर हरीभाई घोलाप 1414 शुक्रवार पेठ पूना-2

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि रजिस्ट्रीकृत क्र० 37-ईई/4793/85-86 जो नवम्बर 85 को सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज पूना के दफ्तर में लिखा गया है।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 31-3-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पुना

पूना दिनांक 6 मई 1986

निर्देश सं० 37-ईई/4723/85-86--अत: मुझे अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 31 बिलडग नं० एल० प्लाट नं० 6 सर्वे नं० 30ए/4ए डहाणुकर कालनी कोशरूड पूना। है तथा जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है,) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त अर्जन रेंज में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक नवम्बर 1985

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स ए० व्ही भट्ट 1348 सदाशिवपेठ पूना-30 (अन्तरक)

(2) सुभाष यशवंत और अन्य सी/14 स्वरुप नगरी 128/2 कोठरुद पूना-29 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसाकि रजिस्ट्रीकृत क्र०-37ईई-4723/85-86 जो नवम्बर 1985 को सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज पूना के दफ्तर में लिखा गया है।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

दिनांक: 28-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज पूना

पूना, दिनांक 28 जनवरी 1986

निदेश सं० 37 941/85-86--अत: मुझे, अनिल कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 4 अनंत अपार्टमेंट सी. टी० एस० नं० 1145 सदाशिव पेठ पूना-30 क्षेत्रफल 860 चौ० फुट) है तथा जो पूना में स्थित है) (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक नवम्बर 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री प्रकाश राम चन्द गावनकर 704 सदाशिव पेठ पूना-30

(अन्तरिती)

(2) अन्ना साहेब ऊर्फ आनंद राव बाबु राव पाटील पारेन्ट बुधगांव ता० मिरज जि० सांगली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसाकी रजिस्ट्रीकृत क्र० 37ईई/3941/85-86-- जो नवम्बर 1985 को सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज पूना के दफ्तर में लिखा गया है।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

दिनांक : 28-1-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज पूना

पूना, दिनांक 18 फरवरी 1986

निर्देश सं० 37ईई/376/85-86--अतः मुझे, अनिल कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकीसं० सर्वे नं० 6 एण्ड (107 पार्ट गांव अकोले ता० वसई जि० थाना। है तथा जो अकोले में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक नवम्बर 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के **उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान** प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री तारा लक्ष्मी टी० मेहता ब्लाक नं० 4 साई० सदन रोशन नगर चंदावरकर रोड बोखली वेस्ट बम्बई।

(अन्तरक)

(2) एम० एफ० सय्यद एण्ड अन्य 1-बी० भुस्तान अपार्टमेंट चौथी मंजिल एम० नं०-43 बेल्लासीरन रोड, बम्बई।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त **व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त **अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित** है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जसाकि रजिस्ट्रीकृत क्र० 37ईई/376/85-86 जो 1985 को सब रजिस्ट्रार वसई जिला आफिस के थाना में दाखिल किया गया है।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

दिनांक : 18-2-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज पूना

पूना, दिनांक 10 अप्रैल 1986

निदेश सं० 37ईई/4645/85-86---अत: मुझे, अनिल कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० दूकान नं० 6 सर्वे नं० 165 कोथरुड पूना है तथा जो पूना में स्थित है। (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक नवम्बर 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स कुलकर्णी एण्ड कुलकर्णी 2153 सदाशिवराव पेठ विजयनगर कालनी पूना, 30

(अन्तरक)

(2) तुकाराम गणपत शेगार और अन्यबापू कलापुरा चाल खराडवाडी पूना-17

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसाकि रजिस्ट्रीकृत क्र० 37ईई/4645/86-87 जो नवम्बर 1985 को सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज पूना के दफ्तर में लिखा गया है।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

दिनांक : 10-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 10 फरवरी 1986

निर्देश सं० 37ईई/6675/85-86—अतः मुझे, अनिल कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 201, दूसरा मंजला निर्माण अमृत निर्माण नगर, नल्लासोपारा (डब्लयू क्षेत्रफल 630 चौ फुट है तथा जो नल्लासोपारा में स्थित है। (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त अर्जन रेंज में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक नवम्बर 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मसर्स निर्माण एसोसियेट 40-41 विशाल शापिंग सेन्टर सं० एम० व्ही रोड, बम्बई (अन्तरक)

(2) फ्रान्सीस जार्ज डिसोजा और अन्य हबीब मेंशन दूसरा मंजला रुम नं० 57 भायकला बम्बई (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसाकि रजिस्ट्रीकृत क्र० 37ईई/6675/65-86 जो नवम्बर 1985 को सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज पूना के दफ्तर में लिखा गया है।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

दिनांक : 10-2-86
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

पुना, दिनांक 11 फरवरी 1986

निदेश सं० 37ईई/6672/85-86---अतः मुझे अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 4निर्माण अमृत निर्माण नगर, नल्लासो- पार (डब्लयू) ता० वसई जि० थाना (क्षेत्रफल 579 चौ० फुट) है तथा जो वसई थाना में स्थित है। (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक नवम्बर 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स निर्माण आसोसिएटस 40-41 विशाल शापिंग सेन्टर एस० एम० व्ही रोड, बम्बई (अन्तरक)

(2) पार्ले बमर्जी 11 सलसार अपार्टमेंट नल्लोसोपार जि० थाना

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसाकी रजिस्ट्रीकृत क्र० 37ईई/6672/85-86--- जो नवम्बर 1885 को सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज पूना के दफ्तर में लिखा गया है।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

दिनांक : 11-2-1986
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पुना, दिनांक 3 फरवरी 1986

निदेश सं० 37ईई/6273/85-86—अ : मुझे मुझे अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो अम्बर नाथ में स्थित है। (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक नवम्बर 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कमी के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को, यथास्थिति, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) हरीभाई राम चन्द्र तादके तादके सदन चौक कल्याण।

(अन्तरक)

(2) सुनन्दा एस० पाटील साईमांतिनो धनश्याम गुप्ते रोड, डोम्बीवली (डब्लयू।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे;

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है :

अनुसूची

जैसाकी रजिस्ट्रीकृत क्र०-37ईई/6273/85-96—जो नवम्बर 1985 को सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज पूना के दफ्तर में लिखा गया।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

दिनांक : 3-2-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 18 मार्च 1986

निदेश सं० 37ईई/389/85-86—अतः मुझे अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 10 आर० एम० न० 91 मौजे कुपवड जि० सांगली है तथा जो सांगली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक नवम्बर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रुप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सोनुबाई टी० पाटील कुपवड ता० यम मिरज जिला सांगली।

(अन्तरक)

(2) विजय कुमार आनद राव पाटील सर्वे न० 9 कुपवा न० ता० मिरज जिला सांगली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसाकी रजिस्ट्रीकृत क्र० 37जी/389/85-86 जो नवम्बर 1985 के में सब रजिस्ट्रार मिरज के आफिस में दाखिल किया गया है।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

दिनांक : 18-3-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन, रेंज पूना,

पूना, दिनांक 11 मार्च, 1986

सं० 37 ईई/4204/85-86:—यतः मुझे, अनिल कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी संख्या आफिस नं० 1 सी०एम० नं० 481 सी, शनिवार पेठ, शनिवार वाड़ा के पास पूना है तथा जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज, में, रजिस्ट्रीकरण रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिअधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 मैसर्स नीलम एन्टरप्राइजेस,
407, रविवार पेठ, पूना।

(अन्तरक)

1 श्रीमती एम० आर० कोर
38/23 विनायक प्रसाद,
प्रभात क्रास लेन,
नं० 7, पूना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि रजिस्ट्रीकृत क्र० 37ईई/4204/85-86 जो नवम्बर, 85 को सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज पूना के दफ्तर में लिखा गया है।

अनिल कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

दिनांक : 11-3-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 20 मार्च, 1986

सं० 37ईई/6671/85–86:—यतः मुझे, अनिल कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या फ्लैट नं० 308, वर्धमान पार्क में प्लाट नं० 49, सैक्टर नं० 17, सी० बी० सी० वाशी नई बम्बई है तथा जो नई बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर 1985

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 मसर्स वर्धमान बिल्डर्स,
40–41 विशाल शापिंग सेन्टर, सर एम० वी० रोड, अन्धेरी (ई) बम्बई

(अन्तरक)

2 श्रीमती जेस मेरी पाल,
C/o ट्रेडिंग कारपोरेशन,
93 दूसरा मजला, बम्बई समाचार मार्ग, बम्बई।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि रजिस्ट्रीकृत क्र० 37ईई/6671/85–86 जो नवम्बर 85 को सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज पूना के दफ्तर में लिखा गया है।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख 20-3-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज पूना

पूना, दिनांक 20 मार्च 1986

सं० 37 ईई/6667/85-86:--अतः मुझे, अनिल कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या फ्लट नं० 403, वर्धमान पार्क, प्लाट नं० 48, सेक्टर 17, डी बी० सी, वसई नई बम्बई है तथा जो नई बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

1 मैसर्स वर्धमान बिल्डर्स,
40-41 विशाल शापिंग सेन्टर, सर एम० व्ही० रोड अन्धेरी (ई) बम्बई।

(अन्तरक)

2 श्री बाल कृष्ण जग्गी
अवाड होटल्स प्रा० लि०
सेक्टर नं० 2, वसई नई बम्बई।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि रजिस्ट्रीकृत क्र० 37 ईई/6667/85-86 जो नवम्बर 85 को सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज पूना के दफ्तर में लिखा गया है।

अनिल कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 20-3-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज पूना

पूना, दिनांक 20 मार्च 1986

सं० 37ईई/6665/85-86—यतः मुझे, अनिल कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लाट नं० 404 वर्धमान पार्क, फ्लाट नं०. 49 सेक्टर 17 डी० बी सी० बसई नई बम्बई है तथा जो नई बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 मैसर्स वर्धमान बिल्डर्स
40-41 विशाल शापिंग सेन्टर
सर एम० वी० रोड, अन्धेरी (ई)
बम्बई।

(अन्तरक)

2 श्री सुरेन्द्र कुमार बालकृष्ण जग्गी
आबोट हॉटेलस प्रा० लि० सेक्टर 2
बसई, नई बम्बई।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि रजिस्ट्रीकृत क्र० 37ईई/6665/85-86 जो वम्बई 85 की सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज पूना के दफ्तर में लिखा गया है।

अनिल कुमार,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 20-3-86
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. ---------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 20 मार्च 1986

निदेश सं० 37ईई/6664/85-86--अतः मुझे, अनिल कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 203 वर्धमान पार्क प्लाट नं० सेक्टर 17 वसई नई बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक नवम्बर 1985

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) मेसर्स वर्धमान बिल्डर्स 40-41 विशाल शापिंग सेन्टर सर एम० व्ही रोड, अंधेरी ई० बम्बई

(अन्तरक)

(2) मदनलाल जगन्नाथ 178 संत तुकाराम रोड रुम नं० 38 दूसरा मंजला मस्जिद के पास दाना बन्दर बम्बई।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसाकी रजिस्ट्रीकर्ता क्र० 37ईई/6664/85-86-- जो नवम्बर 1985 को सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज पूना के दफ्तर में लिखा गया है।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

दिनांक : 20-3-1986

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1, पूना

पूना, दिनांक 20 मार्च 1986

निदेश सं० 37ईई/6676/85-86--अत: मुझे, अनिल कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 408 वर्धमान पार्क प्लाट नं० 49 सेन्टर 17, डी० बी० सी० वसई नई बम्बई में स्थित है। (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक नवम्बर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के बीच तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स वर्धमान बिल्डर्स 40-41 विणाल शापिंग सेन्टर सर एम० व्ही रोड, अंधेरी कुली बम्बई

(अन्तरक)

2. श्री नीलम जवाहर लाल चोपड़ा सी०ओ चोपरा, जे 161 आर० बी आई फ्लेट्स नार्थ एवन्यू शांताक्रुज, (डब्ल्यू०) बम्बई।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि रजिस्ट्रीकृत क्र सं० 37 ईई/6676/85-86 जो नवम्बर 85 को सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज पूना के दफ्तर में लिखा गया है।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख 20-8-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 26 मई, 1986

निर्देश सं० पी० आर० नं० 4285/1/86-87—अतः मुझे, एम० जी० भट्ट,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या छडवड़ा टी० पी० एस० नं० 8, 1402 चौपाट है। तथा जो अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-10-1985।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री चन्द्र कान्तलाल हीरालाल पारीख
28, परिमल सोसायटी,
अहमदाबाद।

(अन्तरक)

1. श्री ओम प्रकाश छबील दास
सह्याद्री अपार्टमेंट,
नवरंगपुरा, अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मिलकत छडावड़ा, अहमदाबाद में स्थित है जिसका टी० पी० एस० नं 3 फाईनल प्लाट न० 714 और क्षेत्रफल 1402 चौपाट है।

एम० बी० भट्ट
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अहमदाबाद

दिनांक : 26-5-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 26 मई 1986

निर्देश सं० पी० आर० नं० 4236—अत: मुझे, एस० बी० भट्ट,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या वस्त्रापुर सीम 27 पी एस० 21 एफ० पी० 74 है तथा जो एस० पी० 2 जमीन क्षेत्रफल 1104 वर्ग यार्ड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 17-10-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है

और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों **को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री नबीरभाई गुलमोहम्मद
छड़ी पोल,
पानकोर नाका, अहमदाबाद।

(अन्तरक)

2. श्री महेशभाई भीखुभाई पटेल
चेयरमेन मलाप अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन
भगवान नगर, रतनपुर।
अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

वस्त्रापुर सीम टी० पी० एस० 21 एफ० पी० 74 एस० पी० नं० 2 जमीन क्षेत्रफल 1101 वर्ग यार्ड रजिस्ट्रेशन नं० 11829/17-10-1985।

एस० बी० भट्ट
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अहमदाबाद

तारीख : 26-5-1986
मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 26 मई, 1986

सं० पी० आर० नं० 4237—अत: मुझे, एस० बी० भट्ट,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या टी० पी एस० 19 एफ० पी० 55–56 एस० पी० 12 वाडज मीम, अचलायतन है। तथा जो को० ओ० हा० सोसायटी नारनपुरा जमीन 1000 वर्ग गज और मकान 375 वर्ग यार्ड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1985।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार **मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-**फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण **में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के** अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्रीमती हंसाबैन चीनुभाई पटेल
अचलायतन सोसायटी
नारनपुरा अहमदाबाद-18।

(अन्तरक)

2. श्री प्रेम चन्द चन्दुमल जासफानी
शीतांशु अपार्टमेंट,
मेमनगर, अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

टी० पी० एस० 19 एफ० पी० 55–56 एस० पी० नं० 12 वाडज मीम जमीन क्षेत्रफल 1000 वर्ग यार्ड और मकान जी० एफ० और एफ० एफ० 375 वर्ग यार्ड अचलायतन ओ० का० हा० सोसायटी लिमिटेड में नारनपुरा अहमदाबाद रजिस्ट्रेशन नं० 8522/अक्तूबर, 1985।

एस० बी० भट्ट,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 26–5–1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 26 मई, 1986

सं० पी० आर० नं० 4238—अतः मुझे, एस० बी० भट्ट,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या जमीन क्षेत्रफल 956 वर्ग मीटर टी० पी० एस० 6 है, तथा जो पालडी सीम एफ० पी० 415 और 416 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17-10-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग को, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती शान्ताबेन कान्तीलाल मेहता
13 राम मोहन फ्लैट नं० 4,
दत्त रोड, कलकत्ता-700020।
(अन्तरक)

2. श्री मनोज रसीक लाल शाह
प्रमोटर प्रोजेक्ट राज कृपा को० ओ० हा० सोसायटी
एम० पी० अपार्टमेंटस,
पालड़ी अहमदाबाद-380007।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन क्षेत्रफल 956 वर्ग मीटर-1147 वर्ग यार्ड पालड़ी में टी० पी० एस० 6 एफ० पी० नं० 415 और 416 रजिस्ट्रेशन नं० 11842/17-10-1985।

एस० बी० भट्ट,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 26-5-1986

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 26 मई 1986

सं० पी० आर० नं० 4239—अत: मुझे, एम० बी० भट्ट,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या बोपल गांव सीम तालुका रेसकोर्स है तथा जो ब्लाक नं० 639 जमीन 10319.3332 वर्ग मीटर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19-10-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्री बचु भाई खोडाभाई पटेल
(एच० यू० एफ०)
गांव, बोपल, तालुका रेस कोर्स,
जिला अहमदाबाद।

(अन्तरक)

2 श्री गुणवंत राय बचुभाई पटेल
चेयरमैन सोढीयार कृपा को० ऑ० हा०
सोसायटी लिमिटेड
बोपल तालुका रेसकोर्स,
जिला अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बोपल (तालुका रेस कोर्स) सीम ब्लाक नं० 639 जमीन क्षेत्रफल 10319. 3332 वर्ग मीटर रजिस्ट्रेशन नं० 11948/19-10-1985।

एम० बी० भट्ट,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 26-5-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 26 मई, 1986

सं० पी० आर० नं० 4240:---अतः मुझे, एम० बी०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 260-ख के अधीन, सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य रु. 1,00,000/- से अधिक है

और जिसकी संख्या चंगीसपुर मीठाखाली सीम टी० पी० एस० 20, एफ० पी० नं० 125 है, तथा जो एस० पी० नं० 4-ए० जमीन 485 वर्ग मीटर और मकान में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या **धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

1 श्रीमती यशवन्ती बेन शंभुप्रसाद पटेल
29 भगवती
सरदार पटेल नगर
नवरंगपुरा अहमदाबाद।

(अन्तरक)

2 ए० उषाबेन सूर्यकान्त पटेल
एरीमलम्,
पुराना सचीवालय के नजदीक अम्बावाड़ी,
अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए **कार्यवाहियां शुरू करता हूं।**

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

चंगीसपुर मीठाखली सीम टी० पी० एस० 20, एफ० पी० नं० 125, एस० पी० नं० 4 ए जमीन क्षेत्रफल 485 वर्ग मीटर और मकान जी० एफ० और एफ० एफ० पर रजिस्ट्रेशन नं० 7715 अक्तूबर, 1985।

एम० बी० भट्ट,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 26-5-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 26 मई 1986

निर्देश सं० पी० आर० नं० 4241—अतः मुझे एस० बी० भट्ट

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० चंगीसपुर मीठाखली सीम टी० पी० एस० 20, एफ० पी० 125 है तथा जो एस० पी० 4-ए जमीन 485 वर्ग मीटर और मकान में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती भारती बेन रामप्रसाद पटेल 29 भगवती सरदार पटेल नगर, नवरंगपुरा अहमदाबाद।

(अन्तरक)

(2) श्री नंदकुमार मनीलाल शाह, 5-बी कृष्णकुंज सोसाइटी भैरवनाथ रोड कांकरिया, अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

चंगीसपुर मीठाखली सीम टी० पी० एस० 20, एफ० पी० नं० 125, एस० पी० नं० 4-ए जमीन 485 वर्ग मीटर और मकान जी० एफ० और एफ० एफ० पर रजिस्ट्रेशन नं० 7904/ अक्तूबर 1985।

एस० बी० भट्ट
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

दिनांक : 26-5-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 26 मई 1986

निर्देश सं० पी० आर० नं० 4242—अतः मुझे एम० बी० भट्ट

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० वस्त्रापुर सीम टी० पी० एस० 21, एफ० पी० नं० 74 एस० पी० है तथा जो नं० 2 जमीन क्षेत्रफल 1101 वर्ग यार्ड बांधकाम नीचे में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 17 अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का **पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती** (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक **रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या **धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अल्लारखा भाई गुलाम मोहम्मद चावडी पोल पानकोर नाका अहमदाबाद।

(अन्तरक)

(2) श्री विनू भाई नागजी भाई पटेल चेयरमैन महेश अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ललिता सोसायटी, हसनपुर अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

वस्त्रापुर सीम टी० पी० एस० 21, एफ० पी० 74, एस० पी० नं० 2 जमीन क्षेत्रफल 1101 वर्ग यार्ड कन्स्ट्रक्शन नीचे रजिस्ट्रेशन नं० 11828/17-10-85।

एम० बी० भट्ट
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

दिनांक : 26-5-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम,, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 29 मई 1986

निर्देश सं० पी० आर० नं० 4243––अतः मुझे एस० बी० भट्ट

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/रु० से अधिक है

और जिसकी सं० छड़ावड भूमि टी० पी० एस० 3, एफ० पी० 647, एस० पी० 10–ए है तथा जो जमीन क्षेत्रफल 687.29 वर्ग मीटर बांधकाम सहित में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 29 अक्तूबर 1985।

को पूर्वोक्त संम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री विपिन चन्द्र रनछोड़लाल मेहता 10–ए पर्णकुंज सी० एच० विद्यालय के नजदीक आंबावाड़ी अहमदाबाद।

(अन्तरक)

(2) श्री मधुकान्त एच० सुतरिया प्रमोटर–प्रपोज्ड सुखशांति को–ओ० हा० सोसायटी 10–ए पर्णकुंज सोसायटी सी० एच० विद्यालय के नजदीक आंबावाड़ी अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो ,के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

छड़ावड भूमि टी० पी० एस०–3 एफ० पी० 647 एस० पी० 10–ए जमीन क्षेत्रफल 687.29 वर्ग मीटर बांधकाम सहित रजिस्ट्रेशन नं० 12499/29–10–85

एस० बी० भट्ट
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, अहमदाबाद

दिनांक : 29–5–1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 29 मई 1986

निर्देश सं० पी० आर० नं० 4244---अतः मुझे एस० वी० भट्ट

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० वासना सीम टी० पी० एस० नं० 22, एफ० पी० नं० 28, एस० पी० नं० 33 है तथा जो जमीन क्षेत्रफल 373.25 वर्ग मीटर बांधकाम सहित में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 16 अक्तूबर 1985।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ए० आशीत भाई दामुभाई शुक्ल 33, श्री दामु भाई कालोनी को० ओ० हा० सोसायटी लिमिटेड भट्टा के नजदीक थालतेज अहमदाबाद।

(अन्तरक)

(2) श्री योगेन रसीकलाल शाह के०/ओ० ए० हिमांशु शाह 14 जैन सोसायटी ऐलीसब्रीज अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

वासना सीम टी० पी० एस० नं० 22, एफ० पी० नं० 28, एस० पी० नं० 33 जमीन क्षेत्रफल 373.25 वर्ग मीटर कंस्ट्रक्शन सहित रजिस्ट्रेशन नं० 11732/16-10-85।

एस० वी० भट्ट
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

दिनांक : 29-5-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 29 मई 1986

निर्देश सं० पी० आर० नं० 4245--अत: मुझे एस० बी० भट्ट

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० पालड़ी सीम सर्वे नं० 219-220, टी० पी० एस० 6, एफ० पी० 300 है तथा जो जमीन क्षेत्रफल 809 वर्ग मीटर और बंगला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 10 अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री डॉ० चंदुलाल छोटालाल पदार, प्लाट नं० 13, कुसुमनगर सोसायटी गुजरात सोसायटी के नजदीक पालड़ी, अहमदाबाद।

(अन्तरक)

(2) श्री दिनेश कुमार रमनलाल पटेल, सुहासिनी फ्लैट नं० 13 म्युजिम के पीछे पालड़ी, अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पालड़ी सीम सर्वे नं० 219-220, टी० पी० एस० 6, एफ० पी० 300 जमीन क्षेत्रफल 809 वर्ग मीटर और बंगला रजिस्ट्रेशन नं० 11407/10-10-85।

एस० बी० भट्ट,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अहमदाबाद

दिनांक : 29-5-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 29 मई 1986

निर्देश सं० पी० आर० नं० 4246—अतः मुझे, एस० बी० भट्ट,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कालूपुर वार्ड नं० 3 सी० एस० नं० 4536 जमीन और मकान है तथा जो 456.52.70 वर्ग मीटर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 23 अक्तूबर 1985।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मोहम्मदी भाई सलेह भाई और अन्य, अहमदाबाद।

(अन्तरक)

(2) बेनर्स बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड, 14/1 रवि चेम्बर्स सलायस रोड, अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कालूपुर वार्ड नं० 3 सी० एस० नं० 4536 जमीन और मकान क्षेत्रफल 456.52.70 वर्ग मीटर रजिस्ट्रेशन नं० 12122/23-10-85।

एस० बी० भट्ट,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, अहमदाबाद

दिनांक : 29-5-1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 29 मई 1986

निर्देश सं० पी० आर० नं० 4247—अत: मुझे एस० बी० भट्ट,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० ए स० पी० 7 ए० एफ० पी० नं० 377, 381, 382 और 383 है तथा जो ऐलीसब्रीज टी० पी० एस० 3 जमीन क्षेत्रफल 803 वर्ग यार्ड 37 ईई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद 37 ईई फाइल किया में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 24 अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की, बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मोतीलाल चंदुलाल शाह माधुर्य के सामने नवरंगपुरा टेलीफोन एक्सचेंज के सामने लेन, सरदार पटेल हाल के साइड में ऐलीसब्रीज, अहमदाबाद–380006 ।

(अन्तरक)

(2) मधुसूदन केरार्माक्स दीप०, मधुसूदन वेजीटेबल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड रखीयाल तालुका दहेगाम जिला अहमदाबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एस० पी० नं० 7 ए० से एफ० पी० नं० 377, 381, 382 और 383 ऐलीसब्रीज टी० पी० एस० 3 जमीन क्षेत्रफल 803 वर्ग यार्ड और मकान 179 वर्ग यार्ड 37 ईई दिनांक 24–10–85 को फाइल किया ।

एस० बी० भट्ट
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, अहमदाबाद

दिनांक : 29–5–1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद दिनांक 29 मई 1986

निर्देश सं० पी० आर० नं० 4248—अतः मुझे, एस० बी० भट्ट,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य रु. 1,00,000/- से अधिक है

और जिसकी सं० एस० पी० नं० 7 से एफ० पी० नं० 377 381 382 और 383 है तथा जो ऐलीसब्रीज टी० पी० एस-3 जमीन क्षेत्रफल 803 वर्ग यार्ड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 11 अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री शांतीलाल चंदुलाल शाह माधुर्य नवरंगपुरा टेलीफोन एक्सचेंज के सामने लेन सरदार पटेल हाल के साईड में एलीसब्रीज अहमदाबाद 380006।

(अन्तरक)

(2) मधुसूदन केमीक्स दीप० मधुसूदन वेजीटेबल प्रोडक्टस कंपनी लिमिटेड रखीयाल तालुका दहेगाम जिला अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एस० पी० नं० 7 से एफ० पी० नं० 377, 381, 382 और 383 ऐलीसब्रीज टी० पी० एस० 3 जमीन क्षेत्रफल 803 वर्गयार्ड और मकान 179 वर्ग यार्ड 377ईई दिनांक 11-10-1085 को फाइल किया।

एस० बी० भट्ट
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 अहमदाबाद

दिनांक : 29-5-1986
मोहर। :

प्रारूप आई.टी.एन.एस. ---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 29 मई 1986

निर्देश सं० पी० आर० नं० 4249—अतः मुझे, एस० बी० भट्ट,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 2972 प्लाट नं० 2281—ए वार्ड नं० 7 भामगली है तथा जो दरवाजा के नजदीक हिल ड्राइव कृष्णा नगर भावनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भावनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 21 अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर धनकर अधिनियम, 19 57 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री भगुभाई नटुभाई शेख, वजीर मस्जिद के नजदीक रणजीत रोड, भावनगर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती हंसा बेन मनमोहन भाई तंबोली "अनुपम" अस्पताल के सामने भावनगर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सर्वे नं० 2972 प्लाट नं० 2281 में भामगली दरवाजा के नजदीक हिल ड्राइव वार्ड नं० 7 कृष्णनगर जमीन 1916.13 वर्ग मीटर 83.87 वर्ग मीटर रजिस्ट्रेशन नं० 3095/21-10-1985।

एस० बी० भट्ट,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

दिनांक : 29-5-1986
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 29 मई 1986

निर्देश सं० पी० आर० नं० 4250—अतः मुझे, एस० बी० भट्ट,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 2149-बी वार्ड नं० 7 हिल ड्राईव है तथा जो भावनगर जमीन और मकान में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भावनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 9 अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री धीरू भाई मुना भाई पटेल ब्लाक नं० 51 फीफ्थ फ्लोर बीसीयाना अपार्टमेंट 11, "वेस्ट एवेन्यू" शान्ताकूझ (वेस्ट) बम्बई।

(अन्तरक)

(2) श्री अर्जुन भाई वल्लभभाई पटेल, गनेशकृपा, विजयराज नगर प्लाट नं० 60, भावनगर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 2149/बी हिल ड्राइव रोड कृष्ण नगर भावनगर जमीन और मकान रजिस्ट्रेशन नं० 2142/9-10-85।

एस० बी० भट्ट
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अहमदाबाद

दिनांक : 29-5-1986
मोहर :

प्रारूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰ ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पटना

पटना, दिनांक 12 जून 1986

निर्देश सं॰ III-1298/अर्जन/86-87—अतः मुझे, दुर्गा प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं॰ प्लाट सं॰ 2667, खाता सं॰ 924 तौजी सं॰ 5/74, थाना सं॰ 1 है तथा जो दीघा, पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 31 अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रणजीत सिंह मौजा-दीघा, थाना-दीघा घाट, पटना।

(अन्तरक)

(2) मै॰ पूर्व चन्द्र सहकारी गृह निर्माण समिति लि॰ 13, एम॰ आई॰ जी॰ ककड़बाग कालोनी पटना-20 द्वारा श्री राजेश कुमार झा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

8 कट्ठा जमीन जो मौजा दीघा, जिला, पटना में स्थित है और पूर्ण रूप से वसीका संख्या I-15505 दिनांक 31-10-85 में वर्णित है और जिसका निबंधन रजिस्ट्रार आफ एसोरेंसज, कलकत्ता द्वारा हुआ है।

दुर्गा प्रसाद,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बिहार, पटना

दिनांक : 12-6-1986
मोहर :

प्ररूप. आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज पटना

पटना, दिनांक 12 जून 1986

निर्देश सं० III–1299/अर्जन/86-87—अतः मुझे दुर्गा प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० तौजी सं० 5174 खाता सं० 924, प्लाट सं० 2667, थाना सं० 1 है तथा जो मौजा दीघा, थाना दीघा, जिला पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 31 अक्तूबर 1985।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रणजीत प्रसाद सिंह, सुपुत्र स्व० हरिनारायण सिंह, दीघा घाट, थाना दीघा, जिला पटना। (अन्तरक)

(2) कपूर चन्द्र सहकारी गृह निर्माण समिति लि० कंकड़ बाग पटना द्वारा श्री राजेश कुमार झा, सचिव। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

14 कट्ठा जमीन जो मौजा दीघा, थाना दीघा, जिला पटना में स्थित है और जो वसिका सं० 1-15506 दिनांक 31-10-85 में पूरी तरह वर्णित है तथा जिसका निबंधन सब-रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार आफ एसोरेंस, कलकत्ता द्वारा सम्पन्न हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

दिनांक : 12-6-1986

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 12 जून 1986

निदेश सं० 3-1300/अर्जन/86-87—अत: मुझे दुर्गा प्रसाद आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० तौजी सं० 5174 खाता सं० 924, प्लाट नं० 2667, थाना सं० 1 मौजा दीघा, थाना दीघा, जिला पटना में स्थित है (और इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 31-10-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रणजीत प्रसाद सिंह, सुपुत्र स्वर्ग० हरिनारायण सिंह, दीघा थाना दीघा, जिला पटना

(अन्तरक)

(2) श्री कपूर चन्द्र शाह नारी गृह निर्माण समिति लि० कंकड़ बाग पटना द्वारा श्री राजे कुमार झा, सचिव

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

9 कट्ठा जमीन जो मौजा दीघा, थाना दीघा, जिला पटना में स्थित है और जो वसिका सं० 7-15504 दिनांक 31-10-85 में पूरी तरह वर्णित है तथा जिसका निबन्धन सब-रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार आफ एसोरेन्सेज, कलकत्ता द्वारा सम्पन्न हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख 12-6-86
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 12 जून, 1986

निर्देश सं० 3-130/अर्जन/86-87—अतः मुझे दुर्गा प्रसाद आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० तौजी सं० 5174 खाता सं० 924, प्लाट सं० 2667, थाना सं०-1 है, तथा जो मौजा दीघा, थाना दीघा, जिला पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 31-10-85 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रणजीत प्रसाद सिंह हरिनारायण सिंह, दीघा घाट, थाना, दीघा, जिला पटना।
2 श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी स्व० एच० एन० सिंह, दीघा, पटना
(अन्तरक)

(2) कपूर चन्द्र सहकारी गृह निर्माण समिति लि० कंकड़ बाग पटना द्वारा श्री राजेश कुमार झा, सचिव
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

8 कट्ठा जमीन जो मौजा दीघा, थाना, दीघा, जिला पटना में स्थित है और जो बसिका सं० 1-15502 दिनांक 31-10-85 में पूरी तरह वर्णित है तथा जिसका निबन्धन सब-रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार आफ एसोसिरेन्स, कलकत्ता द्वारा सम्पन्न हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम पदाधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षी)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख, 12-6-86
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 12 जून, 1986

निदेश सं० 3-1302/अर्जन/86-87—अतः मुझे दुर्गा प्रसाद आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सौजी सं० 5174 खाता सं० 724, प्लाट सं० 2667, थाना सं० 1 है, तथा जो मौजा, दीघा, थाना दीघा, जिला पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 31-10-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच के ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रणजीत प्रसाद सिंह सपुत्र हरिनारायण सिंह, दीघा घाट, थाना दीघा, जिला पटना

(अन्तरक)

(2) कपूर चन्द्र सहकारी गृह निर्माण समिति लि० कंकड़ बाग पटना द्वारा श्री राजेश कुमार झा, सचिव।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

8 कट्ठा जमीन जो मौजा दीघा, थाना, दीघा, जिला पटना में स्थित है और जो वसिका सं० I-15510 दिनांक 31-10-85 में पूरी तरह वर्णित है तथा जिसका निबन्धन सब-रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार आफ एसोरेन्स कलकत्ता द्वारा सम्पन्न हुआ है।

दुर्गा प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख 12-6-86

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 12 जून 1986

निदेश सं० 3-1303/अर्जन/86-87---अत: मुझे दुर्गा प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० तौजी सं० 5174 खाता सं० 924, प्लाट सं० 2667 थाना सं० 1 है तथा जो मौजा दीघा, थाना दीघा, जिला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 31-11-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की, बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रणजीत प्रसाद सिंह, सुपुत्र स्व० हरिनारायण सिंह, दीघा घाट, थाना दीघा, जिला पटना।
(अन्तरक)

(2) श्री कपूर चन्द्र सहकारी गृह निर्माण समिति लि० कंकड़ बाग पटना द्वारा श्री राजेश कुमार झा, सचिव।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

13 कट्ठा जमीन जो मौजा दीघा, थाना दीघा, जिला पटना में स्थित है और जो वसिका सं० 1-15508 दिनांक 31-10-85 में पूरी तरह स्थित है तथा जिसका निबन्धन सब-रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार आफ एसोरेन्स, कलकत्ता द्वारा सम्पन्न हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम पदाधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख 12-6-86
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बिहार

पटना, दिनांक 12 जून 1986

निदेशक सं० I}I 1304/अर्जन/86-87—अतः मुझे दुर्गा प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० तौजी सं० 5174 खाता सं० 924, प्लाट सं० 2667, थाना सं० 1 है, तथा जो मौज, दीघा, थाना, दीघा, जिला पटना में स्थित है (और इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 31-10-85

यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रणजीत प्रसाद सिंह, सुपुत्र स्व० हरिनारायण सिंह, दीघा घाट, थाना दीघा, जिला पटना

(अन्तरक)

(2) कपूर चन्द्र सहकारी गृह निर्माण समिति लि० कंकड़ बाग पटना द्वारा श्री राजेश कुमार झा, सचिव

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कट्ठा जमीन जो मौजा दीघा, थाना दीघा, जिला पटना में स्थित है और जो वसिका सं० I-15503 दिनांक 31-10-85 में पूरी तरह वर्णित है तथा जिसका निबंधन सब-रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार आफ एस्योरेन्सेज, कलकत्ता द्वारा सम्पन्न हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र बिहार,

तारीख 12-6-84
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार

पटना, दिनांक 12 जून, 1986

निदेश सं० III-1305/अर्जन/86-87—अतः मुझे दुर्गा प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 2665 खाता सं० 989 तौजी सं० 5174, थाना नं० 1 है, तथा जो दीघा, पटना में स्थित है (और इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 31-10-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) रणजीत सिंह मौजा दीघा, थाना दीघा घाट, पटना
(अन्तरक)

(2) मैं० कपूर चन्द्र सहकारी गृह निर्माण समिति लि० 13, एम० आई० जी० लोहियानगर कॉलनी पटना-20 द्वारा श्री राजेश कुमार झा
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

13 कट्ठा/जमीन जो मौजा दीघा, जिला पटना में स्थित है और पूर्ण रूप से वसीका संख्या 1-15507 दिनांक 31-10-85 में वर्णित है और जिसका निबन्धन रजिस्ट्रार आफ एसोरेन्स, कलकत्ता द्वारा हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख 12-6-86
मोहर :

प्ररूप. आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार

पटना, दिनांक 12 जून 1986

निदेश सं० III-1306/अर्जन/86-87--अतः मुझे दुर्गा प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट सं० 2665 खाता सं० 989 तौजी सं० 5174, थाना सं० 1 है तथा जो दीघा पटना में स्थित है (और इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 31-10-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन, कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री रणजीत सिंह मौजा दीघा, थाना दीघा घाट, पटना।

(अन्तरक)

(2) मै० कपूर चन्द्र सहकारी गृह निर्माण समिति लि० 13, एम० आई० जी० काकड़बाग कालनी पटना-20 द्वारा श्री राजेश कुमार झा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

13 कट्ठा जमीन जो मौजा दीघा जिला पटना में स्थित है और पूर्ण रूप से वर्णित वसीका संख्या I-15509 दिनांक 31-10-85 में वर्णित है और जिसका निबन्धन रजिस्ट्रार आफ एसोरेंसेज कलकत्ता द्वारा हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख 12-6-86
मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 12 जून 1986

निदेश सं० III-1307/अर्जन/86-87--अत: मुझे, दुर्गा प्रसाद,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं० प्लाट सं० 2694 खाता सं० 924 तौजी सं० 5600 थाना सं० 1 है, तथा जो दीघा, पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्री अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 31-10-1985
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रणजीत सिंह मौजा दीघा, थाना दीघा घाट, पटना (अन्तरक)

(2) मैं० कपूर चन्द्र सहकारी गृह निर्माण समिति 12 एम० आई० जी० ककड़बाग कालनी पटना-20 द्वारा श्री राजेश कुमार झा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

22.2 डिसमल जमीन जो मौजा दीघा, जिला पटना में स्थित है और पूर्ण रूप से वसीका संख्या I-14820 दिनांक 31-10-85 में वर्णित है और जिसका निबन्धन रजिस्ट्रार ऑफ एसोरेन्स, कलकत्ता द्वारा हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख : 12-6-86
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पटना

पटना, दिनांक 12 जून 1986

निदेश सं० III, 1308/अर्जन/—अतः मुझे दुर्गा प्रसाद आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 2687 खाता सं० 1842 तौजी सं० 5600 थाना नं० 1 है तथा जो दीघा पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 31-10-1985 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रणजीत सिंह मौजा दीघा थाना दीघा घाट पटना।

(अन्तरक)

(2) मै० कपूर चन्द्र सहकारी गृह निर्माण समिति लि० 13 एम० आई० जी० ककड़ बाग कालनी पटना-20 द्वारा श्री राजेश कुमार झा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

31 डिसमल जमीन जो मौजा दीघा जिला पटना में स्थित है। और पूर्ण रूप से बसीका संख्या I-15512 दिनांक 30-10-85 में वर्णित है और जिसका निबंधन रजिस्ट्रार आफ एसीरन्सेज कलकत्ता द्वारा हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पटना

दिनांक 12-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पटना

पटना, दिनांक 12 जून 1986

निदेश सं० —1309/अर्जन/—अतः मुझे दुर्गा प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट सं० 2694 खाता सं० 924 तौजी सं० 5600 थाना म० 1 है तथा जो दीघा पटना में स्थित है। (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 31-10-1985

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) रणजीत सिंह मौजा दीघा थाना दीघा घाट पटना।

(अन्तरिती)

(2) मैं० कपूर चन्द्र सहकारी गृह निर्माण समिति लि० 13 एम० आई० जी० कंकड़ बाग कालोनी पटना-20 द्वारा श्री राजेश कुमार झा।

(अन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

22.2 कट्ठा/डिसमल जमीन जो मौजा दीघा जिला पटना में स्थित है। और पूर्ण रूप से वसिका संख्या I-14819 दिनांक 31-10-1985 में वर्णित है और जिसका निबंधन रजिस्ट्रार आफ एसोरेन्सेज कलकत्ता द्वारा हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पटना

दिनांक : 12-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज पटना

पटना दिनांक 12 जून 1986

निदेश सं० III-1310/अर्जन/86-87/--अतः मुझे दुर्गा प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० तौजी सं० 5174 खाता सं० 924 प्लाट सं० 2667 खाता सं०-1 है तथा जो मौजा दीघा थाना दीघा जिला पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 31-10-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) एजीत प्रताप सिंह पुत्र स्व० हरिनारायण सिंह दीवा घाट थाना दीघा जिला पटना।

(अन्तरक)

(2) कपूर चन्द्र सहकारी गृह निर्माण समिति लि० कंकड़ बाग पटना द्वारा श्री राजेश कुमार झा सचिव।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कट्ठा जमीन जो मौजा दीघा थाना दीघा जिला पटना में स्थित है। और वसिका सं० दिनांक 31-10-1985 में पूरी तरह वर्णित है तथा जिसका निबन्धन सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार आफ एसोरेन्सेज कलकत्ता द्वारा सम्पन्न हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पटना

दिनांक 12-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज पटना

पटना दिनांक 12 जून 1986

निदेश सं० III/131/अर्जन 86-87—अतः मुझे, दुर्गा प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा **269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी सं० थाना स० 1 तौजी सं० 5176 खाता सं० 1088 प्लाट सं० 2649 है तथा जो मौजा दीघा थाना दीघा–जिला–पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 31–10–1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का **पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों)** के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया **प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर **अधिनियम**, 1922 **(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन**-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के **प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा** के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण **में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—**

(1) श्री दीप नारायण राम स्व० सुपुत्र सूरज राम बड़ी दीघा थाना दीघा जिला पटना।

(अन्तरक)

(2) मे० कपूर चन्द्र सहकारी गृह निर्माण समिति लि० केकड़ बाग पटना द्वारा श्री राजेश कुमार झा सचिव।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास **लिखित में किए जा सकेंगे।**

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

10 कट्ठा जमीन जो मौजा दीघा थाना–दीघा जिला–पटना में स्थित है। और पूर्ण रूप से वसिका संख्या; I–15513 दिनांक 31–10–1985 में वर्णित है और जिसका निबन्धन रजिस्ट्रार आफ एसोरेन्सेज कलकत्ता द्वारा हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पटना

दिनांक : 12–6–1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 12 जून, 1986

निर्देश सं० 3/1312/अर्जन/86-87—अत: मुझे दुर्गा प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० थाना सं० 1 तौजी सं० 5176 खाता सं० 1089 प्लाट सं० 2651 मौजा दीघा, थाना दीघा, जिला पटना में स्थित है (और इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 31-10-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दीप नारायण राम सुपुत्र स्व० भूषण राम बड़ी दीघा, थाना, दीघा, जिला पटना।

(अन्तरक)

(2) मै० कपूर चन्द्र सहकारी गृह निर्माण समिति लि० कंकड़ बाग, पटना द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार झा सचिव

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

10 कट्ठा जमीन जो मौजा दीघा थाना-दीघा, जिला पटना में स्थित है और पूर्ण रूप से वसीका संख्या 1-15515 दिनांक 31-10-85 में वर्णित है और जिसका निबन्धन रजिस्ट्रार आफ एसुयोरेंस कलकत्ता द्वारा हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम पदाधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र बिहार, पटना।

तारीख 12-6-85
मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 12 जून, 1986

निर्देश सं० 3-1313/अर्जन/86-87—अत: मुझे दुर्गा प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० थाना सं० 1 तौजी सं० 5176 खाता सं० 1088 प्लाट सं० 2642/2650 है, तथा जो मौजा दीघा, थाना दीघा, जिला पटना में स्थित है (और इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 31-10-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दीप नारायण राम सुपुत्र स्व० सुरण राम बड़ी दीघा, थाना दीघा, जिला पटना

(अन्तरक)

(2) मै० कपूर चन्द्र सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, कंकड़ बाग, पटना द्वारा श्री राजेश कुमार झा, सचिव

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

10 कट्ठा जमीन जो मौजा दीघा थाना दीघा, जिला पटना में स्थित है और पूर्ण रूप से वर्णित है वसीका संख्या I-15516 दिनांक 31-10-85 में वर्णित है और जिसका निबन्धन रजिस्ट्रार आफ एसोरेन्स कलकत्ता द्वारा हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना।

तारीख 12-6-86
मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 12 जून, 1986

निदेश सं० 3-1314/अर्जन/86-87—अतः मुझे दुर्गा प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० थाना सं० 1 तौजी सं० 5176 खाता सं० 1089 प्लाट सं० 2651 है, तथा जो मौजा दीघा, थाना दीघा पटना में स्थित है (और इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 31-10-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री दीप नारायण राम सुपुत्र स्व० सुरज राम बड़ा दीघा, थाना-दीघा, जिला-पटना

(अन्तरक)

(2) मै० कपूर चन्द्र सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, कंकड़ बाग, पटना द्वारा श्री राजेश कुमार झा, सचिव

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

10 कट्ठा/डिसमल जमीन जो मौजा दीघा, थाना-दीघा, जिला-पटना में स्थित है और पूर्ण रूप से वर्णित है वसीका संख्या 1-15514 दिनांक 31-10-85 में वर्णित है और जिसका निबन्धन रजिस्ट्रार आफ एसयोरेंस कलकत्ता द्वारा हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम पदाधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख 12-6-86
मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस. ------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 12 जून, 1986

निदेश सं० 3-1315/अर्जन/86-87—अत: मुझे दुर्गा प्रसाद आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट सं० 355 खाता सं० 143, थाना सं० 15, तौजी सं० 80 है, तथा जो मौजा जकरियापुर, थाना आलमगंज, जिला पटना में स्थित है (और इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 10-10-86

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० रेशमी देवी ग्राम छोटी पहाड़ी, थाना आलमगंज डा० बड़ी पहाड़ी, पटना-7

(अन्तरक)

(2) मै० गणेशदत्त सहकारी गृह निर्माण समिति लि० कंचड़बाग पटना-20, द्वारा श्री अवध किशोर प्र० सिंह, सचिव

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

10 कट्ठा जमीन जो मौजा जकरियापुर थाना आलमगंज जिला पटना में स्थित है और पूर्ण रूप से वसीका संख्या I-14828/85 दिनांक 10-10-85 में वर्णित है और जिसका निबन्धन सब-रजिस्ट्रार आफ एसोरेन्स कलकत्ता द्वारा सम्पन्न हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख : 12-6-86
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पटना

पटना दिनांक 12 जून 1986

निर्देश सं० III-1316/अर्जन/86-87--अत: मुझे दुर्गा प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट सं० 356 खाता सं० 144 तौजी सं० 6692 थाना 15 है तथा जो ग्राम जकरियापुर थाना आलमगंज पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 10 अक्तूबर 1985।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रामेश्वर गोप मोहाजा मोहल्ला थाना—खीजकलां डा० हाजीगंज जिला पटना।

(अन्तरक)

(2) मै० गणेशदत्त सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, कंकड़बाग पटना-20 द्वारा श्री अवध किशोर प्रसाद सिंह सचिव

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

5 कट्ठा जमीन जो ग्राम जकरियापुर थाना आलमगंज पटना में स्थित है और पूर्ण रूप से वसिका संख्या—1—14725 दिनांक 10-10-85 में वर्णित है और जिसका निबंधन सब रजिस्ट्रार आफ एसोरेंस कलकत्ता द्वारा सम्पन्न हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बिहार, पटना

दिनांक : 12-6-1986
मोहर : :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पटना

पटना, दिनांक 12 जून 1986

निर्देश सं० III—1317/अर्जन/86-87—अत: मुझे दुर्गा प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 264 खाता सं० 115 तौजी सं० 33 थाना सं० 15 है तथा जो मौजा जकरियापुर थाना आलमगंज पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 10 अक्तूबर 1985।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जगदीश प्रसाद सुपुत्र श्री राधा प्रसाद ग्राम—जकारयापुर छोटी पहाड़ी थाना—आलमगंज डा० बड़ी पहाड़ी पटना—7।

(अन्तरक)

(2) मे० गणेशदत्त सहकारी गृह निर्माण समिति लि० कंकड़बाग पटना—20 द्वारा श्री अवध कशोर प्रसाद सिंह सचिव।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

7 कट्ठा जमीन जो मौजा जकरियापुर थाना आलमगंज, पटना में स्थित है और पूर्ण रूप से वसीका संख्या 1—14726, दिनांक 10—10—85 में वर्णित है तथा जिसका निबंधन सब-रजिस्ट्रार आफ एसोरेंस कलकत्ता द्वारा सम्पन्न हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज बिहार, पटना

दिनांक : 12—6—1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पटना

पटना दिनांक 12 जून 1986

निर्देश सं० III-1318/अर्जन/86-87--अतः मुझे, दुर्गा प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट सं० 367 खाता सं० 125 तौजी सं० 697 थाना सं० 15 है तथा जो ग्राम जकरियापुर प्रगना अजीमाबाद थाना-पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधि-, कारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 10 अक्तूबर 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्रेयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके श्रेयमान प्रतिफल से, ऐसे श्रेयमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री हरि महतो ग्रा० जकरियापुर थाना-आलमगंज डा० बड़ी पहाड़ी पटना-7।

(अन्तरक)

(2) मै० गणेशदत्त सहकारी गृह निर्माण समिति लि० कंकड़बाग पटना-20 द्वारा श्री अवध किशोर प्र० सिंह सचिव।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है,

अनुसूची

6 कट्ठा जमीन जो ग्राम जकरियापुर प्रगना अजीमाबाद थाना-पटना में स्थित है और पूर्ण रूप से वर्णिका संख्या 14727 दिनांक 10-10-85 में वर्णित है और जिसका निबंधन रजिस्ट्रार आफ एसोरेंस कलकत्ता द्वारा सम्पन्न हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज बिहार पटना

दिनांक: 12-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पटना

पटना, दिनांक 12 जून 1986

निर्देश सं० III-1319/अर्जन/86-87--अतः मुझे. दुर्गा प्रसाद

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट सं० 1674 खाता सं० 444 तौजी सं० 229 न्यू 15670 थाना 14 है तथा जो ग्राम-पहाड़ी प्रगना अजीमाबाद पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 10 अक्तूबर 1985।

की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास **करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का** पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती **(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया** प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में **वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री गुलाब राय 2. श्री बलिराम ग्राम-इलाहीबाग थाना-फुलवाड़ी डा० बरिया पटना-7।

(अन्तरक)

(2) मै० गणेशदत्त सहकारी गृह निर्माण समिति लि० कंकड़बाग पटना-20 द्वारा श्री अवध किशोर प्र० सिंह।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित **हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

10 कट्ठा जमीन जो ग्राम पहाड़ी प्रगना अजीमाबाद पटना में स्थित है और पूर्ण रूप से वसिका संख्या 1-14729 दिनांक 10-10-85 में वर्णित है और जिनका निबंधन सब-रजिस्ट्रार आफ एसोरेंस कलकत्ता द्वारा हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बिहार, पटना

दिनांक : 12-6-1986
मोहर :]

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र बिहार, पटना

पटना, दिनांक 12 जून 1986

निदेश सं० III-1320/अर्जन/85-86—अत: मुझे, दुर्गा प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट सं० 1674 खाता सं० 144 तौजी सं० 229 न्यू 15870 थाना सं० 14 ग्राम पहाड़ी प्रगना-अजीमाबाद पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 10-10-85

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री गुलाब राय एंड ब्रदर्स ग्राम-इलाहीबाग थाना फुलवारी डा० बरिया पटना-7

(अन्तरक)

(2) मैं० गणेशदत्त सहकारी गृह निर्माण समिति लि० कंकड़बाग पटना-20 द्वारा श्री अवध किशोर प्रा० सिंह सचिव (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दस कट्ठा जमीन जो ग्राम पहाड़ी प्रगना अजीमाबाद पटना में स्थित है तथा पूर्ण रूप से वसीका संख्या 1-14731 दिनांक 10-10-85 में वर्णित है और जिसका निबन्धन सब-रजिस्ट्रार आफ एसोरेन्स कलकत्ता द्वारा सम्पन्न हुआ है

दुर्गा प्रसाद
सक्षम पदाधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र बिहार पटना

तारीख: 12-6-86
मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 12 जून 1986

निदेश सं० 3/321/अर्जन/85-86—अतः मुझे, दुर्गा प्रसाद आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० हीलिंडग सं० 269 वार्ड नं० 15 हिस्सा प्लाट 2873, 2874 306 और 307 है तथा जो कतरास रोड धनबाद में स्थित है (और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय धनबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 30-7-85 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री प्रभुलाल मानजी चौहान सुपुत्र स्व० एम० जी० चौहान एवं अन्य पांच कतरास रोड धनबाद
(अंतरक)

(2) मै० करमचन्द थापर एंड ब्रदर्स (कील सेहन्स (लि०) रजिस्टर्ड कार्यालय थापर हाउस क्रेबान रोड कलकत्ता
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

10700 वर्ग फीट जमीन मय मकान के जो कतरास रोड धनबाद में स्थित है तथा पूर्ण रूप से वर्णित संख्या 10524 दिनांक दिनांक 30-10-85 में वर्णित है और जिसका निबन्धन जिला अवर निबन्धक धनबाद द्वारा सम्पन्न हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम पदाधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षी)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख : 12-6-86
मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र बिहार, पटना

पटना, दिनांक 13 जून 1986

निर्देश सं० 3-1322/अर्जन/86-87—अतः मुझे दुर्गा प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० होल्डिंग 2303/925 और 2304/926 वार्ड नं० 11 सर्किल नं० 8-ए कंकड़बाग पटना-20 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 17-10-85 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती भागवन्त कौर पत्नी सरदार अमरीक सिंह द्वारा सरदार अमरीक सिंह (पावर आफ अटार्नी सं० 2239 दिनांक 30-9-85) पटना टावर हाउस बिल्डिंग न्यू डाक बंगला रोड पटना-1
2. सरदार गुरदीप सिंह सुपुत्र सरदार मोहिन्दर सिंह न्यू डाक बंगला रोड पटना-1

(अन्तरक)

(2) 1. कृष्ण मुरारी पांडेय सुपुत्र स्व० बागेश्वरी पांडेय 2. रवीन्द्र कुमार पांडेय 3. जितेन्द कुमार पांडेय दोनों सुपुत्र कृष्ण मुरारी पांडेय 4. श्रीमती राम दुलारी देवी पत्नी स्व० कृष्ण मुरारी पांडेय 5. श्रीमती लक्ष्मी पांडेय स्व० रवीन्द कुमार पांडेय 6. मास्टर विकास कुमार पांडेय द्वारा मां और अभिभावक
श्रीमती लक्ष्मी पांडेय सभी निवासी फुसरो डा० बाजार गिरीडिह

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

7 कट्ठा 10 धुर जमीन मय मकान के जो कंकड़बाग, पटना 20 में स्थित है तथा पूर्ण रूप से वर्णित है वसीका संख्या 7237 दिनांक 17-10-85 में वर्णित है और जिसका निबन्धन जिला अवर निबन्धक पटना द्वारा सम्पन्न हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम पदाधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षी)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख : 13-6-86
मोहर :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 15th May 1986

No. A-32013/3/83(iii)-Admn.I.—Consequent upon their reversion from deputation posts of Special Assistant in the office of Union Public Service Commission, S/Shri P. P. Sikka and T. R. Sharma assumed charge of the posts of Senior Personal Assistant (Grade B of CSSS) in the CSSS cadre of Union Public Service Commission with effect from the forenoon of 11th August, 1985.

The 30th May 1986

No. A-12023/1/86-Admn.II.—The Chairman, Union Public Service Commission, hereby appoints Dr. I. Panduranga Rao, Director (O.L.) (Central Secretariat Official Language Service) in the office of the Union Public Service Commission, to the ex-cadre post of Director (Language Medium) in the pay scale of Rs. 2250-125/2-2500 in the Commission's office on an ad-hoc basis for a period of six months w.e.f. 26-5-1986 to 25-11-1986 or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Dr. I. P. Rao as Director (LM) will be on deputation basis and will be regulated in terms of Ministry of Finance, Deptt. of Exp. O.M. No. F.1(11)-E.III(B)/75 dated 7-11-1975.

M. P. JAIN
Under Secy. (Admn.)
Union Public Service Commission

MINISTRY OF PERSONNEL & TRG., ADMN. REFORMS PUBLIC GRIEVACES & PENSION

(DEPTT. OF PERSONNEL & TRG.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-3, the 16th June 1986

No. A-19035/1/78-AD.V.—Shri Jagat Singh, relinquished the charge of the post of Office Superintendent/C.F.S.L., CBI, New Delhi with effect from the afternoon of 30th April, 1986, on superannuation.

No. A-19020/2/83-AD.V.—The services of Shri S. K. Awasthi, IPS (UP-1974) Supdt. of Police, Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment, S.I.C. Branch are placed at the disposal of Govt. of Uttar Pradesh with effect from the afternoon of 30th April, 1986, on repatriation.

No. 13/2/86-AD.V.—Director CBI & Inspector General of Police, Special Police Establishment is pleased to appoin Shri Ram Saran Sethi as Office Superintendent in CBI on promotion on regular basis with effect from 1st May, 1986, until further orders.

No. 3/23/86-AD.V.—Shri Hans Raj Bulbul, Crime Assistant/CBI is appointed to officiate as Office Superintendent on purely ad-hoc basis until further orders with effect from the forenoon of 27-5-1986 in the leave vacancies of S/Shri S. K. Sharma, OS/Central Zone and D. Mukherjee, OS/Zone-I proceeded/proceeding on leave.

D. P BHALLA
Administrative Officer (E)
Central Bureau of Investigation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

INSTITUTE OF CRIMINOLOGY AND FORENSIC SCIENCE

New Delhi-110055, the 11th June 1986

No. 1/11/76-ICFS.—On attaining the age of superannuation, Shri S. K. Sharma, Assistant Director (Document), Institute of Criminology & Forensic Science (MHA) New Delhi has retired from his post on the afternoon of the 31st May, 1986 and transferred to the pension establishment.

No. 1/11/76-ICFS.—On attaining the age of superannuation Dr. P. C. Maiti, Additional Director, Institute of Criminology and Forensic Science (M.H.A.), New Delhi has retired from his post on the afternoon of the 31st May 1986 and transferred to the pension establishment.

R. S. KULKARNI
Director

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110 011, the 13th June 1986

No. F-10/7/86-Ad.I.—On the recommendation of the Appointments Committee of the Cabinet, the President is pleased to appoint Shri V. P. Pandey, CSS, presently serving as Joint Registrar General, India, in the Office of the Registrar General, India, under the Ministry of Home Affairs, as Joint Secretary in his present post, on personal basis, in the scale of pay of Rs. 2500-2750, with effect from the forenoon of 13th June, 1986, until further orders.

His Headquarters will be at New Delhi.

V. S. VERMA
Registrar General

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) I, BIHAR

Patna, the 6th June 1986

No. Admn.I(Au-I)-20-5/292.—The Accountant General (Audit) I, Bihar, Patna has been peased to promote the following Section officers to officiate, until further order, as Asstt. Audit Officer (Gr. B) Gazetted in the scale of 650-30-740-35-880-EB-40-1040 with effect from 30-5-86 (FN) or from the date of their taking over charge whichever is later.

Sl. No.	*Names*
	S/Shri
1.	Sia Raghubir Saran.
2.	Surendra Prasad Singh No. I.
3.	Ranchor Prasad Verma.
4.	Kunj Behari Prasad.
5.	Md. Manzar Maswood.
6.	Krishna Mohan Prasad.
7.	Lal Mohan Prasad Verma.
8.	Rabindra Nath Moitra.
9.	M. G. Mohiuddin.
10.	Chandreshwar Prasad Singh No. II.

J. CHATTERJEE
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E) KERALA

Trivandrum-39, the 28th May 1986

No. Estt/A/V/9-86/Vol III/59.—The Accountant General (A&E) Kerala is pleased to appoint the undermentioned section officers to officiate as Accounts Officers with effect from the date shown against each until further orders :—

1. Shri M. R. Chandrasekharan Nair—16-5-86.
2. Shri P. Balakumaraswamy Pillai—19-5-86.
3. Shri Mathew Varghese—19-5-86.
4. Smt. C. V. Padminikutty Amma—19-5-86.
5. Shri T. N. Sankaran Nair—19-5-86.

The appointment is provisional and subject to further orders as may be issued by the Hon'ble High court of Kerala in O.P. No. 75084K.

S. B. PILLAY
Senior Deputy Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), WEST BENGAL

Calcutta-700001, the 10th June 1986

No. Admn.II/1038-XXI/319.—The Accountant General (A&E), Wesnt Bengal has been pleased to grant Shri Ashis

Kumar Choudhury II, Permanent Section Officers on deputation to Home (PAR) Department of the Government of West Bengal, proforma promotion on ad-hoc and provisional basis in the scale of Rs. 840—1200/- in temporary and officiating capacity w.e.f. 7-3-86 (A.N.) viz. the date on which his immediate junior Shri Debabrata Bose takes over charge as Accounts Officer in this office and until further orders. All the conditions precedent to the grant of promotion under the "Next Below Rule" stand fulfilled in this case and the A.G. (A&E), West Bengal has been pleased to declare the post held by Shri Choudhury on deputation, to be outside the ordinary line of service under the second proviso to FR 30(1).

It should be clearly understood that the aforesaid promotions in the cadre of Accounts Officer is purely provisional during pendency of the rule in the Calcutta High Court case and will be subject to final decision of the court case filed against the Union of India and others under CR Case No. 14818(W) of 1979.

The newly promoted Accounts Officer will have to exercise option within one month. On his promotion his pay shall be first fixed under FR 22C and in case he exercises option in terms of para 2(b) of OM dated 26-9-81 within the prescribed period of one month, his pay should be first fixed under FR 22(a)(i) w.e.f. the date of his promotion and then under FR 22(c) only w.e.f. the date of next increment in the feeder post.

This order has been issued in partial modification of this office letter no. Admn.I/1038-XXI/3363 dated 10-3-86.

D. MISRA
Senior Deputy Accountant General
(Administration)
West Bengal

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I), WEST BENGAL

Calcutta-700 001, the 12th June 1986

No. Admn.III/RC/281/II/58.—Accountant General (Audit) I, West Bengal has been pleased to appoint the Section Officers (Audit) as per enclosed list to officiate in the post of Assistant Audit Officer in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-880-EB-40-1040/- with effect from 1st November 1985 or from the date of taking over charge whichever is later, until further orders.

2. This is subject to the final outcome of the Writ Petition now pending before the Calcutta High Court.

S. K. MISHRA
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)
West Bengal

LIST OF SECTION OFFICERS APPOINTED ON PROMOTION TO THE POSTS OF ASSISTANT AUDIT OFFICERS

Sl. No.	Name	Appointment order No. & date			Date of taking over charge.
	S/Shri				
1.	Baidyanath Dhali	Admn. I/RC/281/1		dt. 1-11-85	1-11-85
2.	Amarendra Nath Chaudhury	Do.	2	Do.	Do.
3.	Kanu lal Ghatak	Do.	3	Do.	Do.
4.	Rathindra Lal Ray	Do.	4	Do.	Do.
5.	Somesh Sen	Do.	5	Do	Do.
6.	Kangali Charan Ghosh	Do.	6	Do.	Do.
7.	Bhabani Prosad Banerjee	Do.	7	Do	Do.
8.	Ranjit Kumar Bhowmick	Do.	8	Do.	Do
9.	Chita Ranjan Das-II	Do.	9	Do.	Do.
10.	Nepal Chandra Kanji Lal	Do.	10	Do.	Do.
11.	Satyendra Nath Banerjee II	Do.	11	Do.	Do.
12.	Ranjit Kumar Datta	Do.	12	Do.	Do.
13.	Samirendra Nath Mitra	D.	13	Do.	Do.
14.	Subhas Chandra Mukherjee	Do.	14	Do.	Do.
15.	Ashoke Kumar Basu	Do.	15	Do.	Do
16.	Sadhan Priya Ghosh	Do.	16	Do.	Do.
17.	Bikash Chandra Sen	Do	17	Do.	Do.
18.	Hrishikesh Chowdhury	Do.	18	Do.	Do.
19.	Ashis Kumar Chaudhuri (I)	Do.	19	Do.	Do.
20.	Satchidananda Hari Mitra	Do.	20	Do.	Do.
21.	Sukhendu Bikash Dey	Do.	21	Do.	Do.
22.	Bimalendu Bhattacharya-II	Do.	22	Do.	Do.
23.	Parimal Kumar Das Gupta	Do.	23	Do.	Do.
24.	Pankaj Kumar Chowdhury	Do.	24	Do.	Do.

Sl. No.	Name	Appointment order No. & Date			Date of taking over charge
	S/Shri				
25.	Saral Kanti Sen	Admn. I/RC/281/	25	dt. 1-11-85	1-11-85
26.	Asit Kumar Bose	Do.	26	Do.	Do.
27.	Swaraj Kr. Banerjee	Do.	27	Do.	Do.
28.	Kalyan Kar Gupta	Do.	28	Do.	Do.
29.	Arup Kr. Roy	Do.	29	Do.	Do.
30.	Baidyanath Chatterjee	Do.	30	Do	Do.
31.	Samit Kr. Bose	Do.	31	Do.	Do.
32.	Sitangsu Kr. Ghosh	Do.	32	Do.	Do.
33.	Dilip Kr. Das Gupta	Do.	33	Do.	Do.
34.	Tapan Kr. Das	Do.	34	Do.	Do.
35.	Asit Ranjan Sarkar	Do.	35	Do.	Do.
36.	Manik Lal Kundu	Do.	36	Do.	Do.
37.	Kamalesh Nandi	Do.	37	Do.	Do.
38.	Bibhuti Bhusan Sen	Do.	38	Do.	Do.
39.	Biswanath Sen Gupta	Do.	39	Do.	Do.
40.	Biswajit Mukherjee	Do.	40	Do.	Do.
41.	Amar Nath Chakraborty	Do.	41	Do.	Do.
42.	Prasun Kr. Moitra	Do.	42	Do.	Do.
43.	Madhusudan Bhattarcharyya	Do.	43	Do	Do.
44.	Abani Mohan Ganguly	Do.	44	Do.	Do.
45.	Baidy Nath Mukherjee	Do.	45	Do.	Do.
46.	Dipak Chandra Mazumder	Do.	46	Do.	Do.
47.	Siba Kr. Nyogi	Do.	47	Do.	Do.
48.	Samir Kr. Roo -I	Do.	48	Do.	Do.
49.	Ashoke Kr. Mitra	Do.	49	Do.	Do.
50.	Sachindra Nath Sarma	Do.	50	Do.	Do.
51.	Kanai Lal Chatterjee	Do.	51	Do.	Do.
52.	Molay Kr. Banerjee	Do.	52	Do.	Do.
53.	Amulya Ratan Singha	Do.	53	Do.	Do.
54.	Dhirendra Nath Banerjee II	Do.	54	Do.	Do.
55.	Bimal Chandra Chakraborty	Do.	55	Do.	Do.
56.	Dipendra Kr. Bose	Do.	56	Do.	Do.
57.	Tapan Kr. Bhowmik	Do.	57	Do.	Do.
58.	Ratan Kr. Das	Do.	58	Do.	Do.
59.	Prasanta Kr. Bhowmik	Do.	59	Do.	Do.
60.	Indu Bhusan Chakraborty	Do.	60	Do.	Do.
61.	Amar Nath Paul	Do.	61	Do.	Do.
62.	Moni Bhusan Chakraborty	Do.	62	Do.	Do.
63.	Mihir Sen Gupta	Do.	63	Do.	Do.
64.	Debabrata Kr. Dey	Do.	64	Do.	Do.
65.	Sushil Rn. Paul	Do.	65	Do.	Do.
66.	Purna Chandra Dhar	Do.	66	Do.	Do.
67.	Indra Narayan Mishra	Do.	67	Do.	Do.
68.	Ramendra Nath Bose	Do.	68	Do.	Do.
69.	Chittaranjan Chowdhury	Do.	69	Do.	Do.
70.	Jahar Lal Dutta	Do.	70	Do.	Do.
71.	Ramendra Nath Dutta	Do.	71	Do.	Do.
72.	Subodh Chandra Bhattacharjee	Do.	72	Do.	Do.
73.	Kalidas Ganguly	Do.	73	Do.	Do.
74.	Santi Priya Kar	Do.	74	Do.	Dy.
75.	Sunil Kr. Ganguly	Do.	75	Do.	Do.
76.	Manju Gopal Chattopadhyay	Do.	76	Do.	Do.
77.	Prasenjit Kr. Chowdhury	Do.	77	Do.	Do.
78.	Bijoy Krishna Sen	Do.	78	Do.	Do.
79.	Rajat Kr. Dutta	Do.	79	Do.	Do.
80.	Ashis Kr. Mitra-II	Do.	80	Do.	Do.
81.	Narayan Ch. Kundu	Do.	81	Do.	Do.
82.	Nanda Gopal Goswami	Do.	82	Do.	Do.
83.	Sanat Roy Chowdhury	Do.	83	Do.	Do.
84.	Santosh Kr. Mitra	Do.	84	Do.	Do.
85.	Tarun Kr. Bhattacharyya	Do.	85	Do.	Do.

Sl. No.	Name	Appointment order No. & Date		Date of taking over charge
	S/Shri			
86.	Santi Bhusan Sinha	Admn. I/RC/281/ 86	dt. 1-11-85	1-11-85
87.	Hira Lal Saha II	Do. 87	Do.	Do.
88.	Satish Chandra Bhakta	Do. 88	Do.	Do.
89.	Siddheswar Chatterjee	Do. 89	Do.	Do.
90.	Sunil Kr. Roy II	Do. 90	Do.	Do.
91.	Dilip Kr. Banerjee	Do. 91	Do.	Do.
92.	Niloy Kr. Bhattacharjee	Do. 92	Do.	Do.
93.	Susanta Kr. Mukherjee	Do. 93	oD.	Do.
94.	Tari Chandra Mitra	Do. 94	Do.	Do.
95.	Ajit Kr. Dutta	Do. 95	Do.	Do.
96.	Shishutosh Banerjee	Do. 96	Do.	Do.
97.	Narayan Chandra Sen Gupta	Do. 97	Do.	Do.
98.	Amalananda Das	Do. 98	Do.	Do.
99.	Ajoy Kr. Mondal	Do. 99	Do.	Do.
100.	Satya Charan Mondal	Do. 100	Do.	Do.
101.	Biman Chandra Sen	Do. 101	Do.	Do.
102.	Bishnu Pada Ghosh	Do. 102	Do.	Do.
103.	Bhagaban Chandra Biswas	Do. 103	Do.	Do.
104.	Subrata Sarkar	Do. 104	Do.	Do.
105.	Kalyan Kr. Datta Roy	Do. 105	Do.	Do.
106.	Tamal Kanti Koleh	Do. 106	Do.	Do.
107.	Sudhangsu Bhusan Das	Do. 107	Do.	Do.
108.	Ashutosh Chowdhury	Do. 108	Do.	Do.
109.	Smt. Sumita Chatterjee	Do. 109	Do.	Do.
110.	Nityananda Basak	Do. 110	Do.	Do.
111.	Kamal Kanti Roy	Do. 111	Do.	Do.
112.	Supriti Kr. Chatterjee	Do. 112	Do.	Do.
113.	Narayan Chandra Saha II	Do. 114	Do.	Do.
114.	Paritosh Sarkhel	Do. 115	Do.	Do.
115.	Mohorlal Banejree	Do. 116	Do.	Do.
116.	Benu Gopal Chowdhury	Do. 117	Do.	Do.
117.	Madhusudan Jana	Do. 118	Do.	Do.
118.	Narayan Chakraborty	Do. 119	Do.	Do.
119.	Mrinal Kanti Biswas (I)	Do. 120	Do.	Do.
120.	Nim Chand Saha	Do. 121	Do.	Do.
121.	Amal Krishna Ghosh	Do. 122	Do.	Do.
122.	Ramdhari Malik	Do. 1	dt. 2-4-86	Do.
123.	Som Nath Ghosh	Do. 123	dt. 1-11-85	Do
124.	Bilash Behari Nath	Do. 124	Do.	Do.
125	Shyam Sundar Nandi	Do. 125	Do.	Do.
126.	Mrinal Kanti Biswas-III	Do. 126	Do.	Do.
127.	Debsankar Samadder	Do. 127	Do.	Do.
128.	Samir Kr. Mukhopadhyay	Do. 128	Do.	Do.
129.	Gouranga Chandra Sarkar	Do. 129	Do.	Do.
130.	Niranjan Chakraborty (I)	Do. 130	Do.	Do.
131.	Kamala Kanta Biswas	Do. 131	Do.	Do.
132.	Nanda Lal Routh	Do. 132	Do.	Do.
133.	Lakshman Chandra Naskar	Do. 133	Do.	Do.
134.	Ranjit Chandra Roy	Do. 134	Do.	Do.
135.	Tushar Kanti Das Gupta	Do. 135	Do.	Do.
136.	Amar Kr. Chakraborty	Do. 136	Do.	Do.
137.	Debi Kr. Bhattacharya	Do. 137	Do.	Do.
138.	Chitta Priya Banerjee	Do. 138	Do.	Do.
139.	Biswas Nath Khan	Do. 139	Do.	Do.
140.	Parimal Ganguly	Do. 140	Do.	Do.
141.	Pallab Kr. Pal	Do. 141	Do.	Do.
142.	Soumendra Nath Kar	Do. 142	Do.	Do.
143.	Sanat Kr. Sen	Do. 143	Do.	Do.
144.	Nishi Kanta Halder	Do. 144	Do.	Do.
145.	Samir Kr. Pal-III	Do. 145	Do.	Do.
146.	Ratan Moni Chakraborty	Do. 146	Do.	Do.
47.	Mihir Ranjan Mazumder	Do. 147	Do.	Do.
148.	Tarunava Sinha	Do. 148	Do.	Do.

Sl. No.	Name	Appointment order No. & Date	Date of taking over charge
	S/Shri		
149.	Alok Rn. Sengupta	Admn. I/RC/281/149 dt. 1-11-85	1-11-1985
150.	Ajit Mohan Roy	Do. 150 Do.	Do.
151.	Aswini Kr. Sil	Do. 151 Do.	Do.
152.	Satimoy Banerjee	Do. 152 Do.	Do.
153.	Arup Kr. Bhattacharjee	Do. 153 Do.	Do.
154.	Ranjit Kr. Bhattacharya	Do. 154 Do.	Do.
155.	Nirjhar Kanti Bhattacharjee	Do. 155 Do.	Do.
156.	Susanta Kr. Chaudhuri	Do. 156 Do.	Do.
157.	Samiran Das-I	Do. 157 Do.	Do.
158.	Rathindra Nath Misra	Do. 158 Do.	Do.
159.	Ashis Kr. Nandi	Do. 159 Do.	Do.
160.	Narayan Chandra Ghosh-II	Do. 160 Do.	Do.
161.	Asok Kr. Mukherjee III	Do. 161 Do.	Do.
162.	Swapan Kr. Santra	Do. 162 Do.	Do.
163.	Abul Kalam Samsuddin	Do. 163 Do.	Do.
164.	Pankaj Kr. Dutta	Do. 164 Do.	Do.
165.	Kali Sadan Kundu	Do. 165 Do.	Do.
166.	Narayan Chandra Ghosh-I	Do. 166 Do.	Do.
167.	Samir Kr. Banerjee II	Do. 167 Do.	Do.
168.	Paritosh Acharya	Do. 168 Do.	Do.
169.	Monoranjan Goswami	Do. 169 Do.	Do.
170.	Sujit Kr. Sengupta	Do. 170 Do.	Do.
171.	Debendra Chandra Paul	Do. 171 Do.	Do.
172.	Radha Kanta Dutta	Do. 172 Do.	Do.
173.	Ajit Kr. De	Do. 173 Do.	Do.
174.	Manindra Nath Das	Do. 174 Do.	Do.
175.	Chitta Ranjan Mondal	Do. 175 Do.	Do.
176.	Nakul Chandra Middya	Do. 176 Do.	Do.
177.	Santimoy Das	Do. 177 Do.	Do.
178.	Monmatha Dutta	Do. 178 Do.	Do.
179.	Ramendra Nath Basu	Do. 179 Do.	Do.
180.	Saty Ranjan Das	Do. 180 Do.	Do.
181.	Chandidas Mukherjee	Do. 181 Do.	Do.
182.	Biswanath Dutta	Do. 182 Do.	Do.
183.	Santosh Kr. Sarkar-II	Do. 183 Do.	Do.
184.	Jatindranath Mazumder II	Do. 184 Do.	Do.
185.	Manik Lal Bhattacharya	Do. 185 Do.	Do.
186.	Gouri Sankar Datta	Do. 186 Do.	Do.
187.	Makhan Lal Chakraborty	Do. 187 Do.	Do.
188.	Nakul Chandra Parui	Do. 188 Do.	Do.
189.	Sakha Nath Kirtania	Do. 189 Do.	Do.
190.	Kamalankhi Mukherjee	Do. 190 Do.	Do.
191.	Jaydeb Sanfui	Do. 191 Do.	Do.
192.	Manjushri Das Gupta	Do. 192 Do.	Do.
193.	Mrinal Kr. Matilal	Do. 193 Do.	Do.
194.	Subimal Kanti Lodh	Do. 194 Do.	Do.
195.	Dulal Kr. Mukherjee	Do. 195 Do.	Do.
196.	Indrajit Kr. Ghosh	Do. 196 Do.	Do.
197.	Tushar Kanti Bhattacharjee	Do. 197 Do.	Do.
198.	Dilip Kr. Roy-I	Do. 198 Do.	Do.
199.	Himansu De	Do. 199 Do.	Do.
200.	Adhir Kr. Das	Do. 200 Do.	Do.
201.	Subimal Roy	Do. 201 Do.	Do.
202.	Basanta Kr. Karan	Do. 202 Do.	Do.
203.	Saroj Kr. Bhattacharjee	Do. 203 Do.	Do.
204.	Parimal Chakraborty-I	Do. 204 Do.	Do.
205.	Debaprosad Das-III	Do. 205 Do.	Do.
206.	Akhil Kr. Mukherjee	Do. 206 Do.	Do.
207.	Patit Paban Patra	Do. 207 Do.	Do.
208.	Nirenjan Chakraborty-III	Do. 208 Do.	Do.

Sl. No.	Name	Appointment order No. & Date		Date of taking over charge
	S/Shri			
209.	Subir Kr. Dutta	Admn. I/RC/281/209	dt. 1-11-85	1-11-85
210.	Ajoy Prosad Ghosh	Do. 210	Do.	Do.
211.	Nilmoni Nandy	Do. 211	Do.	Do.
212.	Utpal Das Gupta	Do. 212	Do.	Do.
213.	Indrajit Chandra Pal	Do. 213	Do.	Do.
214.	Samaresh Bhattacharjee	Do. 214	Do.	Do.
215.	Samir Kr. Nandy	Do. 215	Do.	Do.
216.	Pranab Kr. Sen Gupta	Do. 216	Do.	Do.
217.	Pranab Kr. Chakraborty	Do. 113	Do.	Do.
218.	Manik Lal Santra	Do. 217	Do.	Do.
219.	Haradhan Srimoni	Do. 218	Do.	Do.
220.	Satyendra Nath Khan	Do. 219	Do.	Do.
221.	Partha Charan Phani	Do. 220	Do.	Do.
222.	Sudarsan Malakar	Do. 221	Do.	Do.
223.	Pratima Bandopadhyay	Do. 222	Do.	Do.
224.	Jyotirmoy Bhattacharjee	Do. 223	Do.	Do.
225.	Nares Roy	Do. 224	Do.	Do.
226.	Haru Chandra Nag	Do. 225	Do.	Do.

Sd/- ILLEGIBLE
Audit Officer (Admn.)
A. G. (Audit) I.W.B.

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi-110066, the 6th June 1986

No. AN-I/1172/1/Vol.IV.—The President is pleased to appoint the undermentioned officers of the Indian Defence Accounts Service to officiate in the Senior Administrative Grade (Level-II) (Scale Rs. 2250-125/2-2500) of that Service with effect from the dates shown against their names, until further orders :—

Sl. No. Name and Date

1. Shri Ramesh D. Rao—15-01-86 (AN).
2. Shri Charanjit Lal—08-05-86 (A.N.).

No. AN-I/1172/1/IV.—The President is pleased to grant proforma promotion to Shri D. K. Chet Singh, an officer of the Indian Defence Accounts Service, on deputation as Director in the Ministry of Defence (Finance) New Delhi, to the Senior Administrative Grade (Level-II) (Scale Rs. 2250-125/2-2500) with effect from 18th July, 1985 and until further orders.

R. B. KAPOOR
Additional Controller General of Defence Accounts (Admin.)

MINISTRY OF LABOUR
DIRECTORATE-GENERAL OF MINES SAFETY

Dhanbad-826001, the 11th June 1986

No. 2A(6)81-Adm.I/4527-31.—Shri Satish Kumar Chhabra has been appointed as Assistant Director of Mines Safety in the Directorate-General of Mines Safety in a temporary capacity with effect from the forenoon of 5th September 1985 and until further orders.

Sd./- ILLEGIBLE
Director-General of Mines Safety

MINISTRY OF COMMERCE AND SUPPLY

DEPARTMENT OF SUPPLY

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES AND DISPOSALS

New Delhi, the 30th May 1986

No. A-1/1(908).—Shri S. P. Sakhuja, permanent Junior Progress Officer and officiating Assistant Director (Gr. II) of this Directorate General is retired from Government service with effect from the afternoon of 31st May, 1986 on attaining the age of superannuation.

V. SAKHRIE
Dy. Director (Administration)
for Director General of Supplies and Disposals

(ADMINISTRATION SECTION A-1)

New Delhi, the 4th June 1986

No. A-1/2(353)IX.—The President is pleased to appoint S/Shri P. S. Gladd and R. P. Singh as Deputy Directors of Supplies on officiating basis with effect from 1-8-1977 and until further orders. S/Shri P. S. Gladd and R. P. Singh are accorded seniority below Shri J. Sahay and above Shri Surjit Lal in accordance with the revised panel for the post of Deputy Director of Supplies.

V. SAKHRIE
Dy. Director (Administration)

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER

(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 2nd June 1986

No. A-19018(27)/73-Admn.(G).—Consequent on his appointment as Development Officer (Chemical) in the Directorate of Technical Development, New Delhi, Shri L. T. P. Sinha, relinquished charge of the post of Deputy Director (Glass & Ceramics) at Small Industries Service Institute, New Delhi on the afternoon of 29th April 1986.

No. 12(376)/62-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Shri L. M. Mathur, Deputy Director (Mechanical) in the office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi as Director (Gr. II) (Mechanical) in the same office with effect from the forenoon of 16th April 1986 until further orders.

C. C. ROY
Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF TEXTILES

OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay, the 5th June 1986

No. CER/6/86-CLB/501.—In exercise of the powers conferred on me under sub-clause (2) of Clause 4 of the Textiles (Control) Order 1986, I hereby specify the form appended as "FORM-A" to this Notification as the application form to be made in persuance of sub-clause (1) of Clause 4 of the said Order.

T. RAMACHANDRA RAO
Industrial Adviser

FORM-A

(Appendix to Textile Commissioner's Notification No. CER/6/86-CLB dated 5th June 1986)

FORM OF APPLICATION FOR GRANT OF CERTIFICATE FOR INSTALLATION OF SPINNING MACHINES UNDER CLAUSE 4 OF THE TEXTILES (CONTROL) ORDER, 1986.

1. Name of the applicant . . . . . .
2. Full address of the applicant . . . . . .
3. Name of the factory . . . . . .
4. Address of the factory . . . . . .
5. Name of the proprietor, partners, or in the case of Companies, the names of the Directors . . . . .
6. Registration No. allotted by the Textile Commissioner/State Authority for setting up the unit . . . . . .
7. Details of existing installed capacity of spinning machines . .
8. Spinning machines proposed to be installed . . . . (Attach a photostat copy of Registration)

Description	No. of M/cs.	No. of spindles/ Rotors per machine	Total
(i) Ring Frames			
(ii) OE M/cs.			
(iii) Others if any.			

9. Type of yarn proposed to be spun . . . . . .
10. Particulars of Demand Draft towards fee for installation . .
11. Any other relevant information . . . . . .

Signature :————————

Place : .....

Date : .....

ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA

KHAN VIBHAG

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-16, the 6th June 1986

No. 3339B/A-32013(AO)/78-19A.—Shri D. Vaideswaran, Superintendent, GSI has been appointed by the DG, GSY on promotion as Administrative Officer in the same department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- on ad hoc basis with effect from the forenoon of 6th January 1986 against the leave vacancy of Shri M. R. Ramachandra, Adm. Officer, operation Units Tamil Nadu, Kerala and Pondicherry, Madras, GSI for the period from 6th January 1986 to 7th March 1986.

No. 3371B/A-19012(PK)/86-19A.—Shri P. Kandaswamy, Senior Technical Assistant (DO), Geological Survey of India has been appointed as Artist on promotion by the Director General, Geological Survey of India in the same Department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- in an officiating capacity with effect from the forenoon of 31st January 1986, until further orders.

A. KUSHARI
Director (Personnel)
for Director General

Calcutta-16, the 4th June 1986

No. 3257B/A-19012(2-LMS)/85/19B.—Shri Lok Nath Singh, STA (Geophysics), GSI, is appointed by the Director General, Geological Survey of India as Assistant Geophysicist in the same department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 6th January 1986, until further orders.

No. 3269B/A-19012(3-PT)/85-19B.—Smt. Pratima Tiwari, STA (Chem.), Geological Survey of India is appointed by the D.G., GSI, to the post of Assistant Chemist in the same department on pay according to rules in the scale of pay of *Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/-* in a temporary capacity with effect from the forenoon of 17th February 1986, until further orders.

The 6th June 1986

No. 3316B/A-19012(2-BS)/85/19B.—Shri Bidhan Sarkar, STA (Geophysics), GSI, is appointed by the Director General, Geological Survey of India as Assistant Geophysicist in the same department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- in a temporary capacity with effect from the afternoon of 18th October 1985, until further orders.

No. 3328B/A-19012(2-SK 0)/85-19B.—Shri S. K. Omanwar, is appointed by the Director General, Geological Survey of India as Assistant Geophysicist in the G.S.I. in the minimum of the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 27th February 1986, until further orders.

No. 3349B/A-19012(4-AKP)/86-19B.—Shri A. K. Pramanik, Sr. Tech. Asstt. (Drilling) in the Geological Survey of India is appointed on promotion to the post of Driller in the GSI by the Director General, GSI, on pay according to rules in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- in an officiating capacity with effect from the forenoon of 31st January 1986, until further orders.

A. KUSHARI
Director (Personnel)
Geological Survey of India

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

FILMS DIVISION

Bombay-26, the 29th May 1986

No. A-12025/3/85-RC.—The Chief Producer, Films, Division, has appointed Shri S. N. Misra, Officiating Gameraman, Eastern Regional Production Centre, Films Division, Calcutta to officiating as Newsreel Officer on ad-hoc basis at Gauhati in the scale of pay of Rs. 840-40-1000-EB-40-1200 from the forenoon of 15th April 1986 until further orders.

N. N. SHARMA
Administrative Officer
for Chief Producer

OFFICE OF THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA

New Delhi-110066, the 10th June 1986

No. A-19011/6/85-Admn.—In continuation of this office Notification of even number dated 29-7-85, the period of deputation of Shri P. Doraiswamy, Audit Officer in the Office of the Accountant General (Audit) Kerala, Trivendrum, is hereby extended for a period of one year w.e.f. 1-7-86 to 30-6-87 under existing terms and conditions, as Circulation Officer in the office of the Registrar of Newspapers for India, Madras.

No. A-19011/1/86-Admn.—Shri R. C. Bhardwaj, Accounts Officer in the Principal Accounts Office, Ministry of Industry is appointed as Circulation Officer (Senior) in the Office of the Registrar of Newspapers for India, New Delhi on deputation basis with effect from 30th May 1986 (A.N.).

2. The period of deputation of Shri R. C. Bhardwaj will be one year in the first instance and during the said period he will be governed by the terms and conditions contained in Ministry of Finance (Department of Expenditure) O.M. No. 10(24)/III/60 dated 4-5-1961 as amended/clarified from time to time.

KIRPA SAGAR
Registrar of Newspapers for India

DIRECTORATE GENERAL, ALL INDIA RADIO

New Delhi-1, the 13th June 1986

No. 6(59)/63-SI.—Shri S. Ramaswami, Programme Executive, AIR, retired from Government service on superannuation with effect from the afternoon of 31st May 1986.

I. S. PANDHI
Dy. Director of Administration
for Director General

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 10th June 1986

No. A-35017/1/84-Admn-I.—The President is pleased to appoint Shri M. Bapi Raju, Audit Officer, A.G. (Audit) Orissa, Bhubaneswar, to the post of Deputy Director Accounts (Stores) Directorate General of Health Services, New Delhi with effect from the forenoon of the 19th May 1986, on deputation basis and until further orders.

The 11th June 1986

No. A-38012/8/85-Admn.-I.—On attaining the age of superannuation Dr. S. P. Gupta, ADG (TB) retired from Government Service on the afternoon of 31st May 1986.

P. K. GHAI
Deputy Director Administration (C&B)

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)
CENTRAL CATTLE BREEDING FARM

Madras-52, the 14th May 1986

No. PF.70/Admn.85.—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, I, Dr. M. P. Nagpal, Director, Central Cattle Breeding Farm, Alamadhi (Avadi), Madras-52, hereby give notice to Shri K. M. Raji, Milker, Central Cattle Breeding Farm that his services shall stand terminated with effect from the date of expiry of a period of one month from the date on which this notice is published in the Official Gazette.

DR. M. P. NAGPAL
Director

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
(DEPTT. OF FERTILIZERS)
FERTILIZER INDUSTRY COORDINATION COMMITTEE

New Delhi, the 21st May 1986

No. (161) 1(4)/FICC/86-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Ram Singh, Accounts Officer, Ministry of Urban Development as Accounts Officer in the pay scale of Rs. 840-1000-EB-40-1200 in the Office of the Fertilizer Industry Coordination Committee, Department of Fertilizers, Ministry of Agriculture and Rural Development for a period of one year with effect from 23rd April 1986 (F/N), on usual deputation terms.

M. R. NATARAJAN
Executive Director

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110066, the 20th May 1986

No. A. 32013/7/83-EC ( ):—The president is pleased to extend the period of adhoc appointment of the following Assistant Technical Officers as Technical Officers in the Civil Aviation Department during the period indicated against each:—

S. No.	Name	From	To
	S/Shri		
1.	A. N. Paranjpe	28-01-85	31-03-86
2.	S. S. Kang	08-09-85	31-03-86
3.	K. C. Sachdeva	20-11-85	31-03-86

2. The extention of the period of adhoc appointment of the above officers shall not bestow on them any claim for regular appointment as Technical Officer and service so rendered on adhoc basis shall neither count for seniority in the grade nor for eligibility for promotion to the next higher grade.

V. JAYACHANDRAN
Deputy Director of Administration
for Director General of Civil Aviation

New Delhi-110066, 20th May 20, 1986

No. A. 31013/2/85-EC (.) :—The President is pleased to appoint the following officers in a substantive capacity in the grade of Senior Technical Officers (Pay Scale Rs 1100-50-1600) in the Civil Aviation Department with effec from the date indicated against each:—

SNo..	Name	Date of appointment in Substantiv e Capacity
	S/Shri	
01.	S. K. Kakkar	01-08-79
02.	Risal Singh	28-02-80
03.	D. C. Mehta	28-02-80
04.	P. Seth	28-02-80
05.	R. S. Gahlot	28-02-80
06.	V. K. Khandelwal	28-02-80
07.	S. K. Saraswati	28-02-80
08.	S. P. Hardas	04-07-80
09.	B. N. M. Rao	04-07-80
10.	V. K. Chowdhury	04-07-80
11.	Sushil Kumar	04-07-80
12.	P. S. Mullick	04-07-80
13.	R. K. Sood	04-70-80
14.	J. V. Sharma	04-07-80
15.	M. M. Poulose	04-07-80
16.	K. Surender	04-07-80
17.	S. K. Govilkar	04-07-80
18.	Rakesh Kumar	13-07-80
19.	K. S. Narasimhan	13-07-80
20.	Roop Chand	13-07-80
21.	Vijay Panwar	03-09-81
22.	A. K. Bansal	03-09-81
23.	D. Anbalagan	26-09-81
24.	B. D. Garekar	26-09-81
25.	S. P. Konar	21-12-81
26.	Sarwan Kumar	01-08-83
27.	M. Irulappan	01-08-83
28.	Vishwa Nath	01-08-83
29.	R. Sampath Kumaran	01-08-83
30.	U. N. Singh	01-08-83
31.	P. K. B. Nair	01-08-83

The 30th May 1986

No. A. 32013/12/84-EC (.):—The President is pleased to appoint the following Assistant Communication Officers in the grade of Communication Officer in the Civil Aviation Department on adhoc basis for the period upto March 31, 1986 with effect from the date of taking over charge of the higher post and to post them at the station indicated against each:—

S. No.	Name	Present station of posting	Station to which posted	Date of taking over charge
1	2	3	4	5
1.	Shri S. S. N. Murthy	ACS, Madras	ACS, Madras	15-1-86 (FN)
2.	Shri T. S. Rekhi	ACS, Lucknow	ACS, Lucknow	17-1-86 (AN)
3.	Shri R. T. Singh	CATC, Allahabad	CATC, Allahabad	27-1-86 (AN)
4.	Shri V. G. Sundararaman	ACS, Madras	ACS, Madras	15-1-86 (FN)

No. A.32013/14/84-EC(.).—The President is pleased to appoint the following officers in the Civil Aviation Department in the grade of Assistant Director of Communication on regular basis with effect from February 28, 1986 and to post them at the Headquarters Office of the Director General of Civil Aviation New Delhi until further orders :—

1. Shri R. C. Chitkara—Senior Communication Officer.
2. Shri Vijay Panwar—Senior Technical Officer.

No. A. 38013/4/85-EC (.):—The undermentioned officer of Aeronautical Communication Organisation of the Civil Aviation Department relinquished charge of his post on retirement from Government service on attaining the age of superannuation on the date mentioned below:—

Sl. No.	Name & Designation	Station of posting	Date of retirement.
1.	Shri S. Krishnamurthy Senior Comm. Officer.	ACS, Madras	31-10-85(AN)

No. A. 12025/1/85-EC(.).—The President is pleased to appoint Shri N. Venkatapathiraj as Technical Officer (Pay Scale : Rs. 700-1,300/-) in the Aeronautical Communication Organisation of the Civil Aviation Department with effect from 1-8-1985 and to post him at Aeronautical Communication Station, Madras.

V. JAYACHANDRAN,
Dy. Director of Administration

New Delhi, the 30th May 1986

No. A. 32013/1/82-ES.—The President is pleased to continue ad-hoc appointment of the following officers to the grade of Deputy Director/Controller of Airworthiness in the Civil Aviatian Department for a period mentioned again each:

S. No.	Name	Exension of period of ad-hoc appointments	
		From	To
	S/Shri		
1.	M. S. Ibrahim	16-10-85	15-1-86
2.	K. Prabhakar	11-11-85	10-2-85
3.	Kailash Narain	7-11-85	6-2-86

No. A. 32013/2/82-ES—The President is pleased to continue ad hoc appointment of the following officers in the grade of Senior Airworthiness Officer for the period mentioned against their names:—

	Name	From	To
	S/Shri		
1.	S.S. Nat	1-9-85	20-2-86
2.	S. S. Kubor	Do.	Do.
3.	Anupam Bagchi	Do.	Do.
4.	H. M. Phull	Do.	Do.
5.	Mohd. Mustafa	Do.	Do.
6.	Deba Prasanna Ghosh	Do.	Do.
7.	L. M. Mathur	Do.	Do.
8.	D. P. Ghosh	Do.	Do.

No. A 12025/1/84-ES.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Sh. Biplab Dutta to officiate as Airworthiness Officer in the scale of Rs. 700-1300/- with effect from 6-5-1986 (F.N.) until further orders.

Shri Biplab Dutta is posted in the office of the Director of Airworthiness, Calcutta Airport, Calcutta.

No. A.38013/1/86-EA.—Shri R. Sampath, Aerodrome Officer, Office of the Director of Aerodromes, Madras, retired from Government service o nthe 30-4-1986 on attaining the age of superannuation.

M. BHATTACHARJEE.
Dy. Director of Administration

FOREST RESEARCH INSTITUTE & COLLEGES

Dehra Dun, the 11th June 1986

No. 16/436/85-Ests.-I.—The President, F.R.I. & Colleges, Dehra Dun has replaced the service of Shri T. B. Chatterjee, working as Assistant Instructor, Eastern Forest Rangers College, Kurseong at the disposal of his parent department (Andaman & Nicobar Administration, Forest Department) w.e.f. the afternoon of 30-4-86.

The 16th June 1986

No. 16/441/85-Ests-I.—The President, F.R.I. & Colleges, Dehra Dun is pleased to appoint Shri K. K. Srivastava, as Research Officer (other than Engineering & Statistical) at Disease Insect Survey Centre at Coimbatore under the F.R.I. & Colleges, Dehradun with effect from the forenoon of 25th April, 1986, in a temporary capacity until further orders.

J. N. SAXENA,
Registrar
Forest Research Institute & Colleges.

CENTRAL GROUND WATER BOARD

Faridabad, the 17th June 1986

No. 3-746/86-CH(Estt).—Shri Mukesh Kumar Sharma is appointed as Assistant Hydrogeologist, G.C.S. Group-'B' (Gazetted) in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- on temporary basis in the Central Ground Water Board w.e.f. 26-5-1986 (FN) till further orders.

B. P. C. SINHA,
Chief Hydrogeologist & Member

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

New Delhi, the 29th May, 1986

No. 7/1/86-Adm. I(B).—Following the recommendations of the DPC (Group B), the Chairman, Central Electricity Authority hereby appoints the undermentioned officers to the Central Power Engineering (Group B), Services in the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineers in the Central Electricity Authority in a substantive permanent capacity w.e.f. the dates as shown against their names:—

Sl. No.	Name of the Officer	Designation	Date of appointment as EAD in substantive capacity
1	2	3	4
1.	Sh. S. C. Rawal	Asstt. Director	28-9-82
2.	Sh. Rama Krishnan K.	Dy. Director	28-9-82
3.	Sh. B. C. Mandal	"	28-9-82
4.	Sh. M. K. Das	Asstt. Director	28-9-82
5.	Sh. K.V.S. Vijay Kumar	"	28-9-82

1	2	3	4
6.	Sh. M. M. Rao	Dy. Director	28-9-82
7.	Sh. Jagender Kumar	Asstt. Director	28-9-82
8.	Sh. V. S. Karra	"	28-9-82
9.	Sh. E. Rajagopalacharyulu	"	28-9-82
10.	Sh. B. M. Sethi	"	28-9-82
11.	Sh. S. K. Jayaswal	"	28-9-82
12.	Sh. O. P. Gupta-I	"	28-9-82
13.	Sh. M.P.S. Vidyarthi	"	28-9-82
14.	Sh. Y.P.S. Vohal	"	28-9-82
15.	Sh. Rameshray Roy	"	28-9-82
16.	Sh. G. S. Nagarajan	"	28-9-82
17.	Sh. V. K. Khanna	"	28-9-82
18.	Sh. S. K. Sharda	"	28-9-82
19.	Sh. S. B. Atri	"	1-5-84
20.	Sh. G. K. Nanda	"	31-8-84

R. SHESHADRI,
Under Secy
for Chairman

SOUTH EASTERN RAILWAY

Calcutta-43, the 2nd June, 1986

No. P/G/14/300E/Pt. II.—The following officiating Group 'B' Officers of the Personnel Department of this Railway are confirmed in Group 'B' in that department with effect from the date noted against each:—

Srl. No.	Name & Designation	Date of confirmation.
1.	Shri D. L. N. Murty . DPO/NGP (Since retired)	12-09-79
2.	Shri V. S. Bhivgada . . DPO/BSP	01-03-82

ANUP SINGH,
General Manager

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Juhu Investment Private Limited.

Bombay-400 002, the 11th May 1986

No. 708/8958/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s Juhu Investment Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. RADHAKRISHNAN
Addl. Registrar of Companies,
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Kanishk Builders Pvt. Limited.

Patna, the 6th June 1986

No. 1917/560/1428.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Kanishk Builders Pvt. Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of See Enterprises (Engineers) Pvt. Limited.

Patna, the 6th June 1986

No. 1551/560/1431.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of See Enterprises (Engineers) Pvt. Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Shri Shakti Cold Storage and Industries Pvt. Limited.

Patna, the 6th June 1986

No. 1467/560/1434.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Shri Shakti Cold Storage and Industries Pvt. Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Registrar and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Dalmia Biscuits Pvt. Limited.

Patna, the 6th June 1986

No. 1643/560/1437.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Dalmia Biscuits Pvt. Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

(Sd.) ILLEGIBLE
Registrar of Companies,
Bihar

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Midnapore Loan & Trading Co. Limited.

Calcutta-20, the 6th June 1986

No. 12017/560(3).—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of the Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Midnapore Loan & Trading Co. Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Kalyani K. K. Industries P. Ltd.

Calcutta-20, the 6th June 1986

No. 24252/560(3).—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Kalyani K. K. Industries Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of S. Ganguly & Co. Private Limited.

Calcutta-20, the 6th June 1986

No. 16864/560(3).—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of the Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of S. Ganguly & Co. Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of West Bengal Salt & Industries Co. Private Limited.

Calcutta-20, the 6th June 1986

No. 23156/560(3).—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of West Bengal Salt & Industries Co., Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of R. H. N. Choudhuri & Co. P. Ltd.

Calcutta-20, the 6th June 1986

No. 17511/560(3).—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of R. H. N. Choudhuri & Co. Pvt. Ltd., unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of RASP Engineers Private Limited.

Calcutta-20, the 6th June 1986

No. 27021/560(3).—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of RASP Engineers Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Rainbow Industries Private Limited.

Calcutta-20, the 8th June 1986

No. 21649/560(3).—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Rainbow Industries Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Jatrik Private Limited.

Calcutta-20, the 6th June 1986

No. 22149/560.—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of JATRIK Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

D. K. PAUL,
Addl. Registrar of Companies
West Bengal

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
SHILLONG

Shillong, the 14th April 1986

Ref. No. A-274/85-86/DBR/AQN/14-16.—
Whereas, I, B. J. MAWLONG,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said' Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Dag No. 507 P.P. No. 146 of Khotiabari Ward, Dibrugarh situated at Dibrugarh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Dibrugarh on 4-10-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Gonesh Chandra Borah,
Dibrugarh, P.W.D. Colony.
(Transferor)

(2) 1. Shri Pratul Chandra Gogoi;
2. Shri Smt. Purnima Gogoi w/o Pratul Chandra Gogoi, Jiban Phukan Nagar, P.O. C.R. Building, Dibrugarh.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The Land measuring OB. IK. OL. alongwith Pucca House bearing Dag No. 507 P.P. No. 146 is situated at Khotiabari Ward, Dibrugarh.

B. J. MAWLONG
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Shillong

Date : 14-4-86
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
JAIPUR

Jaipur, the 27th December 1986

Ref. No. AC-2/Acp.R-IV/EE/Cal/85-86.—
Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
150 situated at G.T. Road, Asansole
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the
Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at
Calcutta on 4-10-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

17—136 GI/86

(1) Sri N. D. Vyas.

(Transferor)

(2) Master Mukul Paschisia (minor) C/o Sri Jugal Kishore Pachisia, 16/8, Pannalal Basak Lane, Liluah, Howrah.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given to that Chapter.

THE SCHEDULE

Land : ½ share of 10 cottahs land with building.
Address : "Santiniketan", 150, G. T. Road (East), Asansole, Dist. Burdwan.

Deed No. : 37EF No. 10/Acp.R-IV/Cal/85-86 of 1985.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Calcutta
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-700 016

Date : 27-12-85
Seal :

FORM ITNB

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, CALCUTTA

Calcutta, the 27th December 1986

Ref. No. AC-3/Acp.R-IV/Cal/EE/85-86.—

Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN, **being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding** Rs. 1,00,000/- and bearing No. 150 situated at G. T. Road (East), Asansole (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 4-10-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in repect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid propert by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri N. D. Vyas. (Transferor)

(2) Master Jyoti Prakash Pachisia C/o Sri Kailash Pachisia, 16, 8, Pannalal Basak Lane, Liluah, Howrah. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The erms and expressions used herein as **are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.**

THE SCHEDULE

‡ share of 10 cottahs of land together with building.

150, G. T. Road (East), Asansole, Dist. Burdwan.

Deed No.: 37EE No. 10/Acq.R-IV/Cal/85-86 of 1985.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Calcutta

Date : 27-12-85
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
CALCUTTA

Calcutta, the 27th December 1986

Ref. No. AC-35/Acq.R-IV/Cal/85-86.—
Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No.....situated at Mahesh, P.S. Serampore, Dt. Hooghly (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at A.D.S.R., Serampore on 14-10-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax, Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) 1. Sri Pravash Chandra Roy;
2. Sri Bibhuti Roy;
3. Smt. Indu Bala Roy;
33, Tarapukur Lane, P.S. Serampore, Dt. Hooghly.
(Transferor)

(2) M/s. QPEC Innovations Ltd., Mirjan Road, Santi Sadan, Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land : 1 Bigha 5 cottahs.
Address : Mouza Mahesh, P.S. Serampore, Dt. Hooghly.
Deed No. : 5068 of 1985.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range.

Date : 27-12-85
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
MADRAS

Madras, the 3rd June 1986

Ref. No. 3/Oct.85.—Whereas, I, R. JANAKIRAMAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Udumalai, Thiruppur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Udumalpet/Doc. No. 2517/85 on Oct. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by this issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri S. Devaraj,
Managing Trustee,
T. R. Narayanasamy Naidu and Sons, Trust,
Ganapathipalayam,
Udumalai Taluk.
(Transferor)

(2) Sri Ramachandra Naidu,
s/o Sri Vengidusamy Naidu,
Ganapathipalayam.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land at Poolankinar village, Udumalai, Thiruppur.
Udumalpet/Doc. No. 2517/85.

R. JANAKIRAMAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Madras

Date : 3-6-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS

Madras-600 006, the 3rd June 1986

Ref. No. 4/Oct. 85.—Whereas, I, R. JANAKIRAMAN, **being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to** as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Agricultural land at Kurudampalayam situated at Coimbatore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Perianaickennalayam/Doc. No. 2477/85 in Oct., 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than **fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the** parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any **moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, **namely :—**

(1) Sri A. Rangasamy
S/o Sh. Gopalasaminaidu,
and others,
Kurudampalayam,
Jangamanickenpalayam,
Coimbatore.

(Transferor)

(1) M/s. Texmo Engineering :
By Partner :
Sri R. Ramasamy
S/o Sri R. Ramachandran,
Race Course,
A. T. Devaraj Mudaliar St.,
Coimbatore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property **may be made in writing to the undersigned :—**

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as **are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.**

THE SCHEDULE

Agriculutral lands at Kurudampalayam village, Coimbatore District.
Perianaickenpalayam/Doc. No. 2477/85.

R. JANAKIRAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II (I/c)
Madras

Date : 3-6-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS

Madras-600 006, the 3rd June 1986

Ref. No. 5/Oct. 85.—Whereas, I,
R. JANAKIRAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
"Jaghir House", Door No. 213, Raja Street, Coimbatore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Coimbatore/Doc. No. 4519/85 in October, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. Sridhar Rao and others,
S/o Late Srinivasa Rao Hindu,
Represented by General Power of Attorney Agent,
Sri S. Raghavendra Rao,
S/o Late Srinivasa Rao,
'Jaghir House',
213, Raja St.,
Coimbatore-641 001.
(Transferor)

(2) Sri Ramlal and others,
72/73, Raja St.,
Coimbatore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building : "Jaghir House" Door No. 213, Raja St., Coimbatore.
Coimbatore/Doc. No. 4519/85.

R. JANAKIRAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II (Inc)
Madras

Date : 3-6-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS

Madras-600 006, the 3rd June 1986

Ref. No. 9/Oct. 85.—Whereas, I,
R. JANAKIRAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the said 'Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Punja lands in Chettypalayam situated at Coimbatore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kinnathukadavi/Doc. No. 786/85 in October, 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfr with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor, to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri M. M. Pelli gouder and children,
M. B. Bhojan, and 9 others,
Arayatti village,
Melur Post,
Nilgiri District.

(Transferor)

(2) Sri M. K. Abdullah and his sons
M. A. Mohammed,
M. A. Doordeenbabu,
M. A. Zakkir Hussain.
M. A. Ferrozkalam,
D. No. TC 44/1112, Kamaleswaram,
Muttathur village,
Trivandrum Taluk,
Kerala.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural Lands : Chettipalayam village, Coimbatore Taluk.
Kinnathukadavu/Doc. No. 786/'85.

R. JANAKIRAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II (I/c)
Madras

Date : 3-6-86
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS

Madras-600 006, the 3rd June 1986

Ref. No. 17/Oct. 85.—Whereas, I,
R. JANAKIRAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
3rd ward, T. S. No. 1335 situated at Tanjore district (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Thanjavur/Doc. No. 2054/85 in Oct., 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Sampath and others,
S/o Late D. K. Gopal Naidu,
Thottitheru,
Achanoor village,
Thiruvaiyaru Taluk.
(Transferor)

(2) Sri K. S. Ramamurthy and others,
S/o Subbiah Chettiar,
2851-D Rathna Colony,
Trichy Road,
Tanjore Town.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House and Ground at : Third Ward, South Rampart, T. S. No. 1335 Tanjore Dist.
Thanjavur/Doc. No. 2054/85.

R. JANAKIRAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II (I & c)
Madras

Date : 3-6-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 12th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-I/1085/279.—Whereas, I, ASHOK KACKER,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. XI/5057 Plot No. 6 in Block A, situated at Netaji Subhash Marg, Darya Ganj, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Delhi in Oct., 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen parcent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liabillty of the transferor to pay tox under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (I) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

18—136 GI/86

(1) Harchandmall Jain Charitable Trust,
Room No. 8, VIth Floor,
10 Clive Row,
Calcutta-700001,
through its Trustee
Sh. Jinedra Kumar Jain.
(Transferor)

(2) Sh. Renu Kumar Jain,
Sh. Sanjay Kumar Jain,
Sh. Amit Kumar Jain,
Sh. Neeraj Kumar Jain,
All minor sons of
Sh. Devi Chand Jain,
R/o 4/9, A. N. Street,
Madras-I.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing No. XI/5057, Plot No. 6 in Block 'A' measuring 295.2 sq. yds. Netaji Subhash Marg, Darya Ganj, New Delhi.

ASHOK KACKER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Delhi/New Delhi.

Date : 12-6-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 12th June 1986

Ref. No. IAC/Acq.II/SR-1/1085/281.—Whereas, I, ASHOK KACKER,
being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No. F-3/28 regularlised colony known situated at as Model Town, Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Delhi in Oct., 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneyes or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Gulshan Kumar Bakhshi
son of late Sh. Gobind Ram Bakshi
resident of F-3/28, Model Town,
Delhi-9.
(Transferor)

(2) 1. Sh. Lakhi Ram
S/o Sh. Nand Kishore
2. Smt. Sudesh Lata
W/o Sh. Sat Narain,
3. Sh. Ashok Kumar Gupta
S/o Sh. Lakhi Ram and
4. Smt. Shashi Gupta
W/o Sh. Kishan Kumar
all R/o B-118, Ashok Vihar,
Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in the writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires ater;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

P. No. 3/28, regularised colony known as Model Town, Delhi 272.22 Sq. yds.

ASHOK KACKER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Delhi/New Delhi

Date : 12-6-86
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 11th June 1986

Rel. No. IAC/Acq.II/SR-1/10-85/299.—Whereas, I, ASHOK KACKER,
being the Competent Authority under Section 269B of the **Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred** to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 103, PN No. 4834 24, situated at Ansari Road, Darya Ganj, Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Delhi in Oct., 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid
property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. S. D. Madan
S/o Shri C. R. Madan
Sole Prop. South Delhi Builders,
R/o 432, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi
General Attorney of
Sh. Brijeshwar Deyal Sureshwar Dayal and
Maheshwar Dayal Mathur
sons of late Sh. Prem Behari Mathur.
(Transferor)

(2) M/s Trans Asia Auto & General Finance Ltd.,
XII/4597, Darya Ganj,
New Delhi.
(Transferee)

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 103, on first floor measuring 935 sq. ft. part of P. No. 4834/24, Ansari Road, Darya Ganj, Delhi.

ASHOK KACKER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Delhi/New Delhi

Date : 11-6-86
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD

Ahmedabad, the 12th May 1986

Ref. No. P.R. No. 4626 Acq 23/II/86-87.—Whereas, I, A. K. SINHA being the Competent Authority under Section 269B of the **Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable** property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Block 'A' on 5th Floor—Commerce Centre—Purohit Aptt. Compound—Sayaji Ganj—S. No. 312 Tika No. 31-12- Baroda, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at 37FE filed on 4-10-85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than **fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—**

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability **of the transferor to pay tax under the said Act, in** respect of any income arising from the transferor **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Y. K. Builders,
Kalpataru Chambers
2nd Floor,
6 B/C Lane, Fort,
Bombay-400 023.
(Transferor)

(2) M/s K. K. Vithani Family Trust
404—Embassay Centre,
Nariman Point,
Bombay 400 023.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of **45 days from the date of publication of this notice** in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, **whichever period expires later;**

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official *Gazette*.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as **are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.**

THE SCHEDULE

The Form No. 37FE is filed on 4-10-85 for A.C. Rs. 5,90,000/-.

A. K. SINHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Dated: 12-5-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD

Ahmedabad, the 12th May 1986

Ref. No. P.R. No. 4627 Acq 23/II/86-87.—Whereas, I. A. K. SINHA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act,), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00 000/- and bearing No.
Block No. 'A' on 5th Floor,
Commerce Centre—Purohit Aptt. Compound—
Sayaji Ganj—S. No. 312 Tika No. 31-1-2—
Baroda-390 005
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
37EE is filed on 4-10-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Y. K. Builders—
Kalpataru Chambers
2nd Floor—6 Bell Lane, Fort—
Bombay-400 023.
(Transferor)

(2) M/s Farmson Pharmaceuticals Gujarat Pvt. Ltd.
Shankar Bhuvan—
Sayaji Ganj—Baroda.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The form No. 37EE is filed on 4-10-85 for A.C. Rs. 90,000/-.

A K SINHA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Dated: 12-5-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD

Ahmedabad, the 22nd May 1986

Ref. No. P.R. No. 1628 Acq 23/II/86-87.—Whereas, I, A. K. SINHA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Piece of land bearing R.S. No. 594/9/8/D and 594/9-1D at the sim of
situated at Bhagadawada Valsad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
Valsad on 16-10-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

21—136GI/86

(1) Kumari Nargisbanu Faramroz & Others—
Nr. Vrandavan Socy.
Tithal Road—
Valsad.
(Transferor)

(2) Sureshchandra Narandas & Others
Goolmahor-C
Juhu Lane—X-Barfiwala Marg,
Andheri (West) Bombay-400 058.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in the writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A sale deed was regd. by S.R. Valsad on 16-10-1985 for A.C. Rs. 5,01,000/-.

A. K. SINHA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Dated: 22-5-86
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD

Ahmedabad, the 19th May 1986

Ref. No. P.R. No. 4629 Acq23/II/86-87.—Whereas, I, A. K. SINHA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
S. No. 6621 Old S. No. 69 village Amali—Silvasa.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
Silvasa on 17-10-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Jashwantlal V. Shah & Others—
C/o M/s Pamroj Textile Corporation,
Silvasa.
(Transferor)

(2) Sterlite Project Ltd.,
96—Garden Reach Road,
Calcutta-700 023.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the publication of the notice in the Official whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

The document was regd. at S.R. Silvasa vide No. 168 dated 17-10-85.

A. K. SINHA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Dated: 19-5-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD

Ahmedabad, the 27th May 1986

Ref. No. P.R. No. 4630 Acq23/II/86-87.—Whereas, I, S. B. BHATT,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,0,000/- and bearing No.
Piece of land bearing Ward No. 14 C.S. No. 2018 R.S. No. 91 T.P.S. 8 F.P. No. 135 Umarwada—Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at this office on 37EE 10-10-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any Income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Champaklal Ghelabhai & Ors.
Surat.
(Transferor)

(2) M/s J. J. Corporation,
305—Sagar Shopping Centre,
Sahara Darwaja, Ring Road,
Surat.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The form No. 37EE has been filed on 10-10-85 in respect of A.C. Rs. 17,63,520/-.

S. B. BHATT,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Dated: 27-5-86.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD

Ahmedabad, the 27th May 1986

Ref. No. P.R. No. 4631 Acq23/II/86-87.—Whereas, I, S. B. BHATT,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,0,000/- and bearing No.
Piece of land bearing CS No. 2018 RS. No. 91—TPS No. 8 F.P. No. 135 at Ring Road, Umarwada—Surat,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
this office on 37EE 10-10-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such apparent consideration and that the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Govindbhai Khushaldas & Ors.
Surat.
(Transferor)

(2) M/s J. J. Corporation,
305—Sagar Shopping Centre,
Sahara Darwaja,
Ring Road, Surat.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined n Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The form No. 37EE has been filed on 10-10-85 for A.C. Rs. 1/,63,520/-.

S. B. BHATT,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Dated : 27-5-86.
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE II, AHMEDABAD

Ahmedabad, the 27th May 1986

Ref. No. P.R. No. 4632 Acq23/II/86-87.—Whereas, I, S. B. BHATT,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,0,000/- and bearing No.
Piece of land bearing Ward No. 14 C.S. No. 2018 R.S. No. 91 T.P.S. No. 8 F.P. No. 135 paiky 670 sq. mtr. at Umaidawada Surat.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
this office on 37EE 10-10-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Previnchandra Thakordas & Ors.
Surat.

(Transferor)

(2) M/s J. J. Corporation,
305—Sagar Shopping Centre,
Sahara Darwaja,
Ring Road—Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The form No. 37EE has been filed on 10-10-85 for A.C. Rs. 17,63,520/-.

S. B. BHATT,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Dated: 27-5-86.

Seal :

FORM ITNS.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 27th May 1986

Ref. No. P.R. No. 4633/Acq.23/II/86-87.—Whereas, I, S. B. BHATT,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Piece of land bearing Ward No. 14 C.S. No. 2018 R.S. No. 91 TPS No. 8 FP No. 135 Ring Road, Umarwada—Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
this office on 37-EE on 10-10-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ishwarlal Bhagwandas & Ors., Surat.
(Transferor)

(2) M/s. J. J. Corporation, 305—Sagar Shopping Centre, Sahara Darwaja, Ring Road, Surat.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The form No. 37EE has been filed on 10-10-85 in respect of A.C. Rs. 17,63,520/-.

S. B. BHATT
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II,
Ahmedabad

Date : 27-5-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE II,
2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 27th May 1986

Ref. No. P.R. No. 4634/Acq. 23/II/86-87.—Whereas, I, S. B. BHATT,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Piece of land bearing Ward No. 14 C.S. No. 2018 R.S. No. 91 TPS No. 8 FP No. 135 at Umarwada, Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
this office on 37-EE on 10-10-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Hiralal Dahyabhai & Ors., Surat.
(Transferor)

(2) M/s. J. J. Corporation, 305—Sagar Shopping Centre, Sanara Darwaja, Ring Road, Surat.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, 45 days from the date of publication of this notice whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The form No. 37EE has been filed on 10-10-1985 for A.C. Rs. 17,63,520/-.

S. B. BHATT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II,
Ahmedabad

Date : 27-5-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 27th May 1986

Ref. No. P.R. No. 4635/Acq.23/II/86-87.—Whereas, I, S. B. BHATT, being the Competent Authority under Section 269B of the **Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding** Rs. 1,00,000 and bearing No. Piece of land and Building 19—Urmi Society—Jatalpur—Baroda (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Baroda on 29-10-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason **to believe that the fair market value of the property as aforesaid** exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Smt. Jyotsanaben Navnitlal Parekh & Ors.,
19—Urmi Society—Jatalpur,
Baroda.

(Transferor)

(2) Smt. Mrudulaben Mahendrakumar
Per Pro Karunaben K. Patel,
300 G.I.D.C. Makarpura,
Baroda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property **may be made in writing to the undersigned :—**

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shal lhave the same meaning as given in that Chapters.

THE SCHEDULE

A sale deed was registered by S.R. Baroda on 29-10-85 for A.C. Rs. 9,00,000/-.

S. B. BHATT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Ahmedabad

Date : 27-5-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
PUNE

Pune, the 31st March 1986

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/4788/1985-86.—Whereas, I, ANIL KUMAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the income Tax Act 1961 (43 of 1961) (herein after referred to as the said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. D-3, second floor in proposed building No. "D" at 258 Shukrawar Peth, Pune-2 situated at Pune
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
I.A.C. Acquisition Range, Pune on November, 1985
for apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believed that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more then fifteen percent of such apparent consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of an income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transfere for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Utkarsh Enterprises,
[illegible] Society,
321/9 Mahatma Phule Peth,
Pandit Jawaharlal Nehru Road,
Pune,

(Transferor)

(2) Shri Bhawarlal Himatmal Oswal &
Shri Sohanlal Himatmal Oswal,
78 Bhavani Peth.
Pune,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interesed in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. D-3, Second floor in proposed building No. "D" at 258 Shukrawar Peth, Pune-2.

(Area—871 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune, under Document No. 4788/1985-86 in the month of November 1985).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 31-3-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
PUNE

Pune, the 31st March 1986

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/4793/1985-86.—Whereas, I, ANIL KUMAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act' have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Plot No. 109, S.No. 199+204+305+206/1+209/1 Lohagaon, Vimannagar Colony, Pune
situated at Pune
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
I.A.C. Acquisition Range, Pune on November, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M/s. Ameet Builders,
21 Matruchhaya Society, Yerwada,
Pune-14.
(Transferor)

(2) Shri Sudhakar Haribhau Gholap,
1414 Shukrawar Peth,
Pune-2.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 109, S. No. 199+204+205+206/1+209/1
Lohogaon, Vimannagar Colony, Pune.

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune, under Document No. 4793/1985-86 in the month of November, 1985).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 31-3-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
PUNE

Pune, the 6th May 1986

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/4723/1985-86.—Whereas, I, ANIL KUMAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Said Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 31 on third floor in Building No. L. Plot No. 6, S. No. 30A/4A Dahanukar Colony, Kothrud, Pune
situated at Pune
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
I.A.C. Acquisition Range, Pune on November, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liabilities of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 or 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. A. V. Bhat & Co.
1348 Sadashiv Peth,
Pune-30.
(Transferor)

(2) Mr. Subhash Yashwant
Mrs. Gauri Subhash Ghare,
C/14 Swarup Nagri 128/2 Kothrud,
Pune-29.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons; whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 31 on third floor in Building No. L, Plot No. 6, S. No. 30A/4A Dahanukar Colony, Kothrud, Pune-29.
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune, under Document No. 4723 1985-86 in the month of November 1985).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 6-5-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
PUNE

Pune, the 28th January 1986

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37DE/3941/1985-86.—Whereas, I, ANIL KUMAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Said Act) have reasons to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 4 in "Anant Apartments' CTS No. 1145
Sadashiv Peth, Pune-30
situated at Pune
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
I.A.C. Acquisition Range, Pune on November, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration thereof by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the foresaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Prakash Ramchandra Gavankar,
704 Sadashiv Peth,
Pune-30.
(Transferor)

(2) Shri Annasaheb Alias Anandrao Baburao Patil,
At Post Budhgaon, Tal. Miraj,
Dist. Sangli.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of th eaforesaid persons within a period of in the Official Gazette or a period of 30 days from 45 days from the date of publication of this notice the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, with 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 4 in "Anant Apartments" C.T.S. No. 1145 Sadashiv Peth, Pune-30.

(Area—860 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune, under Document No. 3941/1985-86 in the month of November 1985).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 28-1-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE **INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
PUNE

Pune, the 18th March 1986

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37G/376/1985-86.—Whereas, I, ANIL KUMAR,
ing the Competent Authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Non-agricultural land bearing S. No. 106 and 107 (Part)
Village Achole, Tal Vasai, Dist. Thane
situated at Thane
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
S.R. Vasai in November, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Taralakshmi T. Mehta,
Block No. 4, 1st floor, Sai Sadan,
Roshan Nagar, Chandavarkar Road,
Borivli West,
Bombay.
(Transferor)

(2) Shri M. F. Sayed & Ors.,
1-B Bhustan Apartment, 4th floor,
Room No. 43, Bellasis Road,
Bombay.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XX A of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Non-agricultural land bearing S. No. 106 and S. No. 107 (Part) situated at Village : Achole, Tal. Vasai, Dist. Thane.

(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Vasai, under document No. 376/1985-86 in the month of Nov. 1985).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 18-2-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 10th April 1986

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/4645/1986-87.—Whereas, I, ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Shop No. 6, on ground floor, Survey No. 16/6 Kothrud, Pune (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C. Acquisition Range, Pune in November, 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Kulkarni & Kulkarni,
2153 Sadashiv Peth,
Vijayanagar Colony,
Pune-30.
(Transferor)

(2) Shri Tukaram Ganpat Shegar & Ors.,
Bapu Kalapura Chawl, Kharad Wadi,
Pune-30.
(Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 6, on ground floor, Survey No. 16/6B Kothrud, Pune-29.

(Area—320 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune, under Document No. 4645/1985-86 in the month of November 1985).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona

Date : 10-4-1986
Seal:

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
PUNE

Pune, the 10th February 1986

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/6675/1985-86.—Whereas, I, ANIL KUMAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 201 on second floor in Nirman Amrut Nirman Nagar, Nalasopara (W) situated at Nalasopara
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
I.A.C. Acquisition Range, Pune on November, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Nirman Associates,
40-41 Vishal Shopping Centre,
Sir M. V. Road (Andheri-Kurla Road),
Andheri (E),
Bombay.
(Transferor)

(2) Shri Francis George D'Souza &
Smt. Maria Josephine D'Souza,
Habib Mansion, 2nd floor, Room No. 57,
2nd Sankle Street, Byculla,
Bombay.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 201 on second floor in Nirman Amrut, Nirman Nagar, Nalasopara (W).

(Area—630 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune, under Document No. 6675/1985-86 in the month of November 1985).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 10-2-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 11th February 1986

Ref. No. IAC/ACQ/CA-5/37FE/6672/1985-86.—Whereas, I, ANIL KUMAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 4 on ground floor in Nirman Amrut, at Nirman Nagar, Nalasopara (W) Tal. Vasai, Dist. Thane situated at Thane
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
I.A.C., Acqn. Range, Pune on Nov. 1985
for an apparent consideration whiche is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/ or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Nirman Associates,
40-41 Vishal Shopping Centre,
Sir M. V. Road (Andheri-Kurla Road),
Andheri (E), Bombay.
(Transferor)

(2) Shri Pralay Banerjee,
11, Salasar Apartment,
Nalasopara (E), Dist. Thana.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 4 on ground floor in Nirman Amrut at Nirman Nagar, Nalasopara (W) Tal. Vasai, Dist. Thane.
(Area 579 sq. ft.).
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune, under document No. 6672/1985-86 in the month of November 85).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 11-2-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 3rd February 1986

Ref. No. IAC/ACQ/CA-5/37EE/6273/1985-86.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Plot No. 50 in D.D. Scheme No. 15, Ward No. 6 House No. 54 in the Suryodaya Co-operative Housing Society Ltd., Ambernath situated at Ambernath (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C., Acqn. Range, Pune on Nov. 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclo[illegible] the transferee for the purposes of the Ind[illegible] Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Haribhau Ramchandra Tandale, Tandale Sadan, Ahilyabai Chowk, Kalyan.

(Transferor)

(2) Smt. Sunanda S Patil, "Simantini", Ghanshyam Gupte Road, Dombivli (W).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this noice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 50 in D.D. Scheme No. 15, Ward No. 6, House No. 54 in the Suryodaya Co-operative Housing Society Ltd., Ambernath.

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune, under document No. 6273/1985-86 in the month of Nov. 1985).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 3-2-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 18th March 1986

Ref. No. IAC/ACQ/CA-I/37G/389/1985-86.—
Whereas, I, ANIL KUMAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Property at S. No. 10, R.S. No. 91, Mauje Kupwad, Tal. Miraj, Dist. Sangli situated at Sangli
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
S.R. Miraj on Nov. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Sonubai T Patil, Kupwad, Tal. Miraj, Dist. Sangli.
(Transferor)

(2) Shri Vijaykumar Anandrao Patil, S. No. 91, Kupwad, Tal. Miraj, Dist. Sangli.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property at S. No. 10, R.S. No. 91, Mauje Kupwad, Tal. Miraj, Dist. Sangli.

(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Miraj, under document No. 389/1985-86 in the month of Nov. 1985).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 18-3-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune the 11th March 1986

Ref. No. IAC/ACQ/CA-5/37EE/4204/1985-86.—
Whereas, I, ANIL KUMAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Office No. 1 on second floor in a property situated at C.S. No. 481/C, Shaniwar Peth, Near Shaniwar Wada, Pune situated at Pune
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
I.A.C., Acqn. Range, Pune on Nov. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said Instrument of Transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Neelam Enterprises,
407, Raviwar Peth, Pune.
(Transferor)

(2) Shri S. R. Bhate,
38/23, Vinayak Prasad, Prabhat Cross Lane No. 7, Pune.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office No. 1 on second floor in a property situated at C.S. No. 481/C, Shaniwar Peth, Shaniwar Wada, Pune.

Area 470 Sq. ft.

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune, under document No. 4204/1985-86 in the month of Nov. 1985).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 11-3-1986
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 20th March 1986

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/6671/85-86.—
Whereas, I, ANIL KUMAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 308 on third floor in Vardhaman Park, Plot No. 49, Sector No. 17, D.B.C. Vashi, New Bombay situated at New Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
I.A.C., Acqn. Range, Pune on Nov. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Vardhaman Builders,
40-41, Vishal Shopping Centre,
Sir M. V. Road (Andheri-Kurla Road),
Andheri (E), Bombay.
(Transferor)

(2) Shri Jesu Mary Paul,
C/o Swan Trading Corporation,
93, Second floor, Bombay Samachar Marg,
Bombay.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 308, on third floor in Vardhaman Park No. 49, Sector No. 17, D.B.C. Vashi, New Bombay.

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune, under document No. 6671/1985-86 in the month of Nov. 1985).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 20-3-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 20th March 1986

Ref. No. IAC/ACQ/CA-5/37EE/6667/1985-86.—
Whereas, I, ANIL KUMAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 403 on fourth floor in Vardhaman Park Plot No. 49, Sector 17, D.B.C. Vashi, New Bombay situated at New Bombay
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
I.A.C., Acqn. Range, Pune on Nov. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Vardhaman Builders,
40-41, Vishal Shopping Centre,
Sir M. V. Road (Andheri-Kurla Road),
Andheri (E), Bombay.
(Transferor)

(2) Shri Bal Krishan Jaggi,
Abbott Hotels Pvt. Ltd.,
Sector No. 2, Vashi,
New Bombay.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 403 on fourth floor in "Vardhaman Park" Plot No. 49, Sector 17, D.B.C. Vashi, New Bombay.

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune, under document No. 6667/1985-86 in the month of Nov. 1985).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 20-3-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
PUNE

Pune, the 20th March 1986

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/6665/1985-86.—
Whereas, I, ANIL KUMAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 404 on fourth floor in Vardhaman Park,
Plot No. 49, Sector 17, D.B.C. Vashi, New Bombay
situated at New Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C., Acqn. Range, Pune in November, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Vardhaman Builders,
40-41 Vishal Shopping Centre,
Sir M. V. Road(Andheri-Kurla Road),
Andheri (E), Bombay.
(Transferor)

(2) Shri Surendrakumar Balkrishna Jaggi
Abbott Hotels Pvt. Ltd.
Sector 2, Vashi, New Bombay.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 404 on fourth floor in "Vardhaman Park" Plot No. 49, Sector 17, D.B.C. Vashi, New Bombay.
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune, under document No. 6665/1985-86 in the month of November, 1985).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Poona

Date : 20-3-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
PUNE

Pune, the 20th March 1986

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/6664/1985-86.—
Whereas, I, ANIL KUMAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 203. on second floor in Building Vardhaman park, on Plot No. 49, Sector 17, Vashi, New Bombay situated at New Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acqn. Range, Pune in November, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

b) facilitating the concealment of any income or any moneyes or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or thhe said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Vardhaman Builders,
40-41 Vishal Shopping Centre,
Sir M. V. Road(Andheri-Kurla Road),
Andheri (E), Bombay. (Transferor)

(2) Shri Madan Lal Jagannath,
178 Sant Tukaram Road,
Room No. 38, second floor,
Near Masjid Station,
Dana Bundar, Bombay. (Transferee)

Objections, if any, to the acquision of the said property may be made in the writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 203 on second floor in Building Vardhaman Park No. 49, Sector 17, Vashi, New Bombay.
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune, under document No. 6664/1985-86 in the month of November, 1985).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Poona

Date : 20-3-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
PUNE

Pune, the 20th March 1986

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/6676/1985-86.—
Whereas, I, ANIL KUMAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 1,00,000/- and bearing
Flat No. 408 on fourth floor in Vardhaman Park,
Plot No. 49, Sector 17, D.B.C. Vashi, New Bombay
situated at New Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acqn. Range, Pune in November, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Vardhaman Builders,
40-41 Vishal Shopping Centre,
Sir M. V. Road(Andheri-Kurla Road),
Andheri (E), Bombay.
(Transferor)

(2) Smt. Neelam Jawaharlal Chopra,
C/o R. L. Chopra,
J/161 R.B.I. Flats, North Avenue,
Santacruz (W), Bombay.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 408 on fourth floor, in Vardhaman Park Plot No. 49, Sector 17, D.B.C. Vashi, New Bombay.
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune, under document No. 6676/1985-86 in the month of November, 1985).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commisssioner of Income-tax
Acquisition Range
Poona

Date : 20-3-1986
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 26th May 1986

Ref. No. P.R. No. 4235 Acq.23/I/86-87.—Whereas, I, S. B. BHATT,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Chhadavada TPS 3 FP 714 SP No. 28 land adm. 1402 sq. yds. and construction 269.59 sq. mtrs.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at S.R. Ahmedabad on 10-10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any which ought to be disclosed by the transferee for moneys or other assets which have not been or the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11) of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269-D of the said Act to the following persons namely :—

24—136GI/86

(1) Chandrakantaben Harilal Parikh
28, Parimal Socy. E.B.
Ahmedabad. (Transferor)

2) Omprakash Chhabildas
Sahyadri Apartment
Opp : Stadium, Navrangpura,
Ahmedabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in ths Offlical Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Chhadavada TPS 3 F.P. 714 SP No. 28 Land adm. 1402 sq. yds. with construction adm. 269.59 sq. mtrs.

S. B. BHATT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Ahmedabad

Date : 26-5-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 26th May 1986

Ref. No. P.R. No. 4236 Acq.23/I/86-87.—Whereas, I, S. B. BHATT,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
Rs. 1,00,000/- and bearing
Vastrapur sim TPS 21 FP 74 SP 2 Land adm. 1404 sq. yds. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at S.R. Ahmedabad on 17-10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/ or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sabirbhai Gulmahammad
Chudi pole, Pankore naka,
Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Shri Maheshbhai Bhikhubhai Patel
Chairman—
Malav Apartment Owners' Asson.
Bhagwan Nagar, Isanpur,
Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vastrapur sim. TP.C 21 FP 74 SP No. 2 Land Adm. 1101 sq yds. R. No. 11829 dt. 17-10-1985.

S. B. BHATT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Ahmedabad

Date : 26-5-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT **COMMISSIONER OF INCOME-TAX,**

ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 26th May 1986

Ref. No. P.R. No. 4237 Acq.23/1/86-87.—Whereas, I, S. B. BHATT,
being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
TPS 19 FP 56 SP 12 Wadaj sim Alayatan Co-op. Hsg. Socy. Naranpura, Land 1000 sq. yds. & Bldg. & G.F. & F.F. 375 sq. yds.
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Ahmedabad on 10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesai exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating to reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer i and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Hansaben Chinubhai Patel, Alayatan Socy. Naranpura, Ahmedabad-13

(Transferor)

(2) Shri Premchand Panjumal Jarkani Memnagar, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

TPS 19 FP 55-56 SP No. 12 Wadaj sim land adm. 1000 sq. yds. and Bldg. GF & FF 375 sq. yds. in Alayatan Co.op. Hsg. Socy. Ltd. Naranpura, Ahmedabad. R. No. 8522 Dt. 10-85.

S. B. BHATT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Ahmedabad

Date : 26-5-1986
Seal .

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 26th May 1986

Ref. No. P.R. No. 4238 Acq.23/1/86-87.—Whereas, I, S. B. BHATT,

being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Land adm. 956 sq. mtrs. = 1147 sq. yds. in TPS 6 Paldi sim FP 415 and 416
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Ahmedabad on 17-10-1985

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment or any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Shantaben Kantilal Maheta
13, Ram Mohan Flat No. 4
Dutt Road, Calcutta-700 020.
(Transferor)

(2) Shri Manoj Rasiklal Shah
Pramotor of the proposed
Rajkrupa Co-op. Hsg. Socy.
1, M.P. Apartments,
Paldi, Ahmedabad-380 007.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property **may be made in writing to the undersigned :—**

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Land adm. 956 sq. mtrs=1147 sq. yds. in Paldi TPS No. 6 FP No. 415 and 416 R. No. 11842 Dt. 17-10-1985.

S. B. BHATT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Ahmedabad

Date : 26-5-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 26th May 1986

Ref. No. P.R. No. 4239 Acq.23/I/86 87.—Whereas, I, S. B. BHATT,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00.000/- and bearing
Bopal Village sim Tal. Daskroi Block No. 639
Land 10319. 3332 sq. mtrs.
(and, more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Ahmedabad on 19-10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax and the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Bachubhai Khodabhai Patel-HUF
Village Bopal,
Tal. Daskroi, Dist. Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Shri Gunvantray Bachubhai Patel.
Chairman—
Khodiar Krupa Co.op. Hsg. Socy. Ltd.
Bopal Tal. Daskroi,
Dist. Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Bopal Village (Tal. Daskroi) sim Block No. 639 land adm. 10319.3332 sq. mtrs. R. No. 11949 and 11948 Dt. 19-10-1985.

S. B. BHATT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Ahmedabad

Date : 26-5-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 26th May 1986

Ref. No. P.R. No. 4240 Acq.23/I/86-87.—Whereas, I, S. B. BHATT,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Changispur, Mithakhali sim TPS 20 FP No. 125 SP No. 4-A land 485 sq. mtrs. and Bldg. on G.F. & F.F.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Ahmedabad on 10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from thet transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Secion 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Yashaswatiben Shambhuprasad Patel
29, 'Bhagawati'
Sardar Patel Nagar,
Navrangpura, Ahmedabad. (Transferor)

(2) Dr. Ushaben Suryakant Patel
"Harivallabh'
Nr. Old Sachivalaya,
Ambawadi, Ahmedabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notce in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Changispur Meethakhali sim TPS 20 FP No. 125 S.P. No. 4-A Land adm. 485 sq. mtrs. and Bldg. on G.F. & F.F. R. No. 7715 Dt. 10-85.

S. B. BHATT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Ahmedabad

Date : 26-5-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 26th May 1986

Ref. No. P.R. No. 4241 Acq.23/I/86-87.—Where
S. B. BHATT,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Changispur Mithakhali sim TPS 20 FP 125 SP 4-A land 485 sq. mtrs. Bldg. on G.F. & F.F.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of he Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Bhartiben Shambhuprasad Patel,
29. Bhagwati
Sardar Patel Nagar,
Navrangpura, Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Shri Nandkumar Manilal Shah
5-B, Krushnakunj Socy.
Bhairavnath Road, Kankaria,
Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Changispur Mithakhali sim TPS 20 FP No. 125 SP No. 4-A land 485 sq. mtrs. and Bldg. on G.F. & F.F. R. No. 7904 Dt. 10-1985.

S. B. BHATT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Ahmedabad

Date : 26-5-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad, the 26th May 1986

Ref. No. P. R. No. 4242/Acq. 23/I/86-87.—Whereas, I, S. B. BHATT,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Vastrapur sim TPS. 21 FP No. 74 SP No. 2 Land adm. 1101 sq. yds. under construction.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the registering officer
at S. R. A'bad on 17-10-185
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Alarakhabhai Gulamahammad
Chudi Pol, Pankor Naka,
Ahmedabad. (Transferor)

(2) Shri Vinubhai Nagjibhai Patel
Chairman
Mahesh Aptt. Owners Asson.
Lalita Socy. Isanpur,
Ahmedabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vastrapur sim TPS. 21 FP 74 SP No. 2 Land adm. 1101 sq. yds. under construction R. No. 11828 Dt. 17-10-85.

S. B. BHATT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
2nd Floor, Handloom House, Ashram Road,
Ahmedabad-380 009

Seal :
Date : 26-5-1986

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad, the 29th May 1986

Ref. No. P. R. No. 4243/Acq. 23/I/86-87 —Whereas, I, S. B. BHATT,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Chhadavada sim TPS. 3 FP 647 SP 10-A land adm. 687.29 sq. mtrs. with construction.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the registering officer
at A'bad on 29-10-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property to aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice unedr sub-section (1) of Section 269D of the Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bipinchandra Ranchhodlal Maheta
10-A Parna Kunj, Nr. C. N. Vidyalaya,
Ambawadi,
Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Shri Madhukant. H. Sutaria,
Promotor of the proposed
Sukha—Shanti Co. op. Hsg. Socy.
10. A Parnakhunj Socy. Nr. C. N. Vidyalaya,
Ambawadi,
Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Chhadawada sim TPS. 3 FP 647 SP 10. A land adm. 687.29 sq. mtrs. with construction R. No. 12499 Dt. 29-10-85.

S. B. BHATT,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
2nd Floor, Handloom House, Ashram Road,
Ahmedabad-380 009

Date : 29-5-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad, the 29th May 1986

Ref. No. P. R. No. 4244/Acq. 23/I/86-87.—Whereas, I, S. B. BHATT,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Vasana sim TPS No. 22 FP No. 28 SP No. 33 land adm. 373.25 sq. mtrs. with construction.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the registering office
at A'bad on 16-10-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. Asitbhai Damubhai Shukla,
33, Shri Damubhai Colony Co. op. Hsg. Socy. Ltd.
Nr. Bhattha, Vasana,
Ahmedabad. (Transferor)

(2) Shri Yogen Rasiklal Shah
C/o Dr. Himanshu Shah
14, Jain Socy. E. B.
Ahmedabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vasana sim TPS No. 22 FP No. 28 SP No. 33 land adm. 373.25 sq. mtrs. with const. R. No. 11732/16-10-85.

S. B. BHATT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
2nd Floor, Handloom House, Ashram Road,
Ahmedabad-380 009

Date : 29-5-1986
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad, the 29th May 1986

Ref. No. P.R. No. 4245/Acq. 23/I/86-87.—Whereas, I, S. B. BHATT,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Paldi sim S. No. 219-220 TPS 6 FP 300 land adm. 809 sq. mtrs. and Bunglow thereon.
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the registering office
at A'bad on 10-10-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. Chandulal Chhotalal Daru,
Plot No. 13, Kusumnagar Socy.
Nr. Gujarat Socy. Paldi,
Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Dineshkumar Ramanlal Patel,
Suhasini Flat No. 13,
BH Musium, Paldi,
Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the chapter

THE SCHEDULE

Paldi sim S. No. 219-220 TPS. 6 FP 300 land adm. 809 sq. mtrs. and Bunglow thereon R. No. 11407 Dt. 10-10-85.

S. B. BHATT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
2nd Floor, Handloom House, Ashram Road,
Ahmedabad-380 009

Date : 29-5-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad, the 29th May 1986

Ref. No. P. R. No. 4246/Acq. 23, I/86-87.—Whereas, I, S. B. BHATT,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Kalupur Wd. No. 3 C. S. No. 4536 land & Bldg. adm. 456.52.70 sq. mtrs.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer
at A'bad on 23-10-85
for an apparent consideration which is less than the market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration said that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mohemmadibhai Salehbhai & Ors.
Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Banners Builders Pvt. Ltd.
14/1, Ravi Chambers,
Salapas Road,
Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Kalupur Ward No. 3 C. S. No. 4536 land & Budg. adm. 456.52.70 sq. mrs. R. No. 12122 Dt. 23-10-85.

S. B. BHATT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
2nd Floor, Handloom House, Ashram Road,
Ahmedabad-380 009

Date : 29-5-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad, the 29th May 1986

ef. No. P.R. No. 4247/Acq. 23/I/86-87.—Whereas, I, S. B. BHATT,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
SP No. 7A FP No. 377, 381, 382 & 383 EB TPS. III Land adm. 803 sq. yds.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer
at A'bad on 24-10-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shantilal Chandulal Shah
'Madhurya' Opp : Navrangpura Telephone Exchange Lane,
Beside Sardar Patel Hall E. B.
Ahmedabad-38006.
(Transferor)

(2) Madhusudan Ceramics Div. of Madhusudan Vegetable Products Co. Ltd.
Rakhial Tal. Dehgam Dist :
A'bad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which-ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

A'bad.
S. P. No. 7A FP No. 377, 381, 382 and 383 E. B. TPS. 3 land adm. 803 sq. yds. and Bldg. 179 sq. yds. 37EE filed on 24-10-85.

S. B. BHATT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
2nd Floor, Handloom House, Ashram Road,
Ahmedabad-380 009

Date : 29-5-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad, the 29th May 1986

Acq. No. P. R. No. 4248/Acq. 23/I. 86-87.—Whereas, I, S. B. BHATT,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
SP No. 7A FP No. 377, 381, 382 and 383 E. B. TPS. III Land adm. 803 sq. yds.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer
at A'bad on 11-10-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shantilal Chandulal Shah
'Madhurya' Opp : Navrangpura Telephone Ex.
Lane, Beside Sardar Patel Hall,
E. B. A'bad-380 006.
(Transferor)

(2) Madhusudan Ceramics Div. of Madhusudan Vegetable Products Coy. Ltd.
Rakhial Tal.
Dehgam, Dist :
A'bad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Offician Gazette or a period o 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within forty-five days from the date of publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

S P No. 7A FP No. 377, 381, 382 and 383 E. B. TPS. 3 land adm. 803 sq. yds. and Bldg. 179 sq. yds. 37EE filed on 11-10-85.

S. B. BHATT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
2nd Floor, Handloom House, Ashram Road,
Ahmedabad-380 009

Date : 29-5-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad, the 29th May 1986

Ref. No. P. R. No. 4249/Acq. 23/I/86-87.—Whereas, I. S. B. BHATT,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
S. No. 2972 plot No. 2281-A Wd. No. 7 Nr. Bangali Gate, Hill Drive—Krishnanagar Bhavnagar,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer
at Bhavnagar on 21-10-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Rasulbhai Nathubhai Shaikh
Nr. Vajir Masjid,
Ranjit Road,
Jamnagar.
(Transferor)

(2) Smt. Hansaben Manmohanbhai Tamboli
'Anupam' Opp : Hospital,
Bhavnagar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

S. No. 2972 plot No. 2281-A Nr. B Bangali Gate, Hill Drive, Wd. No. 7 Krishnanagar Land 1916.13 sq. mtrs.+ 83.87 R. N. 3095 21-10-85.

S. B. BHATT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
2nd Floor, Handloom House, Ashram Road,
Ahmedabad-380 009

Date : 29-5-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad, the 29th May 1986

Ref. No. P. R. No. 4250/Acq 23/I/86-87.—Whereas, I, S. B. BHATT,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Plot No. 2149-B Ward No. 7 Hill Drive Bhavnagar Land & Bldg.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer
at S. R. Bhavnagar on 9-10-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) :

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Dhirubhai Bhulabhai Patel
Block No. 51, Fifth Floor,
Basiana Aptt. 11,
WEST, Avenue Shanta Cruz,
(West) Bombay.
(Transferor)

(2) Shri Arjanbhai Vastabhai Patel
Ganesh Krupa
Vijyayrajnagar Plot No. 60
Bhavnagar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Plot No. 2149/B Hill Drive Road, Krishnanagar Bhavnagar Land & Bldg. R. No. 2142 Dt. 9-10-85.

S. B. BHATT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
2nd Floor, Handloom House, Ashram Road,
Ahmedabad-380 009

Date : 29-5-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BIHAR
BORING CANAL ROAD,
PATNA-800 001

Patna, the 12th June 1986

Ref. No. III-1298/Acp/86-87.—Whereas, I,
DURGA PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Thana No. I, Tauzi No. 5174, Khata No. 924, Plot No. 2667 situated at Mauza & P. S. Digha, Distt. Patna,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Calcutta on 31-10-85
for an apparent consideration which is les than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ranjeet Pd. Singh
S/o Late Hari Narayan Singh,
Dighaghat, P. S. Digha,
Patna.
(Transferor)

(2) Shri Karpoor Chandra Sahakari Grih Nirman Samity Ltd,.
Kankarbagh,
Patna-20
through its Secretary Rajesh Kumar Jha.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land measuring 8 Katha situated at Mauza & P.S. Digha, Distt. Patna & more fully described in deed No. I-15505 dt. 31-10-85 registered with the Registrar of Assurances, Calcutta.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bihar
Patna

Date : 12-6-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BORING CANAL ROAD
PATNA

Patna-800 001, the 12th June 1986

Ref. No. III/299/Acq/86-86.—Whereas, I, DURGA PRASAD, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bihar, Patna, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Thana No. I Tauzi No. 5174, Khata No. 924, Plot No. 2667 situated at Mauza and P.S. Digha, Distt. Patna, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office Calcutta on 31-10-1985, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ranjeet Pd. Singh
S/o Late Hari Narayan Singh,
Dighaghat, P.S. Digha, Patna.
(Transferor)

(2) Shri Karpoor Chandra Sahakari Grih Nirman Samity Ltd., Kankarbagh, Patna-20 through its Secretary Rajesh Kumar Jha.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 14 katha situated at Mauza & P.S. Digha Distt. Patna & more fully described in deed No. I-15506 dated 31-10-1985 registered with the Registrar of Assurances, Calcutta.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date : 12-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
BORING CANAL ROAD
PATNA

Patna-800 001, the 12th June 1986

Ref. No. II-1300/Acq/86-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bihar, Patna, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Thana No. I, Tauzi No. 5174, Khata No. 924, Plot No. 2667 situated at Mauza & P.S. Digha, Distt. Patna, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been trasferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 31-10-1985, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the propery as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ranjeet Pd. Singh
S/o Late Hari Narayan Singh,
Dighaghat, P.S. Digha, Patna.
(Transferor)

(2) Shri Karpoor Chandra Sahakari Grih Nirman Samity Ltd., Patna,
through its Secretary Rajesh Kumar Jha,
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 9 katha situated at Mauza & P.S. Digha, Distt. Patna & more fully described in deed No. I-15504 dated 31-10-1985 registered with the Registrar of Assurances, Calcutta.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date : 12-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
BORING CANAL ROAD
PATNA

Patna-800 001, the 12th June 1986

Ref. No. III-1301 Acq/86-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bihar, Patna. being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Thana No. 1 Tauzi No. 5174, Khata No. 924, Plot No. 2667 situated at Mauza & P.S. Digha, Distt. Patna, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been trasferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 31-10-1985, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which htave not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ranjeet Pd. Singh
S/o Late Hari Narayan Singh,
Dighaghat, P.S. Digha, Patna,
and Smt. Sumitra Devi
W/o Late H. N. Singh Dighaghat,
P.S. Digha, Patna..
(Transferor)

(2) Shri Karpoor Chandra Sahakari Grih Nirman Samity Ltd., Kankarbagh, Patna-20.
through its Secretary Rajesh Kumar Jha.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 8 katha situated at Mauza & P.S. Digha Distt. Patna & more fully described in deed No. 15502 dt. 31-10-85, registered with the Registrar of Assurances, Calcutta.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date : 12-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.
ACQUISITION RANGE
BORING CANAL ROAD
PATNA

Patna-800 001, the 12th June 1986

Ref. No. III-1302/Acq/86-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bihar, Patna, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Thana No. 1 Tauzi No. 5174, Khata No. 924, Plot No. 2667, situated at Mauza & P.S. Digha, Distt. Patna, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been trasferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 31-10-1985, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income oor any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ranjeet Pd. Singh
S/o Late Hari Narayan Singh,
Dighaghat, P.S. Digha, Patna,
and Smt. Sumitra Devi
W/o Late H. N. Singh Dighaghat, P.S. Digha, Patna.
(Transferor)

(2) Shri Karpoor Chandra Sahakari Grih Nirman Samity Ltd., Kankarbagh, Patna-20 through its Secretary Rajesh Kumar Jha.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later :

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 8 katha situated at Mauza & P.S. Digha Distt. Patna and more fully described in deed No. I-15510 dated 31-10-1985 registered with the Registrar of Assurances, Calcutta.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date : 12-6-1986
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BORING CANAL ROAD
PATNA

Patna-800 001, the 12th June 1986

Ref. No. III-1303/Acq/86-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bihar, Patna, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Thana No. I Tauzi No. 5174, Khata No. 924,
Plot No. 2607 situated at Mauza & P.S. Digha, Distt. Patna,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 31-10-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or easion of the liabilty of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ranjeet Pd. Singh
S/o Late Hari Narayan Singh,
Dighaghat, P.S. Digha, Patna.
(Transferor)

(2) Shri Karpoor Chandra Sahakari Grih Nirman Samity Ltd., Patna,
through its Secretary Rajesh Kumar Jha.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 13 katha situated at Mauza & P.S. Digha, Distt. Patna and more fully described in deed No. 1-15508 dt. 31-10-1985 registered with the Registrar of Assurances, Calcutta.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date : 12-6-1986
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BORING CANAL ROAD
PATNA

Patna-800 001, the 12th June 1986

Ref. No. III-1304/Acq. 86-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bihar, Patna, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Thana No. 1 Tauzi No. 5174, Khata No. 924, Plot No. 2667 situated at Mauza & P.S. Digha, Distt. Patna, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been trasferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 31-10-1985, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ranjeet Pd. Singh
S/o Late Hari Narayan Singh,
Dighaghat, P.S. Digha, Patna.
(Transferor)

(2) Shri Karpoor Chandra Sahakari Grih Nirman Samity Ltd., Patna,
through its Secretary Rajesh Kumar Jha.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 10 katha situated at Mauza & P.S. Digha, Distt. Patna and more fully described in deed No. I-15503 dt. 31-10-1985 registered with the Registrar of Assurances, Calcutta.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date : 12-6-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BORING CANAL ROAD
PATNA

Patna-800 001, the 12th June 1986

Ref. No. III-1305/Acq/86-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bihar, Patna, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Thana No. 1, Tauzi No. 5174, Khata No. 989, Plot No. 2665 situated at Mauza & P.S. Digha, Distt. Patna, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 31-10-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ranjeet Pd. Singh
S/o Late Hari Narayan Singh,
Dighaghat, P.S. Digha, Patna.
(Transferor)

(2) Shri Karpoor Chandra Sahakari Grih Nirman Samity Ltd., Kankarbagh, Patna, through its Secretary Rajesh Kumar Jha.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons; whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 13 katha situated at Mauza & P.S. Digha, Distt. Patna and more fully described in deed No. I-15507 dt. 31-10-1985 registered with the Registrar of Assurances, Calcutta.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date : 12-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BORING CANAL ROAD
PATNA

Patna-800 001, the 12th June 1986

Ref. No. III-1306/Acq/86-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bihar, Patna, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Thana No. I, Tauzi No. 5174, Khata No. 989, Plot No. 2665 situated at Mauza & P.S. Digha, Distt. Patna. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been trasferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 31-10-1985, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or)

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ranjeet Pd. Singh
S/o Late Hari Narayan Singh,
Dighaghat, P.S. Digha, Patna.
(Transferor)

(2) Shri Karpoor Chandra Sahakari Grih Nirman Samity Ltd., Kankarbagh, Patna,
through its Secretary Rajesh Kumar Jha.
(Transferee)

Objections if any to the acquisiiton of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 13 katha situated at Mauza & P.S. Digha, Distt. Patna and more fully described in deed No. I-14509 dt. 31-10-1985 registered with the Registrar of Assurances, Calcutta.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date : 12-6-1986
Seal :

FORM ITNS.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BORING CANAL ROAD
PATNA

Patna-800 001, the 12th June 1986

Ref. No. III-1307/Acq/86-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bihar, Patna, being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Thana No. 1, Tauzi No. 5600, Khata No. 924, Plot No. 2694 situated at Mauza & P.S. Digha, Distt. Patna, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been trasferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 31-10-1985, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ranjeet Pd. Singh
S/o Late Hari Narayan Singh,
Dighaghat, P.S. Digha, Patna.
(Transferor)

(2) Shri Karpoor Chandra Sahakari Grih Nirman Samity Ltd., Kankarbagh, Patna, through its Secretary Rajesh Kumar Jha.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 22.2 dec. situated at mauza & P.S. Digha Distt. Patna and more fully described in deed No. I-1482 dt. 31-10-1985 registered with the Registrar of Assurances Calcutta.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date : 12-6-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
BORING CANAL ROAD
BIHAR

Patna-800 001, the 12th June 1986

Ref. No. III-1308/Acq/86-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bihar, Patna, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Thana No. 1, Tauzi No. 5600, Khata No. 1842, Plot No. 2687 situated at Mauza & P.S. Digha, Distt. Patna, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Calcutta on 31-10-1985, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the afodesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ranjeet Pd. Singh
S/o Late Hari Narayan Singh,
Digbaghat, P.S. Digha, Patna.
(Transferor)

(2) Shri Karpoor Chandra Sahakari Grih Nirman Samity Ltd., Patna,
through its Secretary Rajesh Kumar Jha.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 31 dec. situated at Mauza & P.S. Digha, Distt. Patna and more fully described in deed No. I-15512 dt. 31-10-1985 registered with the Registrar of Assurances, Calcutta.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date : 12-6-1986

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
PATNA
BORING CANAL ROAD

Patna-800 001, the 12th June 1986

Ref. No. III-1309/Acq/86-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Thana No. 1, Tauzi No. 5600, Khata No. 924, plot No. 2694, situated at Mauza & P. S. Digha, Distt. Patna. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been trasferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 31-10-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ranjeet Singh
S/o Late Hari Narayan Singh,
Dighaghat, P.S. Digha, Patna.
(transferor)

(2) Shri Karpoor Chandra Sahakari Grih Nirman Samity Ltd., Kankarbagh, Patna-20
through its Secretary Sri Rajesh Kumar Jha.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 22.2 dec. situated at mauza & P.S. Digha Distt. Patna & more fully described in deed No. I-14819 dt. 31-10-85 registered with the Registrar of Assurance, Calcutta.

DURGA PRASAD,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Boring Canal Road, Patna.

Date : 12-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
PATNA
BORING CANAL ROAD

Patna-800 001, the 12th June 1986

Ref. No. III-1310/Acq/86-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Thana No. I, Tauzi No. 5174 Khata No. 924, Plot No. 2667 situated at Mauza & P.S. Digha, Distt. Patna. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been trasferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 31-10-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ranjeet Singh
S/o Late Hari Narayan Singh,
Dighaghat, P.S. Digha, Patna.
(Transferor)

(2) Shri Karpoor Chandra Sahakari Grih Nirman Samity Ltd., Kankarbagh, Patna-20
through its Secretary Sri Rajesh Kumar Jha.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land measuring 10 katha situated at Mauza & P.S. Digha, Distt. Patna & more fully described in deed No. I-15511 dt. 31-10-85 registered with the Registrar of Assurances, Calcutta.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Boring Canal Road, Patna.

Date : 12-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
BORING CANAL ROAD
PATNA

Patna-800 001, the 12th June 1986

Ref. No. III-1311/Acp/86-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD, being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Thana No. 1, Tauzi No. 1576, khata No. 1088, Plot No. 2649, situated at Mauza & P.S. Digha, Distt. Patna, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been trasferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 31-10-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneyes or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or thhe said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Deep Narayan Singh
S/o late Suraj Ram,
Bari, Digha, P.S. Digha, Distt. Patna.
(Transferor)

(2) Shri Karpoor Chandra Sahakari Grih Nirman Samity Ltd., Kankarbagh, Patna-20 through its Secretary Sri Rajesh Kumar Jha.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquision of the said property may be made in the writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires ater;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 10 katha situated at mauza & P.S. Digha Distt. Patna & more described in deed No. 1-15513 dated 31-10-85 registered with the Registrar of assurances, Calcutta.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Boring Canal Road, Patna.

Date : 12-6-1986
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BORING CANAL ROAD
PATNA

Patna-800 001, the 12th June 1986

Ref. No. III-1312/Acp/1986-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Thana No. 1, Tauzi No. 5176, Khata No. 1089, plot No. 2651 situated at Mauza & P.S. Digha, Distt. Patna. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been trasferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 31-10-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect to any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Deep Narayan Singh
S/o late Suraj Ram,
Bari Digha P.S. Digha, Distt. Patna.
(Transferor)

(2) Shri Karpoor Chandra Sahakari Grih Nirman Samity Ltd., Kankarbagh, Patna-20
through its Secretary Sri Rajesh Kumar Jha.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 10 katha situated at mauza & P S. Digha, Distt. Patna & more described in deed No. I-15515 dated 31-10-1985 registered with the Registrar of Assurance Calcutta

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Boring Canal Road, Patna.

Date : 12-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BIHAR
BORING CANAL ROAD
PATNA

Patna-800 001, the 12th June 1986

Ref. No. III-1313/Acq.I86-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Thana No. 1, Tauzi 5176, Khata No. 1088, plot No. 2649/2650 situated at Mauza & P.S. Digha Distt.Patna.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Calcutta on 31-10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Deep Narayan Singh
S/o late Suraj Ram,
Bari Digha P.S. Digha, Distt. Patna.
Transferor(s)

(2) Shri Karpoori Chandra Sahakari Grih Nirman Samity Ltd., Kankarbagh, Patna-20
through its Secretary Sri Rajesh Kumar Jha.
Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 10 katha situated at mauza & P.S. Digha, Distt. Patna & more described in deed No. I-15516 dated 31-10-85 registered with the Registrar of assurance, Calcutta.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bihar, Patna

Date : 12-6-1986
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BIHAR
BORING CANAL ROAD
PATNA

Patna-800 001, the 12th June 1986

Ref. No. III-1314/Acp/86-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value Rs. 1,00,000/- and bearing No. Thana No. 1, Tauzi No. 5176, Khata No. 1089 Plot No. 2651 situated at Mauza & P.S. Digha Distt. Patna, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Said Act in the Office of the Competnt Authority at at Calcutta on 31-10-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to ay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 or 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, I hereby niitiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, (43 of 1961) to the following persons, namely :—

28—136 GI/86

(1) Shri Deep Narayan Singh S/o Late Suraj Ram, Bari Digha, P.S. Digha, Distt. Patna.
(Transferor)

(2) Shri Karpoor Chandra Sahakari Grih Nirman Samity Ltd. Kankarbagh, Patna-20 through its Secretary Sri Rajesh Kumar Jha.
(Transferee)

Ojections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 10 katla situated at mauza & P.S. Digha Distt. Patna & more described in deed No. 1-15554 dt. 31-10-85 registered with the Registrar of Assurance, Calcutta.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Bihar, Patna

Date : 12-6-86
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
BIHAR
BORING CANAL ROAD
PATNA

Patna-800 001, the 12th June 1986

Ref. No. III-1315/Acp/86-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000 and bearing No. Plot 355 Khata 143, Thana 15 Tauzi 86, situated at Mauza Jakariapur, P.S. Alamganj, Distt. Patna (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 31-10-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason o believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Most—Reshmi Devi of village Chhoti Pahari, P.S. Alamganj, P.O. Baripahari, Patna-7.
Transferor(s)

(2) M/s. Ganesh Datta Sahakari Grih Nirman Samiti Ltd. Kankarbagh, Patna-20 through its Secretary Sri Awadh Kishore Parshad Singh.
Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

10 katha land at Mauza—Jakariapur, P.S. Alamganz, Distt. Patna & morefully described in deed No. I-14728/85 dated 10-10-1985, registered with Sub-Registrar of Assurances, Calcutta.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bihar, Patna

Date : 12-6-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
BIHAR
BORING CANAL ROAD
PATNA

Patna-800 001, the 12th June 1986

Ref. No. III-1316/Acp/86-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Plot 356, Khata-144, Tauzi-6692, Thana 15 at village Jakariyapur, P.S. *Alamganj, situated at Patna,* (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Said Act in the Office of the Competent Authority at Calcutta on 10-10-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

29—136GI/86

(1) Shri Rameshwar Gope at Mohazo Mohalla, P.S. Khajekala P.O. Haziganj, Distt. Patna. (Transferor)

(2) M/s. Ganesh Datta Sahkari Grih Nirman Samiti Ltd. Kankarbagh, Patna-20 through its Secretary Sri Awadh Kishore Parshad Singh. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days rfom the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—*The terms and expressions used herein as* are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

5 kathas land at village Jakariapur, P.S. Alamzanj and morefully described in deed number I-14725 dated 10-10-85 registered with sub-registrar of Assurances, Calcutta.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bihar, Patna

Date : 12-6-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BIHAR
BORING CANAL ROAD
PATNA

Patna-800 001, the 12th June 1986

Ref. No. III-1317/Acp/86-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Plot 264 Khata 115, Tauzi 33, Thana-15, situated at Jakariapur, P.S. Alamganj, Patna. (and morefully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 10-10-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jagdish Prasad, S/o Radha Prasad, village Jakariapur (Chhotipahari, P.S. Alamganj, P.O. Baripahari, Patna-7. (Transferor)

(2) M/s. Ganesh Datta Sahakari Grih Nirman Samiti Ltd. Kankarbagh, Patna-20 through its Secretary Sri Awadh Kishore Prasad Singh. (Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

7 katha of land at Zakariapur, P.S. Alamganj and morefully described in deed No. I/4726 dated 10-10-1985 registered with Sub-Registrar of Assurances, Calcutta.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bihar, Patna

Date : 12-6-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BORING CANAL ROAD
PATNA

Patna-800 001, the 12th June 1986

Ref. No. III-1318/Acp/86-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Plot 367, Khata-125, Tauzi-697, Thana-15 situated at village Jakaripur Pargana Azimabad, P.S. Patna (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 10-10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hreby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Hari Mahato of village Jakaripur, P.S. Alamzanj, P.O. Bari Pahari, Patna-77 Distt. Patna.
(Transferor)

(2) M/s. Ganesh Datta Sahakari Grih Nirman Samiti Ltd. Kankarbagh, Patna-20 through its Secretary Sri Awadh Kishore Parshad Singh.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are degned in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

6 katha land at village Jakaripur Pargana Azimabad P.S. Patna and morefully described in deed No. I-14727 dated 10-10-1985 registered with Sub-Registrar of Assurances Calcutta.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bihar, Patna

Date : 12-6-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
BORING CANAL ROAD
PATNA

Patna-800 001, the 12th June 1986

Ref. No. III-1319/Acq./86-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs .1,00,000/- and bearing
Plot 1674, Khata-444, Tauzi-229 New 15870, Thana-14 situated at Village-Pahari. Pargana-Azimabad, Patna,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 10-10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Gulab Rai and Sri Baliram, at Village—Illahibagh, P.S. Phulwari, P.O. Bairia, Patna-7.
(Transferor)

(2) M/s Ganesh Datta Sahkari Grih Nirman Samiti Ltd., Kankarbagh, Patna-20 through its Secretary Awadh Kishor Pd. Singh.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

10 kathas land at Village-Pahari. Pargana Azimabad, Patna and morefully described in deed No. I-14729 dated 10-10-1985, registered with Registrar of Assurances, Calcutta.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assis ant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date : 12-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
BORING CANAL ROAD
PATNA

Patna-800 001, the 12th June 1986

Ref. No. III-1320/Acq/86-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Plot—1674, Khata—444, Tauzi—229, New—15870, Thana—14, area 10 khathas at Vill. Pahari Pargana Azimabad, situated at Patna,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 10-10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Gulab Rai & Others at Vill. Illahibagh, P.S. Phulwari, P.O. Bairia, Patna-7.
(Transferor)

(2) M/s Ganesh Dutta Sahkari Grih Nirman Samiti, Ltd. Kankarbagh Patna-20 through its Secretary Awadh Kishor Pd. Singh.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

10 kathas land situated at Pahari Pargana, Azimabad, Patna and morefully described in deed No. I-14731 dated 10-10-1985, registered with Registrar of Assurances, Calcutta.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date : 12-6-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
BORING CANAL ROAD
PATNA

Patna-800 001, the 12th June 1986

Ref. No. III-1321/Acq/86-87.—Whereas, I,
DURGA PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Municipal Holding No. 269—Ward No. 15, portions of plot No. 2873, 2874, 306 and 307 situated at Katras Road, situated at Dhanbad,
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dhanbad on 30-10-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or this Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Prabhulal Manji Chouhan,
S/o late M.G. Chouhan,
and five others of Kutras Road, Dhanbad.
(Transferor)

(2) M/s Karamchand Thapar and Bros.
(Coal Sales) Ltd., having its registered office at Thapar House, 25—Brabourne Road, Calcutta.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

10,700 sq. ft. land together with building situated at Katras Road, Dhanbad and morefully described in deed No. 10524 dated 30-10-1985 registered with D.S.R. Dhanbad.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date : 12-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
BORING CANAL ROAD
PATNA

Patna-800 001, the 13th June 1986

Ref. No. III-1322/Acq/86-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Holding No. 2303/925 and 2304/926, Ward No. 11, Circle No. 8-A, at Kankarbagh, P.S. Kankarbagh, situated at Patna, (and more fully described in the Schedule, annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Patna on 17-10-1985, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Smt. Bhagwant Kaur W/o Sardar Amrik Singh, r/o Patna Tyre House building, New Dak Bunglow Road, Patna through Sardar Amrik Singh vide power of attorney No. 2239 dated 30-9-85 r/o Patna Tyre House Building New Dak Bunglow Road, Patna.
2. Sardar Gurdip Singh S/C Sardar Mohinder Singh, R/o Patna Tyre House Building, New Dak Bunglow Road, Patna.

(Transferor)

(2) 1. Krishna Murari Pandey
S/o Late Bageshwari Pandey
2. Rabindra Kumar Pandey
S/o Shri Krishna Murari Pandey.
3. Jitendra Kumar Pandey
S/o Shri Krishna Murari Pandey.
4. Smt. Ram Dulari Devi
W/o Shri Krishna Murari Pandey.
5. Smt. Laxmi Pandey
W/o Shri Rabindra Kumar Pandey and
6. Master Vikash Kumar Pandey
through his mother and natural guardian
Smt. Laxmi Pandey.

all resident of Phusro, Post Office, Phusro Bazar, Police Station, Bermo, District Giridih.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 7 katha 10 dhurs with building situated at Karkarbagh, Patna-20 and more fully described in deed No. 7237 dated 17-10-1985 registered with D.S.R. Patna.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date : 13-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 14th April 1986

Ref. No. Raj./IAC(Acq.)/P.R. No. 28 Oct.85/2690.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Neel Kamel Cinema situated at Bharatpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bharatpur on 16-10-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Pratap Singh S/o Shri Rewati Singh & Hari Mohan Poddar S/o Shri Madanmohanji Poddar, R/o Bharatpur.
(Transferor)

(2) M/s. R. S. Sharma & Co. (Delhi) Pvt. Ltd., C-3/60, Janakpuri, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building known as Neel Kamal Chhaya Chitrapat, situated at Bharatpur and more fully described in sale deed registered by the S.R. Bharatpur vide registration No. 1934 dated 16-10-85.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,

Date : 28-5-86
Seal :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1985